खण्ड-350, अंक-8
बुधवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1903
(25 मार्च, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 350 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	891–894
प्रश्नोत्तर	..	895–946
देवरिया जिले की टाउन एरिया, सलेमपुर व लार में गन्दे पानी की निकासी न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	946
देवरिया जिला अस्पताल में व्याप्त गंदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	946–947
जनपद बरेली में ग्राम भडसर के पास नदी पर बन रहे पुल को शीघ्र पूरा कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	947
गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के स्थायीकरण में विलम्ब से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	947
प्रतापगढ़ की कुण्डा तहसील में ओलावृष्टि से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	948
उत्तर प्रदेश विनियोग (1980–81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)		
श्री लटूरी सिंह द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण के सम्बन्ध में सूचना	..	948
गृह राज्य मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	948–949
कतिपय मन्त्रियों का डाकुओं से कथित सम्बन्ध होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	949–951
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	951
1981–82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 28––अनावासिक भवन, अनुदान संख्या 41––सार्वजनिक निर्माण (आवास भवन), अनुदान संख्या 70––संचार साधन, अनुदान संख्या 71––कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 72––सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 75––अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 76––कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83––आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 106––संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	..	951–1018
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	1018–1019
नत्थियां	..	1021–1026

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में, दिन में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--323

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० फ्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एडवोकेट) (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)

चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)

बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)

राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौब, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी–गढ़वाल)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)

श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीता राम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 25 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

भूतपूर्व सहायक अभियन्ता, शारदा नहर, हरदोई श्री मोहम्मद वकीलुल्ला बेग के विरुद्ध रिपोर्ट

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भू0 पू0 सहायक अभियन्ता, शारदा नहर, हरदोई (श्री मोहम्मद वकीलुल्ला बेग) के विरुद्ध उनके हरदोई खंड के इस वर्ष के अल्पकाल में की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं, त्रुटियों अथवा गबन के सिलसिले में कोई रिपोर्ट प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई को अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर, हरदोई द्वारा प्रेषित की गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर, हरदोई के रिपोर्ट के आधार पर सहायक अभियन्ता के विरुद्ध पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को चार्जशीट कब दी गयी है और चार्जशीट में लगाये गये आरोप क्या हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

चार्जशीट इश्यू होने की कार्यवाही हो रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र देकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का मामला शासन के विचाराधीन है, लेकिन यहां अनुपूरक प्रश्न करने पर मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी आरोप-पत्र नहीं दिया गया है, तो मान्यवर, मंत्री जी स्थिति को साफ कर दें कि क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, स्थिति यह है कि अधिशासी अभियन्ता ने जांच किया, उसके बाद अधीक्षण अभियन्ता ने और तब उसके बाद रिपोर्ट शासन को प्रमुख अभियन्ता के यहां से 17 मार्च, 1981 को आयी है और उसके बाद आरोप-पत्र अब बनकर जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

जो अधिशासी अभियन्ता की पहले की रिपोर्ट है वह किस तारीख को अधीक्षण अभियन्ता के यहां सब्मिट किया, जिससे मालूम हुआ कि सहायक अभियन्ता के खिलाफ यह यह चार्जेज हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, प्रमुख अभियन्ता को रिपोर्ट 17 सितम्बर, 1980 को मिली थी लेकिन वहां से बनकर शासन को 17 मार्च, 1981 को आयी और यहां उस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आरोप सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शासन को प्राप्त हुये हैं, वह आरोप क्या हैं ?

श्री बी. बहादुर सिंह--

श्री मोहम्मद वकीउल्ला बेग के विरुद्ध निम्नलिखित छः आरोप हैं :--

1--पदानुरूप कर्तव्य न निभाने एवं अवर अभियन्ता के साथ दुरभिसंधि करके फर्जी कार्य की माप हेतु 7968 रु0 का फर्जी भुगतान ठेकेदार को करके शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाना ।

2--शासन के हित का ध्यान न रखते हुये कल्पित वाउचर के विरुद्ध सरकारी खजाने से नगद भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का गबन करना ।

3--सक्षम अधिकारी से कार्यों की बिना स्वीकृति प्राप्त किये निजी स्वार्थवश आमंत्रित निविदाओं के खुलने की तिथि के पूर्व ही अपने चुने हुये ठेकेदारों के नाम कदाशय से कार्यादेश निर्गत करना ।

4--जानबझकर एक ही कार्य का दो बार भुगतान कराने की चेष्टा करना ।

5--सरकारी अभिलेखों को स्वेच्छा से स्थानान्तरण के समय अपने साथ ले जाना तथा इनको वापस करने के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की उपेक्षा करना ।

6--माप पुस्तिका में माप अंकित होने के पूर्व ही स्वेच्छा से भुगतान करना तथा लेखा से सम्बन्धित अभिलेखों को नियमित न रखना ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जो आरोप पढ़कर सुनाये, वह गम्भीर आरोप है और कार्यवाही में इतनी देरी हो रही है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने एक सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जो शिकायत की थी उस शिकायत में नम्बर 2 का आरोप जो बताया है, उसमें शिकायत की गई और कितने रुपये का इंवालमेन्ट था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इतने डिटेल में नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके पहले यह सहायक अभियन्ता जहां थे, वहां भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अनुशासनिक कार्यवाही करने का मामला शासन के विचाराधीन है । इस सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि आरोप पत्र शासन को मिल गया है, कार्यवाही विचाराधीन है इस पर कार्यवाही का निर्णय शासन कब तक ले लेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बहुत जल्द ले लेगा ।

परिवहन विभाग तथा परिवहन निगम के अधिकारियों की जीप वापस लिये जाने की मांग

*2--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या परिवहन मंत्री प्रदेश में पेट्रोल तथा डीजल की कमी तथा भारी मूल्यों को देखते हुए वे परिवहन निगम के अधिकारियों को जो राजकीय जीपें या कारों की सुविधाएं दी गयी हैं, उन्हें वापस लेने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ये सुविधाएं समाप्त की जा रही हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)--

जी नहीं ।

परिवहन विभाग तथा परिवहन निगम के अधिकारियों को स्टाफ कार अथवा जीप विभाग के कार्य-संचालनार्थ दी जाती हैं । यह सुविधा वापस लेने का विचार नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया है प्रदेश में पेट्रोल के अभाव से जो परेशानी हो रही है, उसको देखते हुये किया था और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसको आपने सुन लिया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय सरकारी विभाग के पास कितनी जीपें और कितनी कारें हैं और उन पर कितना पेट्रोल और रख-रखाव का खर्च होता है ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी इसका उत्तर कुछ दे सकते हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न बहुत लम्बा है । माननीय सदस्य सवाल करलें उत्तर दे दूंगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

लम्बा कुछ नहीं है सारे आंकड़े मंत्री जी के पास हैं । अधिकारियों को कारे दी गई हैं वह कितनी है और कितनी जीपें हैं कौन सी लम्बी बात है ?

श्री दलगंजन सिंह—

मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि परिवहन विभाग में कितनी जीपें हैं और कितनी अम्बेसडर कारें है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं कारों का बता सकता हूं लेकिन जीपों के लिये आपने जो सवाल किया था अधिकारियों की जो जीपें और कारें दी गई हैं । अधिकारियों को जो कारें दी गई हैं, उसका उत्तर है किन्तु कितनी जीपें और कार हैं, इसका विवरण नहीं है । प्रश्न परिवहन तथा परिवहन निगम दोनों के बारें में पूछा गया है । ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के मुख्यालय पर 7 कारें है, जो क्षेत्रीय डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके पास 4 हैं जो इन्फोर्समेन्ट स्क्वायड है, उसके पास 43 लम्बी गाड़ियां है और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुख्यालय पर 15 कारें, उप प्रधान प्रबन्धक (क्षेत्रीय) के पास 4 कारे, क्षेत्रीय प्रबन्धक के पास 18 कारें सेवा प्रबन्धक 18 है, उनके पास 18 कारे हैं । सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक और सहायक इंजीनियर डिपो के जो हैं, उनको मिला कर 70 गाड़ियां हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि अधिकारी सरकारी काम में तो कम खर्च करते हैं और अपने व्यक्तिगत कार्यों में जीपों और कारों का ज्यादा खर्च करते हैं ? क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

(प्रश्न संख्या 7 पुकारे जाने पर)

मान्यवर चूंकि राज्य का आधा धन अधिकारियों की कारों और जीपों पर खर्च होता है, तो मैं राज्य की भलाई के लिये इस बात को कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और इस पर कन्ट्रोल करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

जो अधिकारी अपने व्यक्तिगत कार्यों में इनका उपयोग करते हैं उस पर रोक लगाने पर विचार करेगें ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

इसका जवाब दिलवा दें । मान्यवर, प्रदेश कहां जायगा, आधा धन जीपों, और कारों पर खत्म हो रहा है । हमको और आपको भी गालियां मिलती हैं कहते हैं कि वहां खाली बैठे रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं ।

*3—श्री रियासत हुसैन तथा श्री भगवती सिंह विशारद—

[दिनांक 28—1—81 को तारांकित प्रश्न संख्या 20 द्वारा उत्तरित]

*4—श्री शंकर सिंह—

[दिनांक 28—1—81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 91 द्वारा उत्तरित]

*5—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

*6—श्रीमती गौरी देवी—

[25वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवहन निगम की बसों से कथित घाटा

*7—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चलाई जाने वाली बसें अधिकांशतः घाटे पर चलने के साथ बहुत विलम्ब से चलती हैं ? क्या इसका मुख्य कारण भारी रकम प्रत्येक वर्ष एक बस के रख-रखाव में व्यय है ? यदि हां, तो उससे कम रकम पर प्राइवेट गैरेज चलाने वालों को ठेका देकर क्या शासन परिवहन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने पर विचार कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही नहीं है कि निगम की अधिकांश बसें घाटे पर चलने के साथ विलम्ब से चलती हैं । यह सही है कि इस वर्ष जून, 1980 से जनवरी, 1981 तक निगम को वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है जिसका मुख्य कारण डीजल, पुर्जे इत्यादि की मूल्य वृद्धि तथा परिचालन व्यय है । शासन का विचार राष्ट्रीयकरण की नीति को बदलने का नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो पहले नीलामी की कगार पर था और अब कुछ व्यवस्थित हुआ है । क्या इस घाटे का मुख्य कारण यह है कि जो आपकी वर्कशाप हैं उनकी अव्यवस्था के कारण जितने भी कल पुर्जे हैं, वह आपके अधिकारियों की चलने वाली प्राइवेट बसों में लगाये जाते हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसा नहीं है, एक बात जरूर है कि जो वर्कशाप्स हैं, डिपो हैं उनकी हालत अच्छी नहीं थी। अब इसमें सुधार किया जा रहा है। ओरीजनल पार्ट पहले नहीं लगाये जाते थे, लोकल खरीद लेते थे, लेकिन अब आदेश कर दिए गए हैं कि कम्पनी के ओरीजनल पार्टस खरीदे जायं और सेंट्रल डिपो से दिये जायं ताकि ओरीजनल पार्टस लगें और नान जेनुइन पार्ट्स न लगें। इस सम्बन्ध में जो शिकायतें आती हैं, उसकी जांच कराई जाती है। जो कर्मचारी और अधिकारी इसमें गलत कार्य करेंगें उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, परिवहन निगम की जो बसें हैं, वह अधिकांश विलम्ब से चलती हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनका विलम्ब से चलने का एकमात्र कारण है कि उनकी हालत इतनी खस्ता है कि वह बसें पीपों और ड्रमों के रूप में चल रही हैं और वर्कशाप से, अगर चार आने के कल पुर्जे की भी आवश्यकता है, तो वह नहीं निकलती हैं, तो जो बसें विलम्ब से चलती हैं, उनको क्या नियमित करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने जो कहा है, टाइमटेबिल की जहां तक बात है तो 2 तरह की टाइमटेबिल हैं। एक लम्बी रूट की गाड़ियां हैं, वह अच्छी गाड़ियां रखी जाती हैं। दूसरी गाड़ियां टूरिस्ट लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वह भी अच्छी गाड़ियां रखी जाती हैं। शार्ट रूट के लिए जो गाड़ियां हैं वह बहुत अच्छी नहीं हैं, जिसका चलाना जरूरी होता वह रखी जाती हैं, तो टाइमटेबिल बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो माननीय सदस्य की शिकायत है उसको दूर कर दिया जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, गाड़ियों की जो हालत खराब है उसका कारण केवल इंपलीमेंटिंग मशीनरी या कलपुर्जे ही नहीं हैं, बल्कि सबसे बड़ा कारण वर्क लोड है। आज से 20 साल पहले जितने भी आदमी वर्कशाप में काम करते थे, आदमी तो अब भी उतने ही हैं और गाड़ियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या माननीय मन्त्री जी उसी हिसाब से आदमियों की भर्ती भी वर्कशाप में कराने पर आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बहुत सही बात है कि आज वर्क लोड काफी बढ़ा है। जहां पर कुछ वर्ष पहले 50 गाड़ियां थी आज वहां 100 हो गई हैं। इसके लिए भी कोशिश की जा रही है कि आवश्यकतानुसार स्टाफ रहे ताकि वहां पर कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि जो उनके वर्कशाप हैं, वह सारे के सारे दीन-दशा को प्राप्त हो चुके हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि परिवहन

निगम के खर्चे को बचाने और समय की बचत करने हेतु प्राइवेट गैराज वालों को ठेके पर काम देने का निर्णय लेंगे और दूसरी बात यह है कि आपके यहां वर्कशाप में जो इन्चार्ज बनाए गए हैं, वह वास्तव में इस टेक्नीक को नहीं जानते तो क्या माननीय मन्त्री जी इन वर्कशाप्स में इन्चार्ज तकनीकी ज्ञान वालों को बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस तरह की पालिसी बनाई गई है कि वर्कशाप में सर्विस मैंने-जर तकनीकी ज्ञान के होंगे और अन्य किसी को नहीं रखा जायेगा, ऐसा शीघ्र ही किया जा रहा है और माननीय सदस्य ने जो बात कही है, ऐसी नहीं है । हम स्वयं इस प्रयास में है कि कहीं पर कोई दिक्कत हो, उसे तुरन्त दूर किया जाए और कर भी रहे हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि प्राइवेट गैराज से काम ठेके पर कराने के सम्बन्ध में । इससे तो सरकार को स्वयं बहुत फायदा पहुंचेगा । मान्यवर, इसका उत्तर कृपया दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

इतना मैंने यहां उत्तर दिलवा दिया है, बाकी आप उनके कक्ष में पूछ लीजिएगा ।

सीतापुर जिले के ब्लाक वेहटा एवं रेउसा में घाघरा नदी से कटाव

-श्री मुख्तार अनीस (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि घाघरा नदी की बाढ़ से सीतापुर जिले के वेहटा और रेउसा ब्लाकों के कितने ग्राम कट रहे हैं ? इन नदियों के द्वारा हो रहे कटान को देखते हुए क्या सरकार के समक्ष इस क्षेत्र में बांध बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब प्रारम्भ होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

घाघरा नदी की बाढ़ से वेहटा एवम् रेउसा ब्लाकों में गांवों के कटान की कोई सूचना नहीं मिली है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*9--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[28-1-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित]

विश्व बैंक की सहायता से नलकूप निर्माण योजना

*10--श्री भीखालाल (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश के लिए छठी योजना में कितने नलकूप लगाने के लिए धन की

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 10 श्री रियासत हुसैन की रुचि पर लिया गया ।

व्यवस्था करने का केन्द्र द्वारा प्रस्तावित किया गया है ? प्रदेश में जिलेवार उसका वितरण किस प्रकार किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विश्व बैंक की सहायता से पोषित 500 नलकूपों के निर्माण की एक योजना पर कार्य किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 1981-82 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। इस योजना के लिए 24·74 करोड़ रुपए की धनराशि का प्राविधान है। नलकूपों का जिलावार वितरण निम्न प्रकार है--

	जनपद का नाम	नलकूपों की संख्या
1	लखनऊ	40
2	खीरी-लखीमपुर	40
3	फैजाबाद	45
4	आजमगढ़	40
5	वाराणसी	40
6	गाजीपुर	40
7	इटावा	40
8	इलाहाबाद	45
9	अलीगढ़	40
10	मैनपुरी	40
11	सहारनपुर	45
12	हरदोई	45
		500

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पांच सौ नलकूप की जो योजना शुरू की गई है, हमारे ख्याल से इस वर्ष के अन्त तक या 1982 के अन्त तक ये पांच सौ नलकूप लगा दिए जायेंगे। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना में विश्व बैंक की ओर से दो हजार नलकूप उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और विश्व बैंक के अध्यक्ष मैकनेमारा साहब जो यहां आए हुए हैं क्या सिंचाई मंत्री जी ने उनसे कोई सम्बन्ध स्थापित किया, उनसे बातचीत की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह बात सही है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष यहां आये थे, उनसे बात हुई और हमने सवा छः हजार ट्यूबवेल की मांग की है। इस सम्बन्ध में हम लिखा-पढ़ी कर रहे हैं तेजी से, लेकिन जब तक ये स्वीकृत नहीं हो जाते, तब तक उन पर क्या कार्यवाही की जाय।

श्री बिहारी लाल—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनपद नैनीताल के तराई क्षेत्र को हर चीज से वंचित किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है । सब जगह का आपने जिक्र किया । यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । नैनीताल जनपद के तराई क्षेत्र के लिए नलकूप की व्यवस्था करेंगे, माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलाने का कष्ट करें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह जो सेलेक्शन हुआ था इसमें सिंचाई विभाग एग्रीकल्चर विभाग और वर्ल्ड बैंक के लोगों ने बठकर सारी बातें देखी थी कि कहां पर ट्यूबवेल लगा सकते हैं । मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि जब नई योजना आयेगी तब विचार कर लिया जायगा ।

श्री मुईद अहमद—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन जिलों का नाम लिया है उनमें सुल्तानपुर का नाम नहीं आया है जब कि सुल्तानपुर सिंचाई के क्षेत्र में ही क्या गरीबी के क्षेत्र में भी पिछड़ा है और सिंचाई के साधन अभी वहां उपलब्ध नहीं हैं । क्या उन जनपदों में जहां सिंचाई के साधन अभी भी नहीं हो पाए हैं, जो क्षेत्र ज्यादा वंचित हैं, उन जनपदों में, उन क्षेत्रों में अधिक नलकूप देने का प्रयास करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है । ऐसे जिलों में जहां यह सुविधा अभी नहीं है उनके लिए जब वर्ल्ड बैंक की स्कीम आ जायगी तब देख लिया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि ये जो आपके नलकूप लग रहे हैं वर्ल्ड बैंक की सहायता से, 1982 तक आपका प्रस्ताव है कि इतने पूरा करा देंगे, आप का बिजली विभाग क्या इस बात की कोशिश करेगा कि ये जो 500 नलकूप लगाए जाने वाले हैं इनको बिजली वगैरह सब चीज देकर 1982 तक चालू कर दिया जायगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

इसमें तो यह शर्त है कि जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम है अगर उसको ठीक से नहीं करेंगे तो भविष्य में हमारे लिए दिक्कत होगी । इसलिए जाहिर है कि इसको 1982 तक पूरा करना है और पूरा किया जायगा ।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि ये जो 500 नलकूप का जिलेवार वितरण माननीय मंत्री जी ने बताया इसका आधार क्या है आबंटन का और बरेली जिले में सिंचाई साधन बहुत कम हैं, पूरे जिले में 40–45 ट्यूबवेल्स हैं उसको इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया ।

श्री चेतराम गंगवार--

मेरा प्रश्न यह है कि आवंटन का क्या आधार है ? आपके स्टेट मिनिस्टर वहां गए, उन्होंने कोई सर्वेक्षण कराया या आपकी कोई ऐसी स्कीम थी जिस आधार पर आपने आवंटन कराया है ? जैसे मेरी बरेली जिले की कास्टीटुयेन्सी में एक भी नलकूप नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गंगवार जी, इसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि सिंचाई विभाग और दूसरे विभाग तथा वर्ल्ड बैंक के लोगों ने सर्वेक्षण किया और जहां उचित समझा ग्राउन्ड वाटर के हिसाब से आवंटन किया ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा होने का एक कारण पूर्वांचल का यह भी है कि वहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं, गोरखपुर में एक भी इस तरह का ट्यूबवेल नहीं है । इसलिए क्या मंत्री जी हर जिले से एक ट्यूबवेल काटकर गोरखपुर में लगाने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री जयदीप सिंह--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को देखते हुए कि जो खादर के क्षेत्र हैं, जोकि नदियों के किनारे पड़ते हैं, ऊंचे-नीचे रहते हैं वहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है । इसलिए क्या मंत्री जी ऐसे खादर के क्षेत्रों को इस स्कीम के अन्तर्गत विशेष प्राथमिकता देकर ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो जनरल ट्यूबवेल लगते हैं और जो यह वर्ल्ड बैंक के ट्यूबवेल हैं इनमें अन्तर है । विश्व बैंक के ट्यूबवेल में काफी बातें देखनी पड़ती हैं । उसमें देखना पड़ता है कि ग्राउन्ड वाटर उपलब्ध है या नहीं, क्लस्टर ट्यूबवेल चलेगा या नहीं, और भी कई बातें देखकर विचार किया जाता है, जो जनरल ट्यूबवेल हैं उसमें हम कहीं भी ट्यूबवेल लगा सकते हैं । वर्ल्ड बैंक की स्कीम में ऐसा नहीं कर सकते हैं । उसमें मनमानापन नहीं कर सकते हैं ।

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि बुन्देलखंड जहां कि सिंचाई के साधन बहुत कम हैं इस विश्व बैंक की 500 ट्यूबवेल बनाने की योजना में उसको क्यों छोड़ दिया गया है । दूसरी बात यह है कि जो विश्व बैंक की सहायता से ट्यूबवेलों का जाल बिछाने की बात कही गई है उसमें मैंने सुझाव दिया था कि बुन्देलखन्ड को इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जायेगी, क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जो हमारे जनरल ट्यूबवेल हैं जहां हम लगा सकते हैं और हमें थोड़ी दिक्कत भी होती है जैसे पहाड़ का क्षेत्र है, बुन्देलखन्ड है, जहां पर कम पानी मिलता है, वहां हम लगा लेते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो यह स्कीम है, इसके अनुसार हम वहीं लगा सकते हैं जहां पर जितनी भी उनकी औपचारिकतायें हैं, वे पूरी हो जायं।

श्री भगवती सिंह विशारद--

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने 500 ट्यूबवेलों की एक तालिका सदन में प्रस्तुत की। मैं जानना चाहता हूं कि जो जिले इस तालिका में सम्मिलित नहीं हैं, भविष्य में नलकूप लगाने के संबंध में अगर कोई योजना शासन की ओर से तैयार की जायेगी, तो जो ऐसे जिले बाकी रह गये हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि इन सब बातों को देखकर ही ट्यूबवेल लगाये जाते हैं। छठी पंच वर्षीय योजना में हम 8 हजार ट्यूबवेल लगाने जा रहे हैं। विश्व बैंक की सहायता से जो नलकूप लगाये जायेंगे, उनके लिये कुछ टर्म्स एड कन्डीशन्स होती हैं और उनके अनुसार ही काम करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारे जनरल ट्यूबवेल लगते हैं, उनके लिये हमारे सिंचाई विभाग के एक्सपर्ट्स हर जिले में जाते हैं, आप के जिले में भी जायेंगे, और देखेंगे कि वहां लगाया जा सकता है या नहीं। जहां हो सकता है, वहां लगाने की व्यवस्था की जायगी।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की टीम ने जो सर्वेक्षण किया, उसके आधार पर ट्यूबवेलों का डिस्ट्रिब्यूशन हुआ क्या उसमें अन्य दलों के लोग सिंचाई विभाग या दूसरे विभाग के लोग भी गये थे और उसमें जिन जिलों का सर्वेक्षण नहीं हुआ जैसे देवरिया का सर्वेक्षण नहीं किया गया। उत्तरांचल का पडरौना क्षेत्र जहां नहरों की वजह से वाटर लेवल बहुत हाई हो गया है और वहां की जमीन के ऊसर होने की सम्भावना है, तो क्या मन्त्री जी ऐसी जगहों में जहां वाटर लेवल हाई हो गया है और जमीन ऊसर हो सकती है, वहां पर कोई व्यवस्था ट्यूबवेल बनाने की, चाहे अपने माध्यम से हो, करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, वहां तो गंडक कमांड एरिया में ढाई सौ ट्यूबवेल लगाने की स्कीम बनी हुयी है जिस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया कि टैकनोक्रियन्स और सिंचाई विभाग के इन्जीनियर्स और वर्ल्ड बैंक के लोगों ने सर्वेक्षण किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि बुन्देलखंड और रूहेलखंड जिलों के बारे में भी कोई रिपोर्ट सबमिट की गयी ? यदि की गयी, तो वह क्या है, बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मन कहीं नहीं कहा कि हर जिले का स क्षण किया । मैंने कहा भविष्य म कोई योजना बनायेंगे तो हर जिले को देखा जायेगा । इस समय जो उन्होंने किया उसम यह जरूरी नहीं है कि हर जिले का सर्वे किया हो जितना हो सका वह किया ।

श्री जयदीप सिंह--

अभी माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया वह वहां कहा जो मैंने कहा जिस बात को सब जानते हैं, शासन भी जानता है कि जो खादर वा इलाका है, जो नदियों का इलाका है, वहां क्लस्टर में ट्यूबवेल बनाने की योजना ह, तो फिर क्या कारण ह कि जो सबसे उपयोगी क्षेत्र ट्यूबवेल के लिये हैं वहां नहीं लगाये जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा जहां कहीं सम्भव होगा, जहां इस योजना में नहीं लगाये गये ह, भविष्य में उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कुछ ट्यूबवेल लगाने की वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, कुछ इनके विभाग की है और कुछ निगम की स्कीम है तथा कुछ क्षेत्रीय परियोजना में ट्यूबवेल लगाये जाते हैं । यहां पर एक भ्रम हो गया है, जो तालिका मन्त्री जी ने प्रस्तुत की है, उससे माननीय दस्यों को भ्रम हो गया है कि हमारे यहां कोई ट्यूबवेल की योजना नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न संगठनों से जो नलकूप लगाये जाते हैं जिलेवार कितने नलकूप किस संगठन द्वारा लगाये जा रहे हैं, कोई सूची उसकी माननीय सदस्यों को इस सदन में नहीं तो इसके बाद वितरित करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी तक जो सवाल पूछे गये उसका उत्तर तो यही है जो मैंने दिया है । लेकिन मोहन सिंह जी ने जो जानकारी चाही है कि हर जिले में कितने ट्यूबवेल लगाने की योजना है और किस तरह से लगेंगे तो यह मैं कैसे बता दूं कि भविष्य में इतने लगेंगे ।

श्री मोहन सिंह--

मैं निवेदन कर रहा हूं कि सूची वितरित करा देंगे जिससे हमें मालूम हो जाय कि हमारे जिले में इतने ट्यूबवेल लगने हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह तो जो हमारे विभाग की पुस्तिका बंटी है उसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं उसमें देख लेंगे तो मालूम हो जायेगा कि क्या योजना है और क्या प्लान है । उसमें दिया हुआ है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैं माननीय मन्त्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं एक तो यह कि पर्वतीय क्षेत्र में ट्यूबवेल नहीं लग सकते हैं वहां के लिये आपने विश्व बैंक की ओर से क्या योजना बनायी है जिससे सिंचाई हो सके। दूसरी बात यह कि आपने यह नहीं बताया कि विश्व बैंक से कितना रुपया लिया है और उसमें क्या ब्याज दर है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य बतायें कि अल्मोड़ा में वह कहां ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं। नैनीताल के तराई एरिया में ट्यूबवेल हम लगा रहे हैं और सुविधायें भी दे रहे हैं। लेकिन जहां पर पत्थर है ट्यूबवेल लग नहीं सकते हैं वहां कैसे लगायेंगे।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मेरी बात माननीय मन्त्री जी के पल्ले नहीं पड़ी। मैं बताना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में तराई को छोड़कर अन्यत्र कहीं ट्यूबवेल नहीं लग सकते हैं, तो वहां जो भूमि असिंचित है, उस भूमि को सींचने के लिये आपने क्या योजना बनाई है ? और आपने इस कार्य के लिये विश्व बैंक से कितना रुपया लिया है और उसकी ब्याज दर क्या है ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें....

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कानपुर जिले के शहबाजपुर में रामगंगा नहर के कटाव से फसल को क्षति तथा मुआवजा

*11--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि गांव शहबाजपुर जनपद कानपुर में जो रामगंगा नहर 54 किलो मी0 610 मीटर पर विगत 9 अगस्त, 1980 को नहर में पानी की अधिकता के कारण कटी थी और जिससे कई गांवों की फसलें बर्बाद हुयी थी, उसका प्रमाणीकरण 18 नवम्बर, 1980 को अधिशाषी अभियन्ता ने स्वयं मौके पर जाकर किया था तथा उन्होंने लगभग 1 1/2 (डेढ़) हजार एकत्र किसानों की मौजूदगी में फसल-पीड़ित किसानों को मुआवजा पाने का पात्र अधिकारी होना घोषित किया था ? यदि हां, तो जिन-जिन गावों के जिन-जिन किसानों की फसल बर्बाद हुयी थी उन्हें मुआवजा कब दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 9 व 10 अगस्त, 1980 की रात्रि में जनपद कानपुर के अन्तर्गत ग्राम शहबाजपुर के पास पश्चिमी इलाहाबाद शाखा नहर कट गई थी जिसका कारण क्षेत्र में भारी वर्षा व अरिन्द व पाण्डु आदि नदियों का भीषण बाढ़ के जल में

नहर का पानी मिल जाने तथा सूखे के समय नहर पटरी पर कटने के स्थान पर कृषकों द्वारा अवैधानिक रूप से लगाये गये और छिपाये गये पाइप थे जिससे क्षेत्र के 8 ग्राम प्रभावित हुए तथा 100 एकड़ फसल में 50 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई ।

18-11-80 को अधीक्षण अभियन्ता के निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित कृषकों को उनके द्वारा यह बताया गया था कि मामले की विस्तृत जाँच कराई जा रही ह तथा जांचोपरान्त निर्णय लिया जावेगा । नहर के कटने से क्षतिग्रस्त क्षेत्र को मुआवजा देने के कागजात तैयार कराये जा रहे हैं जो यथा सम्भव तीन माह के अन्दर बांट दिया जावेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो बहुत स्वविवेकी हैं, ऐसा मैं मानता हूं और मैं कल इनके भाषण से प्रभावित भी हुआ । लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इस मामले में माननीय मंत्री जी अपने विवेक की इस्तेमाल नहीं कर पाये । मान्यवर, देखिये यह नहर अपने आप कट गई और कई गांवों में पानी भर गया, फसलें डूब गईं और कई मकान गिर गये और यह बता रहे हैं कि 50% ही फसल का नुकसान हुआ । जब फसल में पानी भर जायेगा और बरसात के दिन है, जहां पानी निकल नहीं सकता है, तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में 50 प्रतिशत फसल का नुकसान कैसे होगा ?

नुकसान 100 प्रतिशत हुआ क्या यह सही नहीं है ? उनके विवेक में यह बात आती है कि 50 प्रतिशत आपका नुकसान हुआ है ? अगर नुकसान हुआ है तो 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है । इसी तरह का एक प्रश्न आया था 28 जनवरी, 1981 को जिसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जितना भी नुकसान हुआ है, उसका वह पूरा मुआवजा दिलायेंगे । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो नुकसान हुआ है इसको 100 प्रतिशत का नुकसान मानकर, अपने पूरक प्रश्न का उत्तर जो उन्होंने 28 जनवरी को दिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए, क्या उसी हिसाब के मुआविजा दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर में साफ दिया गया है कि 50 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई । तो इस अधिक में 50 से ऊपर 80 या 90 या 100 प्रतिशत भी हो सकता है । 8 गांव जिनकी फसल को क्षति पहुंची है, जितना भी नुकसान हुआ है, उन्हें सबका पूरा मुआवजा दिया जायेगा, इसमें कोई कटौती नहीं की जायेगी ।

पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति पर लगाई गई रोक

*12--श्री हरिवंश सहाय (अनुपस्थित) ।

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 1980 व 1981 को रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदा लाल चौधरी)--

पिछड़े वर्ग के छात्रों की सभी छात्रवृत्तियां नहीं रोकी गई हैं केवल दश-मोत्तर कक्षाओं को नवीन छात्रवृत्ति की स्वीकृति रोकी गई है क्योंकि यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

जिला चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के झूला पुल

*13.--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 78-79 और 79-80 में जिला चमोली तथा जिला पौड़ी गढ़वाल में किन-किन स्थानों पर झूला पुल स्वीकृत हुये हैं ? दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 तक प्रत्येक झूला पुल पर कितने प्रतिशत कार्य हुआ है और कब तक ये झूला पुल बनकर तैयार हो जायेंगे ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

वांछित सूचना संलग्न तालिकानुसार है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1021 पर)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पुल 1978-79 में मंजूर हो गये थे और आपने अपने पूरक प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें 1983 तक बनाने की बात है, कई-कई पुलों का तो उसके बाद बनाने की बात हुई है, तो जब उसके लिए रुपया मंजूर कर दिया गया, तो उसके न बनने के क्या कारण हैं ? कौन सी आपत्ति है झूला पुल बनाने में जब कि सब सुविधायें उसके लिए उपलब्ध हैं, तो उसके बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, इसमें से 4 पुल 1981 में बन जायेंगे, 5 पुल 1982 में बन जायेंगे और 7 पुल 1983 में बन जायेंगे । इन झूला पुलों के बनाने में शीघ्रता की जा रही है और कुछ देर साइट एप्रोचेबिलिटी के कारण और कहीं कम्पोनेन्ट के अभाव के कारण देर हुई, परन्तु उनको तेजी से निर्माण कार्य कराने की व्यवस्था कराने की चेष्टा की जा रही है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, यह प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि झूला पुलों के लिये स्थान यानी साइट देखी जा रही है । जहां तक उनके साइट देखने का सवाल है, हमको ऐसी सूचना है कि जो पुराने पुल हैं, वहां मोटर रोड बन जाती है तो उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है । वहां पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है । उन झूला पुलों के निर्माण में कोई दिक्कत की बात नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी उनके निर्माण में विलम्ब जो हो रहा है, क्या कठिनाई आ रही है, जबकि इतना बजट स्वीकार किया जा रहा है, इस प्रकार की कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती, तो फिर उन पुलों के बनने में क्यों इतना विलम्ब हो रहा है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, 13 पुलों के बनाने में तीन साल लग जाते हैं । 1978-79 में जो पुल के निर्माण का कार्य होना था उनमें से कुछ तो इसी वर्ष पूरे हो जायेंगे और बाकी पूरे किये जा रहे हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

जो पुल मान्यवर, ऐसे हैं जहां मोटर रोड बन जाती है, उनके बनाने में दो-तीन क्या एक साल का समय लगता है । मान्यवर, मंत्री जी कहते हैं कि निर्माण का कार्य तीन साल में समाप्त होता है । इसीलिये मैंने यह सवाल किया था कि जो काम करते हैं उस कार्य में तीन साल लगते हैं तो इसीलिये उन पुलों का काम खतम करने में बड़ी कठिनाई हो गयी । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस पर अविलम्ब कार्य किया जाय और इन्हें तीन साल का समय नहीं देंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, जो हमारे अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हैं, उनके माध्यम से प्राप्त सूचना है । उनका स्पष्ट कथन है कि साइट-एक्वीजिबिलिटी तथा कुछ अन्य कारणों से विलम्ब हो सकता है । मैंने पहले ही निवेदन किया है कि इसमें से कुछ, 4 इसी वर्ष 81 मे पांच 82 में और 17 जो हैं 83 में पूरे करने जा रहे हैं, तो इसमें तो शीघ्रता की ही जा रही है ।

जौनपुर जिले की जगदीशपुर पम्प कैनाल में पानी की कमी

*14--श्री प्रभूनारायण सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद में स्थित जगदीशपुर पम्प कैनाल गत दो वर्षों से अपनी क्षमता भर पानी नहीं दे रही है और कृषकों को सिंचाई की घोर असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पम्प कैनाल से पूरी क्षमता भर सिंचाई कराने की शीघ्र व्यवस्था करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, जनपद जौनपुर स्थित जगदीशपुर पम्प कैनाल का ट्रान्सफार्मर दिनांक 8-10-1979 से जल जाने तथा अन्य विद्युत दोषों के कारण पम्प नहर लगभग दो वर्षों से पूर्ण क्षमता से पानी नहीं दे पा रही थी, जिससे किसानों को हुई असुविधा के लिए शासन को खेद है । विद्युत विभाग द्वारा ट्रान्सफार्मर आदि ठीक करा दिया गया है और अब जगदीशपुर पम्प नहर पूर्ण क्षमता से चल रही है ।

सीतापुर जिले की रहीमाबाद लिफ्ट नहर क्षेत्र में नलकूप निर्माण की मांग

*15--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड, सीतापुर द्वारा वर्ष 1979 में मुख्य अभियन्ता डाल सिंचाई से सीतापुर स्थित रहीमाबाद डाल सिंचाई क्षेत्र में 2 राजकीय नलकूप लगाने हेतु कुछ क्षेत्र खारिज करने की स्वीकृति चाही थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्षेत्र कब तक खारिज कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत संदर्भ 1979 में नहीं बल्कि 1980 में किया गया था । स्थिति पर विचार करने के बाद एक ही नलकूप लगाने के लिये क्षेत्र नहर कमाण्ड से अलग करना उचित पाया गया । तद्नुसार एक नलकूप छिन्नित कर दिया गया है ।

*16--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

[11वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवहन निगम गोण्डा डिपो की गाड़ियों से आय

*17--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह सितम्बर, अक्तूबर, 1980 में गोंडा डिपो की गाड़ियों की औसत आय प्रति किलोमीटर क्या थी तथा नवम्बर-दिसम्बर में व जनवरी, 1981 में गाड़ियों की औसत आमदनी में वृद्धि हुई है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषी कर्मचारियों को दंडित करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सितम्बर-अक्तूबर, 1980 में गोंडा डिपो की गाड़ियों की औसत आय प्रति किलोमीटर क्रमशः रुपया 1·66 एवं रुपया 1·92 थी । नवम्बर, 1980 व जनवरी, 1981 में गाड़ियों की औसत आमदनी में वृद्धि हुई । परन्तु दिसम्बर 1980 की औसत आय अक्तूबर, 1980 के आय के बराबर रही । आय में कमी नहीं आई है अतः कर्मचारियों को दंडित करने का प्रश्न नहीं है ।

बस्ती जिले की हर्रैया तहसील के अन्तर्गत घाघरा नदी से कटान

*18--श्री गौरी शंकर भंया (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के हर्रैया तहसील में घाघरा नदी के कटान से किनारे के गांव जमीन और राम जानकी मार्ग खतरे में पड़ गये ? यदि हां, तो क्या इस भू-भाग को बचाने के लिए सरकार के पास बांध तथा ठोकर बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रभावित ग्रामों की आबादियों की सुरक्षा हेतु ठोकर एवम् बांध निर्माण की योजना विचाराधीन है ।

इलाहाबाद जिले के झूंसी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बन्द नलकूप

*19--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के झूंसी निर्वाचन क्षेत्र में अनेक राजकीय नलकूप बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो वे कितनी संख्या में हैं तथा कितने दिनों से बन्द पड़े हैं तथा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इलाहाबाद जनपद के झूंसी निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 14 फरवरी, 1981 को 4 नलकूप यांत्रिक दोष व स्टार्टर की चोरी हो जाने तथा 2 नलकूप विद्युत् दोष के कारण बन्द थे ।

उक्त 6 नलकूपों में से 5 नलकूप माह जनवरी/फरवरी, 1981 से बन्द थे तथा एक नलकूप अप्रैल, 1980 से तार की लाइन काट लिये जाने के कारण बन्द रहा । सभी 6 नलकूप 17 फरवरी, 1981 से 24 फरवरी, 1981 के बीच चालू कर दिये गय हैं ।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

मान्यवर, आप स्वयं देखें, मैंने प्रश्न किया था कि कितने राजकीय नलकूप बन्द हैं, तो जवाब वह तो आया नहीं और दूसरी बात केवल 5 राजकीय नलकूप तो सिर्फ इसलिये बन्द थे कि उनके स्टार्टर चोरी चले गये थ, क्या यह जानकारी मन्त्री जी को है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो सूचना उपलब्ध है उसमें यह दिया गया है। किस-किस नम्बर के बन्द हैं, अगर माननीय सदस्य नम्बर बतायेंग, तो जानकारी देने में सुविधा होगी ।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

मैं नम्बर दे दूंगा । एक जानकारी और चाहता था कि तार कटी की वजह से बदरा सुनौटी ग्राम में एक नलकूप साल भर से बन्द है, क्या उसको भी शुरू करने की व्यवस्था कर रहे हैं और कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं है, नककूप संख्या 56, मिर्जापुर का बन्द था 8 फरवरी, 1981 से । यह 16 फरवरी, 1981 को चालू हो गया । इसी प्रकार एक ट्यूबवेल 31 जनवरी, 1981 को बन्द हुआ और 19 फरवरी, 1981 से चालू हो गया । एक 29 जनवरी, 1981 को बन्द हुआ 12 फरवरी, 1981 को शुरू हो गया । नम्बर 115 लाइन कटी की वजह से 24 जनवरी, 1981 को बन्द रहा और 2 फरवरी, 1981 को चालू हो गया ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मेरे यहां कोई एस० डी० ओ० सिंचाई विभाग का एक वर्ष से नहीं है, इसलिय देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं है । तो क्या मन्त्री जी इनकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात सही है कि बहुत जगहों पर असिस्टेंट इंजीनियर नहीं हैं क्योंकि हमारे पास उनकी कमी थी । अब सर्विस कमीशन से आ रहे हैं, नियुक्ति की जायेगी ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

जैसा उत्तर दिया गया है, मान्यवर, आपके भी क्षेत्र में नलकूप बन्द होंगे, मेरे क्षेत्र में बन्द पड़े हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो तमाम हजारों की संख्या में नलकूप बन्द पड़े हैं उनको चलवाने के लिये कोई ऐसी सर्वेक्षण अपने जिले के अभियन्ताओं से करा कर उस काम को पूरा कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय विशारद जी ने जो सवाल किया है इस पर सरकार ने गम्भीरता से विचार किया और जो शिकायतें माननीय सदस्य करते हैं कि जगह-जगह नलकूप बन्द पड़े हैं, तो जो राज्य मन्त्री हैं, वह इसीलिये रखे गये हैं कि वह इन चीजों को देखें । और जो कमी होगी मान्यवर, लोग रखे गये हैं, इस कमी को दूर किया जायेगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, यह तो और भी गजब हो गया । मन्त्री जी एक व्यक्ति के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप दे रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन इस सम्बन्ध में क्या कर रहा है । शासन की तरफ से भी तो कुछ कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

शासन की ही कार्यवाही बता रहे हैं ।

श्री ऊदल--

मैं कुछ पूछना तो नहीं चाहता था लेकिन आपका आदेश है, तो पूछ रहा हूं मैं यह जानना चाहता हूं और व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर भी कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में कम से कम 500 नलकूप विद्युत् के अभाव में 2 वर्ष से, ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष, डेढ़ वर्ष या 6 महीने से उनको लाइन नहीं मिली है । क्या इसका सर्वेक्षण आप करायेंगे और राज्य मन्त्री को आदेश देंगे कि इसकी जांच करायें ? श्रीमन्, मेरे ही क्षेत्र में हुआ है, इसलिये मैं बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहुत व्यापक प्रश्न है । अलग से इस सम्बन्ध में प्रश्न करिये ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी कोई स्पष्ट यह घोषणा करेंगे कि इस ऐरेन्जमेन्ट के आधार पर, कुआं वगैरह बनने के कितने समय के अन्दर विद्युत् देकर इसे आप चालू करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह सब इसीलिये किया गया है कि इतने दिन में शुरू होना चाहिये । अब यह किया जा रहा है कि ज्यों ही वहां पर पम्प हाउस और सारी चीज बन जाने के बाद तुरन्त ही बन जाना चाहिये इसके लिये दोनों विभाग के इन्जीनियर बैठकर देख रहे हैं । इसमें बहुत सी शिकायतें भी थीं जिनमें से बहुत सी शिकायतें दूर भी हो गई ह लेकिन अब भी कुछ बाकी हैं और उसके लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं था । मेरा प्रश्न यह है कि जब कमान्ड एरिया और सारी चीजें स्पष्ट हैं तो यह जो नई आपने व्यवस्था की है उस व्यवस्था के आधार पर क्या शासन ने कोई यह निर्णय लिया है कि यह नई व्यवस्था करने के बाद जो कुआं बनकर तैयार होगा उसका कितने समय में विद्युतीकरण कर लिया जायेगा । यह कोई टाइम फिक्स किया है या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह सब छानबीन करके किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तय किया जाय ।

मध्य गंगा परियोजना की लखावटी बांच का समरेखन

*20—श्री किरन पाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मध्य गंगा परियोजना की लखावटी बांच का समरेखन (एलाइनमेंट) जो कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, को एकायक बदल दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कि0 मी 00 से कि0 मी0 7 के पूर्व स्वीकृत समरेखन को तकनीकी कारणों तथा ग्राम रसूलपुर के कृषकों की शिकायतों पर विभिन्न विकल्पों पर सर्वेक्षण कर संशोधित किया गया है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर में रविदास जयंती के अवसर पर हुये काण्ड की जांच की रिपोर्ट

**1—श्री मेंहदी असगर (अनुपस्थित), श्री भोला लाल (अनुपस्थित) तथा श्री मन्जूर अहमद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 11–12 फरवरी, 1979 को जनपद मुजफ्फरनगर में रैदास जयंती के अवसर पर जो काण्ड हुआ था उसकी न्यायिक जांच हेतु सरकार द्वारा कोई आयोग गठित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी हां। एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखा जायेगा ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुयी और कब तक इस पर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

20–5–80 की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुयी, 4–2–81 को इसे मंत्रिपरिषद् के सामने रखा गया। उसके बाद 18–2–81 को प्रेस में भेज दिया गया और जैसे ही वहां से छप कर आ जायेगी उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री ऊदल की रुचि पर लिया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

20-5-80 को यह रिपोर्ट प्राप्त हो गयी और इसमें स्पष्ट रूप से जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 को इस सारे कांड के लिए दोषी ठहराया गया ? यदि हां, तो इन दोनों के विरुद्ध क्या-क्या मुख्य दोष लगाये गये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जैसा मैंने अर्ज किया जो रिपोर्ट शासन को मिली है, उसे छपवाने के लिए भेजा हुआ है । जैसे ही छप कर आयेगी, प्रकाशित करा दी जायेगी और तब सारे तथ्य माननीय सदस्यों को भी बता दिए जायेंगे ।

श्री हुक्म सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उस रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल में विचार हुआ था, तो जो रिपोर्ट होगी उसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी और शासन को अवश्य होगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट के अनुसार कितने अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

ये सारी सूचनायें उस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद ही दी जा सकेंगी ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह रिपोर्ट मई, 1980 में प्राप्त हो गयी थी और उस पर मैंने सप्लीमेंटरी भी किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उसमें स्पष्ट रूप से यह दिया हुआ है कि जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 दोषी ठहराये गये ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही वे कर रहे हैं ? और उन पर क्या-क्या मुख्य दोष हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो आवश्यक कार्यवाही हो सकती है रिपोर्ट पर वह होगी लेकिन उसमें क्या है, यह प्रकाशित होने पर ही बताया जा सकता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का उत्तर बड़ा ही बचकाना है । करीब 10 माह पहले शासन को यह रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और माननीय मन्त्री जी की कृपाल नजरों से वह रिपोर्ट गुजरी भी होगी और माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी भी हो गयी होगी कि कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं और जब यह मालूम है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है ? क्या माननीय मंत्री जी इतना आश्वासन सदन को देंगे कि उस रिपोर्ट में जिन-जिन अधिकारियों के विरुद्ध दोष आरोपित हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही वे करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

रिपोर्ट में जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होगी । रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद जब हो जायेगा तो गजट होगा और तभी विस्तृत सूचना इस सम्बन्ध में दी जा सकती है ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । यह रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है और प्रेस में छपने भी गयी हुयी है । गवर्नर एड्रेस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजट पर इस विषय पर चर्चा भी हो चुकी है । उस रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और एस० एस० पी० दोषी पाये गये हैं । इसी पर जब आपने अल्पसूचित प्रश्न भी स्वीकार कर लिया, तो मंत्री जी का यह कहना कहां तक उचित है कि जिस समय रिपोर्ट प्रकाशित होगी तब वे बतलायेंगे ? इसमें 2–3 साल का समय भी लग सकता है ।

श्री अम्मार रिजवी--

यह रिपोर्ट 18–2–81 को प्रेस भेज दी गयी है और उसकी छपायी हो रही है । उसके बाद गजट में वह प्रकाशित होगी । तब सारी चीजें माननीय सदन के सामने आ जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष—

उस रिपोर्ट में क्या आपको पता है कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट है और क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले यह बताना जनहित में नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इस पर सदन में चर्चा भी हो गयी है । तो मंत्री जी का यह कहना कहां तक सही है कि वे रिपोर्ट प्रकाशित जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बतायेंगे, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने इतना तो स्पष्ट करते हुये कहा है कि कार्यवाही हो रही है, मगर बताना इस समय जनहित में नहीं है ।

श्री हुकम सिंह—

मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या कोई अधिकारी, चाहे वे कोई भी हों चाहे जिलाधिकारी हों या एस० एस० पी० हों या और कोई हों, दोषी पाये गये हैं या उस रिपोर्ट में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहूंगा कि जो भी अधिकारी दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है । ब्यौरा थोड़े दिन बाद दिया

जायेगा, आप रिपोर्ट प्रकाशित होने तक प्रतीक्षा करें । बाद को आपको सब पता चल जायेगा इतना मैं आश्वासन देना चाहता हूं । रिपोर्ट में जो भी दोषी पाये गये हैं, उनको छोड़ा नहीं जायेगा ।

राजकीय अन्ध विद्यालय, आर्य नगर, लखनऊ के छात्रों का निष्कासन

**2--श्री जमुना प्रसाद, श्री सन्त बक्श रावत तथा श्री राम सागर--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अन्ध विद्यालय आर्य नगर, लखनऊ के 5 नेत्रहीन छात्रों का निष्कासन दिनांक 10-12-80 को किया गया है ? यदि हां, तो कारण क्या है और उनकी परीक्षा जो शीघ्र होने वाली है सरकार ने उसका क्या प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी हां ।

छात्रों द्वारा उदण्डता, अनुशासनहीनता करने तथा अन्य छात्रों को अनुशासनहीनता एवं उद्दण्डता हेतु प्रेरित करने तथा विद्यालय की शान्ति व्यवस्था भंग करने के कारण दिनांक 10-12-80 को तीन नेत्रहीन छात्रों को तथा 18-12-80 को दो नेत्रहीन छात्रों को विद्यालय से निष्काशित किया गया था । किन्तु 4-3-81 को लिखित क्षमा याचना के बाद इन्हें पुनः विद्यालय में वापिस ले लिया गया है और वे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ।

श्री सन्त बक्स रावत--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सम्बन्धित छात्रों ने अनुशासनहीनता सम्बन्धी क्या कार्य किये ? और क्या यह सही है कि सम्बन्धित छात्र शासन द्वारा प्रदत्त सुविधायें नहीं पा रहे थे, जिसके पाने की वह मांग कर रहे थे ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

अनुशासनहीनता में यह है कि वह विद्यालय में ताला लगा दिये थे, नारा लगाया था और गाली-गलौज किये थे तथा एक छात्र को उन्होंने फिजिकली एसाल्ट किया था यानी उसे मारा पीटा था ।

श्री सन्त बक्स रावत--

मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर अभी नहीं आया है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

उनकी मांगें यह हैं कि जो उन्हें छात्रवृत्ति आदि मिलती है वह कम है और सुविधायें और कुछ दी जाएं और जो उनके प्रशिक्षित आदमी हैं--बेंत कला आदि में, उनको नौकरी पर लगाया जाए, तो यह अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष है, इस पर हम विचार कर रहे हैं, छात्रवृत्ति को 70 रुपये के बजाय 100 रुपया कर दिया गया है । उनको यथासम्भव और अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं । कल वे लोग आए भी थे मेरे पास, वे सब सन्तुष्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री सत्य बख्श रावत—

मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि उन लोगों ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है, केवल नारे लगाये हैं और यह हर नागरिक का अपनी मांगों के लिए नारे लगाने का अधिकार है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने अनुशासनहीनता की यह कार्यवाही की है तथा उन्हें विद्यालय से निकाला है, उनके विरुद्ध भी वह कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, अभी बता चुका हूं माननीय सदस्यों को कि वे लोग मेरे पास आये थे, वे सभी अन्धे छात्र हैं, उनकी बातें सुनी और जो बातें हुयीं उनसे उन्हें संतोष हो गया है । अब उनकी कोई बात नहीं रह गयी है ।

श्री राम सागर—

माननीय मंत्री जी इस वर्ष विकलांग वर्ष मना रहे हैं । इन विकलांग छात्रों ने अपनी समस्याओं के बारे में एक मांग-पत्र अपने विद्यालय में दिया था । लेकिन प्रधानाचार्य ने यह कहा कि जब तक वे अपने मांग-पत्र को वापस नहीं लेंगे तब तक उनको विद्यालय में पुनः नहीं रखेंगे और बार-बार उनको यह कहते रहते हैं कि लिखित रूप से माफी मांगिए । इस प्रकार से वे 2 माह से अनुपस्थित रहे । तो जो प्रार्थना-पत्र उन्होंने शासन को दिया क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराकर इस प्रकार की दमन की कार्यवाही को रुकवाने की कृपा करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

अब कोई शिकायत नहीं है पर यदि कोई होगी भी तो उसे भी दिखवा लूंगा ।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर परिवहन निगम के ए० आर० एम०, श्री फाजिल के विरुद्ध शिकायतों की जांच

1—श्री मोती लाल वेहलवी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के ए० आर० एम० श्री फाजिल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र दिनांकित 30 सितम्बर, 1980 के जो उत्तर मुख्य मंत्री व परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव श्री राम निवास शर्मा तथा उनके द्वारा क्रमशः पत्रांक एम०/4424-स०० एम०-80, दिनांकित 24-10-80 व अ० शा० पत्रांक 114—(वी० आई० पी०)-31-1-80, दिनांकित 31 अक्तूबर, 1980 तथा पत्रांक 1518/10-80, दिनांकित 24-10-80 दिये गये हैं, के सम्बन्ध में क्या जांच करायी जा चुकी है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कब करायी गयी और कब समाप्त हुई तथा जांच परिणाम क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच निगम के उप प्रबन्ध प्रबन्धक (मध्य जोन) लखनऊ को 21-11-80 को सौंपी गयी है । जांच अधिकारी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुयी है । जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होते ही मामले में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

बस स्टेशन अरौल, कानपुर का बुकिंग क्लर्क

2--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या परिवहन मंत्री 1980 के प्रथम सत्र के सातवें बुधवार की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अरौल, जनपद कानपुर में बनाये गये बस स्टेशन में कोई बुकिंग क्लर्क नियुक्त किया गया है और वहां विधिवत् बसें रुक रही हैं ? यदि हां, तो बुकिंग क्लर्क कौन है तथा कौन-कौन बसें कब से रुक रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

अरौल बस स्टेशन पर दिनांक 6 दिसम्बर, 1980 से प्रयोगात्मक रूप से एक वरिष्ठ परिचालक को तैनाती बुकिंग हेतु की गयी है ।

इस स्टेशन पर पिछले कई वर्षों से निम्नलिखित सेवायें रुक रही हैं ।

1--कानपुर-घिरोर

2--कानपुर-मैनपुरी

3--कानपुर-मकनपुर

4--कानपुर-आगरा

5--कानपुर-कन्नौज

इसके साथ ही दिनांक 7 फरवरी, 1981 से दो और सेवायें (1) कानपुर-फर्रुखाबाद, (2) उरई-कानपुर-कन्नौज भी रुक रही हैं ।

आपात काल में परिवहन निगम के परिचालकों की सेवा समाप्ति

3--श्री लललू सिंह चौहान--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति में दिनांक 30-9-75 को 76 स्थायी एवं अस्थायी परिचालक विभिन्न आरोपों में सेवा निवृत्त कर दिये गये थे ? क्या भारत सरकार ने 1976 में ऐसे आदेश दिये थे कि भारत सरकार राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के समस्त कर्मचारी जो आपात-काल में निकाले गये थे पुनः सेवारत कर दिये जाय ? क्या इन निकाले हुये रोडवेज कर्मचारियों में से अधिकांश को वापस नौकरी में लिया गया है ? जिन परिचालकों को अब तक सेवारत नहीं किया गया उनके नाम क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले के कुर्ना नाले पर रुहिया पुल का निर्माण

4--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के गंडक 6 के अन्तर्गत कुर्ना नाले पर रुहिया में पुल 4 वर्षों से बन रहा है ? यदि हां, तो कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, देवरिया जिले के गन्डक 6 के अन्दर कुर्ना नाले पर सहिया (सहिया नदी) में पुल वर्ष 1978 से बन रहा है । पुल मई, 1981 तक बनकर तैयार हो जायेगा ।

गोण्डा जिले के विकास क्षेत्र करनैलगंज के अन्तर्गत नलकूप

5--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद के विकास क्षेत्र करनैलगंज में कितने राजकीय नलकूप हैं ? राजकीय नलकूप द्वारा कितना सिंचित क्षेत्र है, राजकीय नलकूपों की संख्या इस क्षेत्र में और बढ़ाने की क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोण्डा जनपद के करनैलगंज विकास क्षेत्र में कोई राजकीय नलकूप कार्यरत नहीं है । केवल एक नलकूप संख्या--35 तरबगंज समूह प्रयोगात्मक आधार पर निर्माणाधीन है जिसका बी एण्ड एल फार्म विद्युत विभाग को जनवरी, 1981 में भेजा जा चुका है ।

राजकीय नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र शून्य है क्योंकि अभी उक्त नलकूप उर्जीकृत नहीं हुआ है ।

शासन द्वारा नलकूपों का आवंटन जनपद के लिये किया जाता है, जिस पर नलकूपों का जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लगाने का निर्णय जिला सलाहकार समिति, जिसके विधायकगण भी सदस्य होते हैं, की संस्तुति के अनुसार किया जाता है ।

कानपुर के सिकन्दरा स्थान में बस स्टेशन की स्थापना की मांग

6--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जनवरी, 1981 के तीसरे हफ्ते में किसी विधायक का इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि कानपुर जिलान्तर्गत सिकन्दरा में बस स्टेशन खोला जाय और सभी बसों को रुकने का आदेश दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

निर्धारित प्रतिमान से वित्तीय आय कम होने के कारण सिकन्दरा में बस स्टेशन खोला जाना सम्भव नहीं है । वैसे सिकन्दरा में मेल बसों को छोड़कर अन्य सभी बसें रुकती हैं ।

फैजाबाद के तहसील अकबरपुर में मखदूमपुर माइनर का सर्वेक्षण

7--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद का तहसील अकबरपुर के ग्राम अकबरपुर के अन्तर्गत कितनी माइनर्स किन गांव से निकाली जा रही हैं ? क्या उनका काम प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक पूरी हो जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

ग्राम अकबरपुर के उत्तरी भाग तथा पास के गौसपुर व मखदूमपुर ग्रामों की सिंचाई हेतु 2.8 कि0 मी0 लम्बी मखदूमपुर माइनर का सर्वेक्षण हो चुका है तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के उपरान्त इसका निर्माण कार्य प्रस्तावित है ।

फैजाबाद जिले के कोडरा माइनर के कटाव के कारण फसल की बोवाई न हो पाना

8--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में कोडरा माइनर के गत दो वर्षों के कटाव के कारण ग्राम मोहिनपुर व भरतपुर अंट की सैकड़ों बीघा जमीन बोई नहीं जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित किसानों को मुआवजा देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

कोडरा माइनर कि0 मी0 4.7 पर ऊसर भूमि में स्थित है जहां दाई पटरी कट जाती है । प्रत्येक बार मरम्मत शीघ्र कराई गई । माइनर का पानी समीप में एक नाले द्वारा बहकर लोनी नदी में चला जाता है । इस वर्ष रबी में नाले के किनारे लगभग 17 एकड़ निचली भूमि में फसल नहीं बोयी जा सकी । मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय जिलों के राजकीय हाई स्कूल एवं राजकीय इण्टर कालेज

9--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय 8 जिलों में वर्ष 1980-81 में (15 जनवरी, 1981 तक) किस-किस निर्वाचन क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर नये राजकीय हाई स्कूल तथा राजकीय इन्टर कालेज खोले गये हैं और इन स्थानों का चयन करते समय क्या उन निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों से भी परामर्श किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

विवरण संलग्न है ।

नवीन विद्यालयों के स्थानों का चयन करते समय माननीय विधायकों से समय-समय पर प्राप्त सुझावों तथा उनसे किये गये विचार-विमर्श और निर्धारित मानकों को ध्यान में रखा जाता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आग पृष्ठ 1023 पर)

अल्मोड़ा जिले के ग्राम सलना की पेयजल योजना

10--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सलना, विकास खण्ड द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा की पेयजल योजना का सर्वेक्षण कब हुआ था, कितनी धनराशि का व्यय अनुमानित था और कब पर्वतीय विकास पूर्ण हो जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

ग्राम सलना विकास खण्ड द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा की पेयजल योजना के लिये वर्ष 1980 की ग्रीष्म ऋतु में किये गये अनुसंधान कार्य के आधार पर कोई उपयुक्त गुरुत्व स्रोत उपलब्ध नहीं है ।

अतः इस ग्राम तथा आसपास के अन्य ग्रामों के लिये एक वृहद पंम्पिंग योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।

11--मित्रसेन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजकीय नलकूपों में प्रयोग होने वाली लोहे की जाली

12--श्री जयदीप सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजकीय नलकूपों में प्रयोग होने वाली लोहे की जाली स्ट्रेनर कालान्तर में जंग एवं अन्य रसायनिक एवं भौतिक कारणों से बद हो जाती है और नलकूप का पानी या तो बहुत कम हो जाता है अथवा नलकप बेकार हो जाता है ? क्या इस समस्या से निपटने के लिये कोई उपाय जैसे कि प्लास्टिक अथवा पोलीथीन की जाली का प्रयोग सोचा गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं, सामान्यतः नलकूप के निर्धारित कार्यकाल में ऐसा नहीं होता । केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पानी खारा मिलता है । खारे पानी की सिंचाई अधिकतर फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती अतएव ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतः नलकूपों का निर्माण नहीं किया जाता । पी० वी० सी० पाइप की जाली के प्रयोगात्मक रूप से इस्तेमाल के सम्बन्ध में अभी यह देखा जा रहा है कि वह कितनी मजबूत रहती है, कितना अधिक खर्च आता है और उससे कितना लाभ होगा ।

13--श्री श्याम नारायन तिवारी--

[28-1-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 170 द्वारा उत्तरित]

गाजीपुर जिले के नलकूप

14--श्री राम नरायन--

क्या सिंचाई मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में राजकीय नलकूप कितने हैं और वर्ष 1980 में कितने सिंचाई हेतु नलकूप सरकार द्वारा

आवंटित किये गये हैं ? क्या सरकार जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु 140 नये नलकूप आवंटित करने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर में 561 चलित राजकीय नलकूप हैं । वर्ष 1980–81 में इस जनपद के लिये सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 राजकीय नलकूपों का आवंटन किया गया । इसके अतिरिक्त 40 नलकूप विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत इस वर्ष तथा अगले वर्ष लगाए जाने हैं ।

वर्ष 1981–82 में नलकूपों के आवंटन के समय कुछ और नलकूप देने पर विचार किया जायेगा ।

जालौन जिले की बेतवा नहर की मरम्मत हेतु दी गई धनराशि

15—श्री शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद में अधिशासी अभियन्ता, बेतवा नहर प्रखंड प्रथम और अधिशासी अभियन्ता, बेतवा नहर प्रखंड द्वितीय को सिंचाई सुविधाओं हेतु वर्ष 1979–80 और वर्ष 1980–81 में कितनी–कितनी राशि आवंटित की गई थी किस–किस प्रखंड में किस–किस वर्ष कितनी–कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

निधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

श्री वीर बहादुर सिंह—

जालौन जनपद में सिंचाई सुविधाओं हेतु मदवार प्रदिष्ट धनराशि तथा व्यय खंडवार निम्न प्रकार से है :—

लेखा शीर्षक	वर्ष 1979–80				वर्ष 1980–81			
	वेतवा नहर, प्रखंड प्रथम, उरई		वेतवा नहर, प्रखंड द्वितीय, उरई		वेतवा नहर, प्रखंड प्रथम, उरई		वेतवा नहर, प्रखंड द्वितीय, उरई	
	प्रदिष्ट धनराशि	व्यय	प्रदिष्ट धनराशि	व्यय	प्रदिष्ट धनराशि	व्यय 1/81 तक	प्रदिष्ट धनराशि	व्यय 1/81 तक
						(लाख रुपये में)		
333—अनुरक्षण एवं मरम्मत	8.16	11.50	6.37	8.87	8.04	6.61	6.52	5.55
केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत सिंचाई तथा बाढ़ कार्यों की विशेष मरम्मत	..	..	..	..	0.50	0.06	0.50	0.39
533—निर्माण कार्य—								
1—राजघाट नहर परियोजना	10.00	11.01	32.00	32.73	5.00	3.10	20.80	21.00
2—गूल क्रासिंग का निर्माण	2.00	2.31	3.20	3.22	4.70	0.91	5.70	1.59
3—नहरों की सिंचन क्षमता की पुनः स्थापना	..	..	..	..	3.00	0.37	3.00	0.05
योग ..	20.16	24.62	41.57	44.62	21.24	11.05	36.52	28.58

16—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[6वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नलकूप खंड, शाहजहांपुर में कर्मचारियों की नियुक्ति

17—श्री राम औतार दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर में वर्ष 1977 से 1980 तक कार्य प्रभारित अधिष्ठान में नियुक्तियां अनियमित ढंग से बिना सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे की गईं ? क्या मुख्य अभियन्ता ने नई नियुक्तियां न करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप खंड, शाहजहांपुर की माप-पुस्तिका एवं मोल्डों का वजन

18—श्री राम औतार दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर में माप-पुस्तिका 1607 के पेज 43-46 पर अनुबंध संख्या 3/ईई/77-78 से 150 सी० सी० पाईप मोल्ड निर्धारित माप दंड से निम्न स्तर के स्वीकार किए गए थे ? क्या अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 15-5-78 को अपनी चेकिंग में इन मोल्डों का निर्धारित वजन से कम वजन का पाया था ? यदि हां, तो यह घटिया स्तर के मोल्ड किस आधार पर स्वीकार किए गए ? दोषी पर्यवेक्षीय अधिकारियों, जिन्होंने इस आपूर्ति पर पूर्ण भुगतान स्वीकृत किया था, पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ?

नलकूप खंड, शाहजहांपुर हेतु स्टार्टरों की खरीद

19—श्री राम औतार दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर में वर्ष 1978-79 में कितने स्टार्टर कितने नलकूपों के लिए उपलब्ध थे एवं अन्य कितने स्टार्टरों की मांग की गई ? कुल कितने स्टार्टरों का क्रय वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में किया गया ? क्या यह क्रय अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित (अधिकतम न्यूनतम) सीमा से अधिक किया गया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

टिहरी-गढ़वाल जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान

20—श्री विद्यासागर नौटियाल—

दिनांक 28 जनवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर के संदर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 तथा

1979-80 के अतिरिक्त भी व्यक्तिगत तौर पर संचालित मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को उनके क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार की ओर से कोई धनराशि स्वीकृत अथवा प्रदान की गई ? यदि हां, तो कब तथा कितनी धनराशि यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जनपद टिहरी-गढ़वाल में वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के पहले अथवा बाद में व्यक्तिगत तौर पर संचालित मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को उनके क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु कोई धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु अनुदान देने की कोई योजना इस विभाग के अन्तर्गत नहीं है ।

बाराबंकी जिले के नवाबगंज रजबहा के भवनियापुर अल्पिका का निर्माण

21--श्रीमती पार्वती देवी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में नवाबगंज रजबहा के कुलाबा नं0 168 से (भवनियापुर) अल्पिका, जिसके निर्माण हेतु विभागीय प्रस्ताव भी था, के सम्बन्ध में शासन को कुछ प्रार्थना-पत्र फरवरी, 1980 में प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

अल्पिका के निर्माण हेतु लम्बछिन्नक स्वीकृत किया जा चुका है । भूमि के अधिग्रहण होने पर निर्माण की कार्यवाही होगी ।

मुरादाबाद के डी0 एस0 एम0 इन्टर कालेज के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति

22--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के डी0 एस0 एम0 इन्टर कालेज के कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के कितने अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों ने वर्ष 1979 में छात्रवृत्ति लेने के लिए आवेदन पत्र दिये थे तथा उनमें से कितने स्वीकृत करके छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि अभी तक स्वीकृत धनराशि भी वितरित नहीं की गई ? क्या प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 27-1-81 को एक पत्र भी मंत्री जी का इस विषय पर मिला है ? यदि हां, तो कब तक बाकी छात्रवृत्ति दे दी जायेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जनपद मुरादाबाद के डी0 एस0 एम0 इन्टर कालेज के वर्ष 1979-80 में कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के कुल 189 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से 154 आवेदन पत्रों को स्वीकृत करके छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है ।

प्रश्न कर्त्ता का इस विषयक एक पत्र दिनांक 29-1-81 का मिला जिसे उचित कार्यवाही हेतु निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को भेज दिया गया है ।

बाकी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है ।

आजमगढ़ जिले के परिवहन विभाग में परिचालकों का चयन एवं सूची

23--श्री लालसा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ परिवहन विभाग में भ्रष्ट तरीकों से कुछ परिचालकों को नियुक्त करने हेतु बनी चुनाव की सूची वर्ष 1980 शासन द्वारा रद्द कर दी गई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से उक्त सूची से कुछ परिचालकों को ड्यूटी पर कार्य करने हेतु रक्खा गया जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? क्या सरकार इसकी पूरी जांच कर ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अविलम्ब उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद जिले के सिरसा माइनर के पानी से फसल को क्षति एवं नाले के निर्माण की योजना

24--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद, सोरांव तहसील के अन्तर्गत सोरांव रजबहा से निकलने वाली सिरसा माइनर के अतिरिक्त पानी के निकास के अभाव में बदलापुर, सेवइथ, संफपुर सदेवा, यूसुफपुर, तुलापुर, माधोपुर उर्फ सघनगंज के कितने क्षेत्र में बोई हुई विगत खरीफ की फसल एवं वर्तमान रबी की फसलें पानी से डूबे कर नष्ट हुई हैं ? यदि हां, तो नहर के पानी में डूबने से नष्ट खरीफ एवं रबी की फसलों का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । सिरसा माइनर की टेल ग्राम सेवइथ में स्थित तालाब से मिलती है । इस तालाब के पानी की प्राकृतिक निकासी का मार्ग ग्राम तुलापुर, यूसुफपुर, शेखपुर सठवा से होकर था जिसे ग्रामवासियों ने जोताई कर बुआई कर ली है । इस वर्ष की भयंकर वर्षा के कारण सेवइथ में स्थित तालाब में काफी पानी भर गया था प्राकृतिक निकास न होने के कारण पानी अभी तक भरा है । वर्तमान रबी की फसल में कुछ पानी सिरसा माइनर की टेल से भी उक्त तालाब म आ जाने के कारण कुछ फसल नष्ट हुई है । नियमानुसार नष्ट हुई फसल पर सिंचाई के महसूल में माफी देने की कार्यवाही की जा रही है ।

25--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के सोरांव तहसील की सोरांव रजवहा से निर्गत सिरसा माइनर के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु अविलम्ब नाला बनवाने की कार्यवाही हो रही है ? यदि हां, तो कब तक नाला बन जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इलाहाबाद जनपद के सोरांव तहसील में स्थित सोरांव रजवहा से निकली सिरसा माइनर की टेल से अतिरिक्त पानी के निकास तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वर्षा ऋतु में भरने वाले पानी के निकास के लिये एक नाला प्रस्तावित किया गया है जो इलाहाबाद जनपद के नालों के मास्टर प्लान में शामिल है। इस योजना के स्वीकृत होने तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य किया जायेगा ।

झांसी जिले के प्रोवेशन अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति

26—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के प्रोवेशन अधिकारी के द्वारा गत वर्ष में चतुर्थ श्रेणी पद के लिए कितनी नियुक्तियां की गयीं और कितने लोगों को पद मुक्त किया गया है किन परिस्थितियों में ?

श्री—छेदा लाल चौधरी—

गत वर्ष 1980 में प्रोवेशन अधिकारी, झांसी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के एक नवसृजित पद पर नियुक्ति की गई तथा एक कर्मचारी को विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दोषी पाए जाने के कारण सेवा से पृथक् किया गया ।

झांसी जिले के हरिजनों को बैंक से स्वीकृत ऋण

27—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष हरिजन समाज कल्याण विभाग झांसी में हरिजनों को स्वीकृत ऋण समयानुसार बैंक से वितरित क्यों नहीं कराया गया ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

हरिजनों को बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति सीधे दी जाती है इस सम्बन्ध में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है । जब बैंक सब प्रकार से संतुष्ट हो जाता है तभी ऋण का भुगतान करता है। वर्ष 1979-80 में एक हरिजन को बैंक द्वारा ऋण न देने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसका निपटारा जिलाधिकारी, झांसी के माध्यम से कराया जा रहा है ।

रुहेलखण्ड कैनाल डिवीजन की गहलुइया माइनर का निर्माण

28—श्री जयदीप सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गहलुइया माइनर जो कि रुहेलखंड कैनाल डिवीजन के अन्तर्गत किछा कैनाल से रिवोली हेड से निकाली गई है, पर कब कार्य प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ ? इस नहर में अब तक पानी छोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इस नहर में पानी छोड़ा जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

5.6 कि0 मी0 लम्बी गहलुइया माइनर का निर्माण वर्ष 1978 के माह फरवरी से आरम्भ हुआ था। नहर के शीर्ष के 1.4 किलोमीटर लम्बाई में भूमि न मिलने के कारण कार्य अपूर्ण है। भूमि अध्याप्ति होने पर नहर पूर्ण कर ली जाएगी और तब इस नहर में पानी छोड़ा जा सकेगा।

मुजफ्फरनगर के ग्राम सिकन्दरपुर में नलकूप निर्माण की मांग

29--श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

क्या सिंचाई मन्त्री को ग्राम सिकन्दरपुर, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर में तुरन्त नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 24-1-81 को लिखा हुआ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु ग्राम सिकन्दरपुर में 250 एकड़ रकबा एक स्थान पर ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें सिंचाई साधन न हो और राजकीय नलकूप लगाना सम्भव हो सके। उक्त ग्राम का कुल रकबा 993 एकड़ है जिसमें से 911 एकड़ रकबा गंगा नहर प्रणाली के कमाण्ड में है तथा शेष 82 एकड़ रकबा राजकीय नलकूप संख्या-44 जानसठ समूह एवं नलकूप संख्या-69 जानसठ समूह के कमाण्ड में है। इसके अतिरिक्त इसी क्षेत्र में 22 निजी विद्युत् नलकूप तथा 45 निजी आयल नलकूप भी स्थित हैं।

श्री झम्मनलाल शर्मा, उप-निदेशक, खेलकूद, लखनऊ द्वारा लिया गया डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन

30--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या खेलकूद मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्रसन् 1981 के पहले बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक खेलकूद ने सचिव, क्रीड़ा परिषद की अनुमति से वर्ष 1973-74 में क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ से डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन किया और उन्हें वेतन भी दिया गया ? ऐसी अवस्था में श्री शर्मा ने फिजिकल एजूकेशन का कोर्स और निदेशालय में ड्यूटी एक साथ कैसे किया ? क्या श्री शर्मा की हाजिरी सरकारी कागजों में हस्ताक्षर एक ओर निदेशालय में भी है और दूसरी ओर वे उसी समय में फिजिकल एजूकेशन का कोर्स भी करते रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन सम्बन्धित दोषी लोगों को दंडित करेगी ?

खेलकूद मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

जैसा कि पहले भी बताया गया था कि वर्ष 1973-74 में क्रीड़ा परिषद् के सचिव की अनुमति से श्री शर्मा ने सवेतन प्रश्नगत प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण काल प्रातः 6-30 से 8-30 तथा मध्यान्ह 10-12 बजे था। शेष अवधि में श्री शर्मा ने परिषद का कार्य भी किया। अतः दण्ड का प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम, आजमगढ़, जौनपुर एवं वाराणसी डिपो की खराब बसें

31--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज आजमगढ़ डिपो, वाराणसी एवं जौनपुर डिपो में कम से कम 100 रोडवेज की गाड़ियां खराब होकर पड़ी हैं ? यदि हां, तो इनको ठीक करने या नीलाम कर देने के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । पन्द्रह फरवरी, 1981 को लगभग 10 प्रतिशत अर्थात् 48 बसें आफ रोड थीं और रख रखाव सम्बन्धी मरम्मत के लिए वर्कशाप में थीं । अतः नीलाम करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

भोजीबीर-वाराणसी-केराकत मार्ग पर बसों का अस्थायी परमिट

32--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भोजीबीर-वाराणसी-केराकत मार्ग पर 18/20 गाड़ियां अस्थायी परमिट पर चलायी जा रही हैं ? इन गाड़ियों का स्थायी परमिट कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत मार्ग पर 11 बसें स्थायी परमिटों तथा 7 बसें अस्थायी परमिटों पर, कुल 18 बसें चलायी जा रही हैं । अस्थायी परमिटों के स्थान पर स्थायी परमिट स्वीकृत करने के लिए सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा प्रार्थना-पत्र आमंत्रित कर लिए गए हैं जिन्हें प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार यथाशीघ्र निस्तारित किया जाएगा ।

श्री आर० एन० गुप्ता, भूतपूर्व सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, झांसी को कथित सेवा समाप्ति एवं प्रोन्नति

33--श्री रमाकान्त मिश्रा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर० एन० गुप्ता, भू० पू० सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, झांसी रोडवेज क्षेत्र को 1977 के पूर्व किन-किन आरोपों पर अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया था और किन आधारों पर सरकार ने उन्हें प्रोन्नति देकर क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज क्षेत्र, इलाहाबाद बना दिया ? क्या यह भी सही है कि इन्हीं श्री गुप्ता के घर में रोडवेज बसों का फर्जी छपा लाखों रुपये का टिकट पुलिस ने जुलाई, 1980 में बरामद किया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री आर० एन० गुप्ता 28-8-64 से 7-8-68 तक ए० आर० टी० ओ०, आगरा के पद पर कार्यरत थे । इस अवधि में उनके द्वारा मार्ग कर की रिकवरी सर्टीफिकेट को जिलाधिकारी, अलीगढ़ से बिना उचित एवं पर्याप्त कारण

के वापस लिये जाने का आरोप था । वर्ष 1976 में इस हेतु श्री गुप्ता को अनिवार्य सेवा निवृत्त किये जाने की संस्तुति प्राप्त हुई थी इसे प्रशासनिक आधार पर शासन ने स्वीकार नहीं किया । इनकी प्रोन्नति क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद के पद पर निगम द्वारा की गयी है ।

श्री गुप्ता ने 2 अगस्त, 1980 को इलाहाबाद में कार्यभार ग्रहण किया अतः फर्जी टिकटों की श्री गुप्ता के घर से जुलाई, 1980 में बरामदगी के मामले में श्री गुप्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

शारदा नहर, उन्नाव की पुरवा ब्रान्च की सफाई

34--श्री खुदादीन अंसारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न 31 के संदर्भ में शारदा नहर के स्थान पर पुरवा ब्रांच की सफाई आदि से सम्बन्धित माइनरों का कार्य किस ठेकेदार से कराया गया तथा कितना धन कब भुगतान किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पुरवा ब्रांच के मील 35.0 से 35.2, 35.4 से 35.7 की ठेक की सफाई मिट्टी के स्पर बनाने का कार्य श्री उदय बहादुर सिंह ठेकेदार द्वारा किया गया था जिसका भुगतान 3800.00 रुपया, दिनांक 26-3-80 को किया गया था ।

पुरवा ब्रांच के मील 33.2 से 33-3-250 तक ठेक की सफाई एवं मिट्टी के स्पर बनाने का कार्य श्री सीताराम, ठेकेदार द्वारा किया गया था जिसका भुगतान 1536 रुपया, दिनांक 19-3-80 को किया गया था ।

पुरवा ब्रांच के मील 33-3-250 से 33.7 की ठेक की सफाई एवं मिट्टी के स्पर बनाने का कार्य श्री उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार द्वारा किया गया था जिसका भुगतान 1732 रुपया, दिनांक 26-3-80 को किया गया था।

बिहार माइनर मील 0.0 से 1.5 की वार्षिक मरम्मत श्री उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार द्वारा की गई थी जिसका भुगतान 1956 रुपया, दिनांक 23-3-80 को किया गया था ।

शारदा नहर, उन्नाव के ठेकेदार, श्री उदय बहादुर सिंह का शिकायती-पत्र

35--श्री खुदादीन अंसारी--

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न 30 के उत्तर के सन्दर्भ में सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि श्री उदय बहादुर सिंह द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र में कौन-कौन से आरोप थे तथा उन आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराने के पश्चात् जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री उदय बहादुर सिंह के प्रार्थना-पत्र में निम्न आरोप थे:--

1--6 जुलाई, 1980 के उनके शिकायती-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

2--अवर अभियन्ता व सहायक अभियंता द्वारा ठेकेदारों से कराये गए कार्य के लिए वर्क आर्डर तक नहीं दिया जाता ।

3--ठेकेदारों को कार्यादेश की प्रति अथवा कोई सबूत नहीं दिया जाता और इस प्रकार अवर अभियंता व सहायक अभियन्ता लाखों रुपए का गोल-माल करते हैं ।

4--ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य के लिए पैसे को किसी दूसरे ठेकेदारों के नाम से निकाल कर अवर अभियंता/सहायक अभियंता आपस में बांटकर खा लेते हैं ।

5--जब कोई ठेकेदार उच्च अधिकारियों से शिकायत करता है तो ये लोग उस ठेकेदार को आश्वस्त कर देते हैं कि उसका फंसा पैसा अगले कार्य में निकाल लेंगे और उसके बदले में उनसे लिखा लेते हैं कि उन्होंने शिकायत नहीं की थी ।

6-- रिकार्ड में कटिंग व हेराफेरी की गई हैं ।

7--शिकायतकर्त्ता ने दिसम्बर, 1979 से मई, 1980 तक जो कार्य किए उसका मात्र भुगतान 4,593·00 रुपए किया गया और लगभग 12,000 रुपए अवशेष हैं ।

आरोपों की जांच अधिशाषी अभियंता उन्नाव खंड शारदा नहर ने की और आरोप निराधार पाए गए । अतः इन आरोपों की पुनः उच्च स्तरीय जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण एवं ग्राम किलकिली का नलकूप

36--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद में 1-1-78 से 1-1-81 तक कितने नए नलकूप बनाये गए और उनमें से कितने उर्जीकृत हो चुके हैं ? इन नलकूपों में कितने नलकूप भरखनी ब्लाक में कब बने तथा कब उर्जीकृत किए गए ? यदि नलकूप के उर्जीकरण का कार्य अभी तक नहीं हुआ है तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

हरदोई की तहसील शाहाबाद में 1-1-78 से 1-1-81 तक 43 राजकीय नलकूपों का निर्माण हुआ जिनमें से 12 राजकीय नलकूप उर्जीकृत हो चुके हैं ।

इन नलकूपों में से भरखनी ब्लाक में 13 राजकीय नलकूल बने हैं जिनमें से 3 का छिद्रण 1977-78 में, 9 का 1978-79 में तथा एक का 1980-81 में हुआ । इनमें से एक ही नलकूप का उर्जीकरण 20-2-81 को हुआ है । शेष नलकूपों में से 11 के बी0 एन्ड एल0 फार्म विद्युत विभाग को भेजे जा चुके हैं, शेष एक नलकूप का बी0 एन्ड एल0 फार्म पम्पिंग सेट उपलब्ध न होने के कारण नहीं भेजा जा सका जो शीघ्र भेज दिया जायेगा । उर्जीकरण शीघ्र करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

37—श्री राम औतार दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप निर्माण खंड, हरदोई के शाहाबाद ग्रुप में गांव किलकिली में राजकीय नलकूप कब बनाया गया और उसकी कच्ची गूल का निर्माण कब हुआ एवं उसमें क्या व्यय हुआ ? इस नलकूप से वर्षवार कितने एकड़ सिंचाई 29-1-81 तक की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप निर्माण खंड, हरदोई जनपद के शाहाबाद तहसील के ग्राम किलकिली में नलकूप संख्या 98, शाहाबाद ग्रुप का छिद्रण 1/79 में हुआ था तथा इसका बी0 एन्ड एल0 फार्म विद्युत् विभाग को 3/79 में उपलब्ध करा दिया गया था परन्तु अनेकों प्रयासोपरान्त विद्युत् विभाग द्वारा उक्त कूप का उर्जीकरण 22-2-81 को ही किया जा सका है। अतः 29-1-81 तक कूप द्वारा सिंचन नहीं हुआ है। इस नलकूप पर 1·900 किलोमीटर कच्ची गूल वर्ष 1979 में बनी है। जिस पर 9,845 रुपए व्यय हुआ है।

विधान पुस्तकालय
[illegible]

हरदोई जिले में हरिजनों के उत्थान की कथित योजना

38—श्री राम औतार दीक्षित—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में हरिजनों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक उत्थान के लिए कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

हरदोई जनपद के हरिजनों के उत्थान की कोई योजना अलग से सरकार के विचाराधीन नहीं है। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति के परिवारों के सर्वांगीण विकास की विशेष सघन्वित योजना प्रदेश के अन्य जिलों के समान हरदोई जिले में भी कार्यान्वित की जा रही है। जनपद हरदोई में 1-4-80 से 31-1-81 तक 1,275 परिवारों को उक्त योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

पर्वतीय जिलों के लिए स्वीकृत चिकित्सालय

39—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक में पर्वतीय जिलों के लिए कितने अलग-अलग पद्धति के चिकित्सालय स्वीकार किए गए थे ? उनको खोलने के लिए क्या आधार रहा था ? तथा किस-किस विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर ये चिकित्सालय खोले गये हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बैडमिन्टन संघ द्वारा लन्दन भेजने हेतु श्री अखिलेश चन्द्र का चयन

40--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या खेलकूद मंत्री प्रथम सत्र 1981 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे कि बैडमिन्टन संघ की जिस चयन समिति में श्री अखिलेश चन्द्र के नाम की संस्तुति लन्दन भेजने के लिए की थी उसके अध्यक्ष श्री फजील अहमद एक सरकारी अधिकारी हैं ? क्या यह सत्य है कि सरकारी दबाव से बैडमिन्टन संघ को ज्यादा अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां । श्री फजील अहमद एक सरकारी अधिकारी हैं । परन्तु यह सत्य नहीं है कि सरकारी दबाव में बैडमिन्टन संघ को ज्यादा अनुदान दिया गया ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर हरिजन अधिकारी

41--श्री राम नरायन --

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में हरिजन एवं हरिजन जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गों के कल्याण हेतु कितने गैर हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के जिला हरिजन कल्याण अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या प्रदेश में हरिजनों, हरिजन जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को सही रूप से राहत देने हेतु गैर सवर्ण जिला हरिजन कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति प्रदेश के सभी जनपदों में करने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

प्रदेश के 34 जनपदों में गैर हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यरत हैं इनमें से 28 में गैर हरिजन तथा 6 में पिछड़े वर्ग के अधिकारी हैं ।

शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण की नीति के अनुसार गैर सवर्ण जिला हरिजन कल्याण अधिकारियों की सभी जनपदों में नियुक्ति करना सम्भव नहीं है ।

इलाहाबाद, फाफामऊ-बहरिया बस सेवा को बांदूपुर तक किए जाने की मांग

42--श्री राघश्याम पटेल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वर्तमान फाफामऊ से बहरिया चलने वाली सिटी बस सेवा को जन साधारण की राहत एवं वर्षों से निर्मित पक्के मार्ग की उपयोगिता को देखते हुए बांदूपुर तक बढ़ाने की कार्यवाही विभाग के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक बस चलने लगेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस समय इलाहाबाद से बहरिया बस सेवा रोडवेज द्वारा संचालित है इलाहाबाद-बहरिया मार्ग इलाहाबाद-फाफामऊ-सोरांव तक ही राष्ट्रीयकृत है ।

सोरांव से बहरिया 17 कि0 मी0 और बहरिया से दांदूपुर 18 कि0 मी0 अराष्ट्रीय मार्ग है । इस मार्ग पर निजी बस सेवा संचालित है । इस समय इस सेवा को दांदूपुर तक बढ़ाना विचाराधीन नहीं है ।

वाराणसी–जौनपुर मार्ग के पिण्डरा बस स्टापेज पर बस रोके जाने की मांग

43––श्री ऊदल––

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी–जौनपुर मार्ग पर स्थान पिंडरा से आने जाने वाली सभी रीजन की रोडवेज बसों के बारे में एक आदेश असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री बी0 पाठक ने दिनांक 21–6–80 को सभी बसों को रोकने हेतु किया था और बस्ती, बहराइच, ओबरा, जौनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, देवरिया, कानपुर को अपने लेटर नं0 बी 8/7 पी/ 5–2/6888, तारीख 28–6–80 के द्वारा निवेदन किया कि सभी बसों को स्थान पिंडरा में रोकने के लिए आदेश कर दें ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अब तक वहां बसें नहीं रोकी जाती हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक ने अपने डिपो के बारे में यह आदेश दिए थे ।

वाराणसी–जौनपुर मार्ग पर इन दोनों डिपो (वाराणसी और जौनपुर) की सभी बसें पिन्डरा पर रुकती हैं ।

मुख्यालय से अब आदेश दिए गए हैं कि अन्य क्षेत्रों की द्रुतगामी बसें भी इस मार्ग पर पिंडरा पर रुकें ।

44––श्री ऊदल––

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि कभी कोई बस रुक भी गयी तो उन सवारियों से जौनपुर से वाराणसी एवं वाराणसी से जौनपुर का किराया लिया जाता है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने 1980 में दो बार यात्रियों के टिकट एवं उनके प्रार्थना पत्र को अपने पत्र के साथ असिस्टेंट रीजनल मैनेजर वाराणसी को दिया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सभी रीजन के रीजनल मैनेजरों तथा असिस्टेंट मैनेजरों को आदेश दगे कि वहां सभी बसों को रोकने की व्यवस्था करें और बुकिंग आफिसों एवं कन्डक्टरों को पिंडरा का टिकट देने की आज्ञा दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी नहीं । वाराणसी/जौनपुर डिपो की मेल बसें पिन्डरा में रुकती हैं और यात्रियों से केवल पिण्डरा तक का किराया लिया जाता है ।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 28–11–80 को प्राप्त हुआ है । जिस घटना का उल्लेख उक्त पत्र में किया गया है वह फैजाबाद क्षेत्र द्वारा फैजाबाद–वाराणसी लम्बी दूरी की मेल सेवा के सम्बन्ध में था । फैजाबाद क्षेत्र द्वारा पिण्डरा फेयर स्टाप मेल बसों के लिये घोषित नहीं था । अब दिनांक 13–3–81

से उनके द्वारा पिण्डरा को फेयर स्टाप घोषित कर दिया गया है । अन्य समस्त सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निदेश दे दिये गये हैं कि वे भी अपने क्षेत्र की गाड़ियों, जो पिन्डरा से पास करती हों उन्हें भी वहां पर रोकने के आदेश कर दें ।

हरदोई जिले के शाहाबाद तहसील के अन्तर्गत गर्रा नदी से कटान

45--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की शाहाबाद तहसील में गर्रा नदी से होने वाले कटान को रोकने के लिए गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है तथा उस पर क्या व्यय हुआ है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय जिलों के लिये सड़कों की स्वीकृति

46--श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 8 पर्वतीय जिलों में कितने किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति वर्ष 1980-81 में दी गई है ? इनमें से प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग-अलग कितने किलोमीटर की लम्बाई स्वीकार की गई है तथा इस स्वीकृति को देने के लिये क्या आधार रखा गया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में वर्ष 1980-81 में कुल 1041.40 किलो-मीटर मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गई है । मार्गों की स्वीकृति का आधार जनपदों की आवश्यकता है न कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की ।

मार्गों की स्वीकृत लम्बाई का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :--

नैनीताल	78.80 कि0 मी0
अल्मोड़ा	168.85 कि0 मी0
पिथौरागढ़	151.00 कि0 मी0
देहरादून	111.50 कि0 मी0
टिहरी गढ़वाल	135.50 कि0 मी0
उत्तरकाशी	101.75 कि0 मी0
पौड़ी गढ़वाल	177.00 कि0 मी0
चमोली	117.00 कि0 मी0

ग्राम हृदय पट्टी एवं बिशुनपुर, जिला वाराणसी के लिये नलकूप की मांग

47—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम हृदय पट्टी तथा ग्राम बिशुनपुर, पोस्ट भदोही, जनपद वाराणसी में लगभग 300 एकड़ जमीन की फसल प्रति वर्ष सिंचाई न हो पाने के कारण सूख जाती है, क्योंकि सिंचाई का कोई भी साधन उस एरिया में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उ। 300 एकड़ जमीन की एरिया का सर्वे कराकर ग्राम हृदय पट्टी तथा ग्राम बिशुनपुर के बीच में एक नलकूप लगवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम हृदय पट्टी तथा विशुनपुर, पोस्ट भदोही, जिला वाराणसी का कृषि योग्य क्षेत्रफल क्रमशः 240 एकड़ एवं 45 एकड़ है । ग्राम हृदय पट्टी के 240 एकड़ कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 185 एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र में नलकूप नं0—214, भदोही ग्रुप व नलकूप नं0 80 भदोही ग्रुप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । ग्राम हृदय पट्टी का 55 एकड़ तथा ग्राम बिशुनपुर का 45 एकड़ कुल 100 एकड़ ऐसा कृषि योग्य क्षेत्र है जिसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है । इस 100 एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई सुविधा के लिए ग्राम हृदय पट्टी तथा ग्राम बिशुनपुर के बीच में एक राजकीय नलकूप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि एक नलकूप की क्षमता से क्षेत्रफल कम है ।

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आजमगढ़ जिले के ग्राम बस्ती एवं रसूलपुर को शारदा नहर के कटाव से क्षति

4—श्री लालसा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह नवम्बर व दिसम्बर, 1980 में जिला आजमगढ़, विकास खंड, मिर्जापुर के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर खंड 46 के कट जाने के फलस्वरूप ग्राम बस्ती, रसूलपुर इत्यादि के आसपास कई गांवों के हजारों किसानों के फसलों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है ? क्या सरकार इन किसानों की क्षतिपूर्ति हेतु उनको आवश्यक सहायता पूरी लगान व सिंचाई कर माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, बाढ़ हो जाने के कारण 347 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ है । किसानों की क्षतिपूर्ति हेतु सिंचाई में छूट देने की व्यवस्था तथा लगान में छूट देने की कार्यवाही नियमानुसार की जायगी ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लि0 द्वारा हरिजनों को दिया गया ऋण तथा उस पर छूट

49— श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ हरिजनों के व्यवसायों हेतु और उद्योगों हेतु वर्ष 1976 से जून, 1980 तक कितने ऋण पर कितनी धनराशि की छूट देना था और छूट के बाद शेष ऋण पर क्या ब्याज दर थी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लि0 द्वारा 1980 से पूर्व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को एक लाख रुपये तक की पूंजी लागत की योजनाओं में बैंक ऋण के अंश पर 4 प्रतिशत से अधिक दर पर जो ब्याज देय होता था उसकी प्रतिपूर्ति हेतु निगम द्वारा अनुदान दिया जाता था ।

50--श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 अनुसूचित एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ द्वारा वर्तमान समय में हरिजनों को कितने ऋण पर कितनी धनराशि की अधिकतम छूट है ?

श्री छेदलाल चौधरी--

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम, लि0 द्वारा स्वीकृत योजनाओं में अधिकतम 5,000 रु0 तक प्रतिलाभार्थी मार्जिन मनी ऋण केवल 4 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांगीधार एवं झड़गांव, जिला अल्मोड़ा के टिन शेड का निर्माण

51--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांगीधार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झड़गांव विकास खंड सल्ड, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के नवनिर्मित टिन शेड का भुगतान मार्च, 1980 में किया गया ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त दोनों विद्यालय के टिन शेड अभी पूर्ण नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो जिस अधिकारी द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

स्वीकृत टेन्डर तथा ठेकेदारों के बिलों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 1980 (वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन) बैंक ड्राफ्ट ठेकेदारों के नाम बनवाये गये थे। राजकीय उ0 मा0 विद्यालय, बांगीधार के नवनिर्मित टिन शेड के निर्माण कार्य का भुगतान कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 26 जून, 1980 को किया गया। राजकीय उ0 मा0 विद्यालय, झड़गांव के नव निर्मित टिन शेड के निर्माण कार्य का भुगतान अभी नहीं किया गया है। दोनों विद्यालयों के टिन शेडों का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और आंगणनों के अनुसार उन्हें पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। रा0 उ0 मा0 विद्यालय, बांगीधर के टिन शड के निर्माण कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारियों (सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा तथा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक) के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उनके उच्चाधिकारियों से कहा गया है।

झांसी जिले के पतराई नदी पर धवारी बांध निर्माण की मांग

52--श्री भागीरथ--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में मऊरानीपुर तहसील के धवारी ग्राम के समीप पतराई नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव शासन

के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रस्तावित बांध की लम्बाई लगभग 3 कि0 मी0 तथा ऊंचाई लगभग 14 मीटर है । इससे पतराई नदी के दोनों ओर के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

53—श्री भागीरथ—

[11-3-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 69 द्वारा उत्तरित]

मेरठ मन्डल के गंगा नहर के अधिकारियों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

54—श्री मन्जूर अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मंडल के मध्य गंगा नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपयों के गबन के संबंध में दिनांक 19-1-81 को वहां की जनता का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोप क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

55—श्री गोपी नाथ वर्मा—

[28-1-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित]

श्री काली शंकर पाल, ठेकेदार सिंचाई विभाग द्वारा थाना रायबरेली में लिखायी गयी कथित रिपोर्ट

56—श्री कुबेर भंडारी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के संदर्भ में सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उक्त ठेकेदार के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट सिंचाई विभाग के द्वारा नहीं अपितु स्टेट बैंक आफ इंडिया, रायबरेली के द्वारा मार्च/अप्रैल, 1980 में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है । । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले की शारदा नहर के जूनियर इन्जीनियर एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र के सम्बन्ध में श्री उदय बहादुर सिंह ठेकेदार का लिया गया साक्ष्य

57--श्री कुबेर भंडारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन को जो एक तार तथा चार शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं उनमें कौन-कौन से तथ्य हैं और जांच किस अधिकारी द्वारा की गई तथा सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चारों शिकायती पत्र एवं तार ठेकेदारों के हैं जिनमें उन्होंने किये गये कार्यों का भुगतान सहायक अभियंता/अवर अभियंता द्वारा न करने, दूसरे ठेकेदार के नाम से रुपये निकालकर आपस में बांट लेने, रिकार्ड में कटिंग एवं हेर फेरी करके गोलमाल करने, ठेकेदारों को परेशान एवं शोषण करने के आरोप लगाये हैं ।

समस्त आरोपों की जांच अधिशासी अभियन्ता उन्नाव खंड, शारदा नहर उन्नाव द्वारा की गई और आरोप निराधार पाये गये ।

58--श्री कुबेर भंडारी--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री हरि कुमार सहाय, अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव खंड, शारदा कैनाल के पत्र संख्या सी-310, दिनांक 8 सितम्बर, 1980 के द्वारा श्री उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार को दिनांक 17-9-80 को अपने कार्यालय में सहायक अभियंता व अवर अभियन्ता के विरुद्ध साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के संबंध में कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो उक्त ठेकेदार ने कौन-कौन साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा उनमें क्या तथ्य थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

श्री उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार दिनांक 17-9-80 को उन्नाव खंड, शारदा नहर, उन्नाव में उपस्थित हुये परन्तु शिकायतों की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।

देवरिया जिले के सेवरही क्षेत्र में गंडक नहर की माइनर का निर्माण

59--श्री द्रुप राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में सेवरही क्षेत्र में गंडक नहर से निकलने वाली अपूर्ण माइनर और शेष माइनर का काम कब से चालू होगा और कब तक पूरा किया जायगा ? इसका विवरण क्या है ? इसमें कुल कितना व्यय होगा और कितनी भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत क्षेत्र में लगभग 18 कि0मी0 लम्बी नहरों का निर्माण शेष है, जिस पर लगभग 36 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । यह कार्य मार्च, 1982 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लघु नहरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और उनमें से जो उपयुक्त पायी जायेगी उनका निर्माण कार्य आगामी वर्षा ऋतु के बाद प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट

60--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा सत्र 1981 के प्रथम बुधवार दिनांक 28-1-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं आदि की जांच किस माध्यम से कराई जा रही है, जांच किस स्टेज पर है और जांच के परिणाम कब तक ज्ञात हो सकेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं आदि के आरोपों की जांच उप-निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा कराई गई है और जांच आख्या मार्च, 1981 के द्वितीय सप्ताह में शासन को प्राप्त हो गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध बन्दी

61--श्री भोलालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन0 एस0 ए0) के अन्तर्गत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल कितने व्यक्ति नजरबन्द किये गये ? कितने लोगों के आश्रितों को आजीविका भत्ता दिया गया ? कितनों को जेल में उच्च श्रेणी दी गयी ? कितने लोगों को साधारण श्रेणी दी गयी, जेल में श्रेणी विभाजन के क्या आधार हैं ? आश्रितों को आजीविका भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ?

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

केन्द्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन0 एस0 ए0) के अन्तर्गत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दिनांक 11-2-81 को निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या निम्नवत् है :

जिले का नाम	निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या
आगरा	1
इलाहाबाद	19
कानपुर	6
देहरादून	21
आजमगढ़	3
गोरखपुर	3
जालौन	6

जिले का नाम	निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या
लखनऊ	13
सीतापुर	2
गाजियाबाद	1
बरेली	3
मुरादाबाद	29
जौनपुर	6
कुल संख्या . .	113

उक्त निरुद्ध व्यक्तियों में 20 व्यक्तियों को जेल में उच्च श्रेणी दी गई । शेष को साधारण श्रेणी में रखा गया है । नियमानुसार किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को सामान्यतया साधारण श्रेणी में रखा जाता है किन्तु यदि सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन को यह समाधान हो जाय कि किसी बन्दी को शिक्षा, उसका चरित्र और पूर्ववृत किए गए अपराध का प्रकार और उसे करने के उद्देश्य इस बात का औचित्य सिद्ध करते हैं कि उसे उच्च श्रेणी दी जाय तो उसे उच्च श्रेणी प्रदान की जा सकती है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध बन्दियों के आश्रितों को आजीविका भत्ता दिए जाने का प्राविधान उ० प्र० राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी (निरुद्ध करने की शर्तें) आदेश, 1980 में नहीं है । अतः इन बन्दियों के आश्रितों को आजीविका भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की छात्र-वृत्ति की धनराशि का आवंटन

62--श्रीमती गौरी देवी--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के छात्रों में वितरित करने के लिये वर्ष 1974-75 में साढ़े तीन लाख रुपया प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक यह धनराशि छात्रों में वितरित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

वर्ष 1974-75 में गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को वितरित करने के लिये साढ़े तीन लाख की कोई धनराशि अलग से आवंटित नहीं की गयी थी, परन्तु गोरखपुर जनपद के लिए दशमोत्तर कक्षाओं के अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृति हेतु क्रमशः रुपया 21,45,000 तथा रु० 50,000 वर्ष 1974-75 में आवंटित हुआ था ।

अतः प्रश्नगत साढ़े तीन लाख रुपये की धनराशि वितरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय हाई स्कूल, धौतरी, उत्तरकाशी को इन्टर कक्षा एवं ललित कला वर्ग की मान्यता दिये जाने की मांग

63--श्री ऊदल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल, धौतरी, उत्तरकाशी में इंटर को मान्यता हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तरकाशी ने निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं उपनिदेशक को लिखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

यह राजकीय स्कूल है इसलिये मान्यता का प्रश्न नहीं उठता है ।

64--श्री ऊदल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्कूल में 180 से ऊपर छात्र हैं ? यदि हां, तो इंटर की कक्षायें अब तक क्यों नहीं खोली गयीं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

छात्र संख्या 172 है ।

उच्चीकरण का प्रश्न विचाराधीन है ।

65--श्री ऊदल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त हाई स्कूल में संगीत, नृत्य आदि की कक्षायें खोलने हेतु भी जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरकाशी ने शिक्षा निदेशक और सरकार को सन् 79 में तथा 80 में लिखा है ? यदि हां, तो अब तक उक्त संगीत, नृत्य कक्षाओं को खोलने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक खुल जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां, ललित कला वर्ग ।

छात्र संख्या कम होने के कारण वरीयता क्रम में नहीं आ सका ।

नैनीताल एवं पियौरागढ़ में तरल नाइट्रोजन संयंत्र का भवन

66--श्री हुकम सिंह--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल में 16·45 लाख रुपये से भी अधिक मूल्य का तरल नाइट्रोजन संयंत्र नाइट्रोजन को रखने के पात्र आदि गत तीन वर्षों से भी अधिक समय से इस कारण से अप्रयुक्त पड़े हुए हैं कि उक्त के लिये भवन आदि की व्यवस्था नहीं की जा सकी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? भवन आदि की व्यवस्था कब तक होने की संभावना है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी नहीं । नैनीताल और पियौरागढ़ इन दोनों केन्द्रों को मिलाकर लगभग रु0 15·75 लाख के तरल नाइट्रोजन संयंत्र 14-3-77 से 31-3-79 तक विभिन्न तिथियों पर आते रहे । भवन निर्माण वर्ष 1978-79 में ही पूरा कर लिया गया

था परन्तु पानी बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराने में कुछ तकनीकी कारणों से विलम्ब हुआ तथा केन्द्र 5 जुलाई, 1980 को चालू हुआ।

67--श्री भीखालाल--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित]

अल्मोड़ा जिले की चांच पेयजल योजना

68--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी चांव गधेरा गल्ला सल्ट अल्मोड़ा पेयजल योजना कब तक पूरी हो जायेगी ? इसमें कितने गांवों को पेयजल सुविधा मिल पायेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

विकास क्षेत्र सल्ट, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा की चांच पेयजल योजना का निर्माण दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। योजना से चांच राजस्व ग्राम एवं उसके 5 तोको को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी।

शारदा नहर खण्ड, उन्नाव में अनुसूचित जाति के सींच परिवेक्षक

69--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सरकार को जानकारी है कि शारदा नहर खण्ड, उन्नाव में सींच परिवेक्षक के 28 पदों में से केवल दो पद ही अनुसूचित जाति के हैं तथा शासनादेशों के अनुसार 18 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खंड में अनुसूचित जाति के कोटे की पूर्ति कराने की अविलम्ब व्यवस्था करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

70--श्री मन्जूर अहमद--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1980 में सिंचाई विभाग के कितने सहायक अभियन्ता व कितने अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किए गये और किन-किन के ? तथा किस आधार पर ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिसम्बर, 1980 में सिंचाई विभाग के 35 सहायक अभियन्ताओं तथा 3 अधीक्षण अभियंताओं के स्थानान्तरण किये गये। उनके नाम तथा आधार का विवरण संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1025 पर)

सिंचाई विभाग, नलकूप पश्चिम, मेरठ के लिपिकों का कार्यकाल

71--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, नलकूप पश्चिम, मेरठ के अन्तर्गत उप खंडों में कार्यरत उप खंडीय लिपिक प्रथम का उक्त काउन्टर पर सेवा काल क्या है ? क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में वर्ष 1965 में कोई नियम बनाया था ? यदि हां, तो उनका अनुपालन किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करायेंगे :--

(1) ऐसे लिपिक, जो एक काउन्टर पर लगातार 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? कार्यकाल बताया जाय ?

(2) ऐसे उप खंडीय लिपिक प्रथम, जो एक ही खंड में इसी काउन्टर पर 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हों ?

(3) ऐसे उप खंडीय लिपिक प्रथम, जो एक ही खंड में उपखंड से ही उपखंड के स्थानान्तरण किए गये हों ?

विधान पुस्तकालय
[illegible]

श्री वीर बहादुर सिंह--

इन लिपिकों का उक्त काउन्टर पर सेवाकाल एक माह से लेकर 9 वर्ष 6 माह तक का है ।

जी हां । उक्त आदेशों का आंशिक रूप से पालन किया जा रहा है ।

ऐसे 68 लिपिक हैं । इन लिपिकों का कार्यकाल तीन वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का है ।

ऐसे 21 लिपिक हैं ।

ऐसे 6 लिपिक हैं ।

72--श्री पंचानन--

[6ठें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राज्य सड़क एवं परिवहन निगम क्षेत्र, आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

73--पंचानन--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम, क्षेत्र आजमगढ़ का निर्माण कब हुआ ? आजमगढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित होने तथा 15 सितम्बर, 1980 के बीच वहां विभिन्न श्रेणी की कितनी नियुक्तियां की गयी ? इन नियुक्तियों की क्या प्रक्रिया थी तथा उनका क्या आधार था ? क्या इन नियुक्तियों में हरिजन आरक्षण कोटे को पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ क्षेत्र का सृजन जुलाई सन् 1978 में हुआ । तब से 15 सितम्बर, 1980 तक विभिन्न श्रेणियों में लगभग 314 नियुक्तियां हुई ।

इन नियुक्तियों के लिये भर्ती सीधी भर्ती द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों में से तथा सेवा से पृथक् कर्मचारियों में से की गयी । तृतीय श्रेणी के 219 भर्ती किये कर्मचारियों में 43 अनुसूचित जाति के तथा चतुर्थ श्रेणी के 95 कर्मचारियों में से 40 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी रखे गए हैं ।

(समय 12 बजकर 5 मिनट)

देवरिया जिले की टाउन एरिया, सलेमपुर व लार में गन्दे पानी की निकासी न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

301 की 9 सूचनाएं आई थीं, जिनमें से 5 स्वीकृत हुई हैं ।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त लोक महत्व की सूचना सदन को देना चाहता हूं । जनपद देवरिया के टाउन एरिया, सलेमपुर में गंदा पानी निकलने की कोई मुख्य नाली नहीं है जिसके कारण गन्दे पानी का जमाव हो रहा है। गन्दे पानी से घर का आंगन भर जा रहा है । दुकानों का पानी दिन भर गड्ढे में इकट्ठा कर रात्रि को दुकानदार सड़कों पर बाल्टी से उड़ेलते हैं। इस प्रकार समूचे बाजार का दृश्य नारकीय हो गया है । विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं । चेचक का जोर है ।

यही स्थिति लार टाउन एरिया की है । समय रहते यदि इसे ठीक नहीं कराया गया तो बरसात में और भी स्थिति गम्भीर हो जायेगी ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की सूचना देता हूं और मांग करता हूं कि इसकी व्यवस्था तत्काल प्रभाव के साथ की जाय ।

देवरिया जिला अस्पताल में व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय देवरिया जिला अस्पताल में बदबू जैसा वातावरण एवं मूत्रालयों में सफाई नहीं है । पाखाने टूटे हुए हैं । अस्पतालों के वार्डों के भीतर गन्दगी है । वहां का वातावरण बिल्कुल दूषित हो गया है । गन्दगी एवं दूषित वायु के कारण मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है । जो लोग मरीजों के दवा कराने आते हैं उन्हें भी मच्छरों के कारण मलेरिया रोग हो जा रहा है । उनको भी इलाज कराना पड़ रहा है । बाहर से आने जाने वाला आदमी नाक दबा कर जल्दी अस्पताल छोड़ना चाहता है । अस्पताल भवन के बाहरी कम्पाउण्ड में गन्दगी, मलमूत्र का ढेर लगा हुआ है । मालूम पड़ता है कि यह नगरपालिका के कूड़ा-करकट रखने का सार्वजनिक स्थान है तथा सामान्य नागरिकों के लिए खुली हवा में पखाना करने का स्थान है । अस्पताल के बगल के सड़कों से आने-जाने वाले यात्रियों को इस गन्दगी के दूषित वायु का सामना करना पड़ता है । गन्दगी के कारण अस्पताल में मच्छरों का राज्य कायम हो गया है । इससे देवरिया शहर में हजारों लोग रोगग्रस्त हो गये हैं । वहां का जीवन नारकीय हो गया है ।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि देवरिया जिला अस्पताल की सफाई करायी जाय, छिड़काव कराया जाय तथा सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

जनपद बरेली में ग्राम भडसर के पास नदी पर बन रहे पुल को शीघ्र पूरा कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशफाक अहमद अंसारी—

अध्यक्ष महोदय, जनपद बरेली जिला परिषद् द्वारा रिठौरा से ग्राम खाई खेड़ा तक सड़क रास्ते में ग्राम भडसर पर नदी का पुल पिछले 15 साल से बनवाया जा रहा है जिस पर लगभग 1 लाख 50 हजार रुपया व्यय हो चुका है । लेकिन अभी तक पुल और सड़क पूरा नहीं हुई है । पुल और सड़क न होने की वजह से आने-जाने में और बच्चों की शिक्षा में भारी बाधा पड़ती है । इस सड़क व पुल के न बनने से उस क्षेत्र के लाखों व्यक्तियों को बरेली आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । जिला परिषद् बरेली की लापरवाही के कारण क्षेत्र की जनता में काफी असन्तोष, गुस्सा, बेचैनी की लहर दौड़ गयी है । इसलिए मैं जरूरी कार्य के लिए नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि सड़क व पुल जिला परिषद् से निकाल कर पी० डब्लू० डी० को स्थानांतरित करने की कृपा करें ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के स्थायीकरण में विलम्ब से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*15— श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में व्याप्त असन्तोष एवं आक्रोश को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

गत 22-2-81 को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति ने गोरखपुर विश्वविद्यालय नियमावली की धारा 31 (3) बी का लाभ देते हुए विश्वविद्यालय के 26 प्राध्यापकों को स्थायी करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया है लेकिन कुलसचिव अभी तक विश्वविद्यालय कार्यकारिणी के निर्णय को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं । इससे विद्यालय के प्राध्यापकों में ही नहीं अपितु छात्रों और सामान्य नागरिकों में असंतोष व्याप्त है । परिस्थिति इतनी गम्भीर होती जा रही है कि किसी भी क्षण विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण में विस्फोट उत्पन्न हो सकता है । छात्र संघ ने इस सम्बन्ध में कुलपति को चेतावनी भी दी है एवं उनका आन्दोलन जारी है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं शिक्षा मंत्री से यह मांग करता हूं कि वह कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय को तत्काल निर्देश दें कि वह विश्वविद्यालय कार्यकारिणी के 22-2-81 के निर्णय को तुरन्त कार्यान्वित करें, जिससे प्राध्यापकों एवं छात्रों में व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रतापगढ़ की कुण्डा तहसील में ओलावृष्टि से फसल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि 22 मार्च, सन् 1981 को जनपद प्रतापगढ़ के तहसील कुण्डा में भीषण उपल वृष्टि के कारण समस्त फसलों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इस उपल वृष्टि में किसानों की अपूर्तिनीय क्षति हुई है और समस्त कुण्डा तहसील गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा अतिग्रस्त इलाका बिहार परगना का है। इस उपल वृष्टि की विभीषिका से कुण्डा तहसील के किसानों में बड़ी निराशा पैदा हो गयी है। इस समय जानवरों के चारे की समस्या बड़ी जटिल है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग करता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील कुण्डा में शीघ्रातिशीघ्र राहत कार्य शुरू किया जाय जिससे किसानों को राहत मिल सके।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 मार्च, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मार्च, 1981 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 मार्च, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

श्री लटूरी सिंह द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना है, जो कि कल सदन में दी जा चुकी है।

जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, एटा ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 23 मार्च, 1981, जो 24 मार्च, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री लटूरी सिंह, सदस्य, विधान सभा ने 23 मार्च, 1981 को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एटा के न्यायालय में आत्म समर्पण किया। वे अभिरक्षा में लिये गये हैं और 14 दिन के लिए जेल में रिमाण्ड पर भेजे गये।

गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न था। श्री सन्त बक्श रावत, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 1981 को माननीय गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय सदस्य की शिकायत है कि दिनांक 10 मार्च, 1981 को उनके तारांकित प्रश्न संख्या 19 जो तत्कालीन विधायक श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी द्वारा अग्रसारित किये गये जनपद उन्नाव के हसनगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष व 2 अन्य सब-इंसपेक्टर के विरुद्ध श्री जटाशंकर ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज के प्रार्थना पत्र के विषय में था, पर उनके द्वारा सदन में पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री ने यह कहा था कि कथित जांच डी0 आई0 जी0 पुलिस द्वारा कराई गयी थी और जो आरोप लगाये गये थे वे सही नहीं पाये गये जबकि माननीय सदस्य को जानकारी के अनुसार कथित जाँच कराई ही नहीं गयी थी, क्योंकि आज तक इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ किसी से नहीं की गयी है।

इस सम्बन्ध में मैंने माननीय गृह राज्य मंत्री से स्थिति की जानकारी प्राप्त की है। उसके अनुसार श्री जटाशंकर के उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र से पूर्व भी श्री सुन्दर लाल कुरील ने अपने पत्र दिनांक 25-12-79 द्वारा श्री जटाशंकर ही के एक अन्य प्रार्थना-पत्र को मुख्य मंत्री जी को भेजा था और उसका भी मजमून वही था जो श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी द्वारा अग्रसारित पत्र का था। पूर्व प्राप्त उक्त पत्र पर दिनांक 24-1-80 को पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को समुचित जांच कराकर यथोचित कार्यवाही करने और रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये थे, जिसके सम्बन्ध में आख्या भी शासन को पुलिस उप महा-निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुई थी और इसी आधार पर सदन में सूचना दी गयी थी। माननीय गृह राज्य मंत्री ने अपने पत्र में यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त जांच पुलिस अधीक्षक, उन्नाव के माध्यम से क्षेत्राधिकारी हसनगंज ने की थी और क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार श्री जटाशंकर स्वयं पूछताछ हेतु सामने नहीं आये और न ही श्री जटाशंकर द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष, हसनगंज के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध हो सके। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में गृह राज्य मंत्री द्वारा जानबूझकर मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना देकर सदन को गुमराह करने अथवा सदन की अवमानना करने का प्रश्न नहीं उठता, अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं प्रदान करता हूं।

कतिपय मंत्रियों का डाकुओं से कथित सम्बन्ध होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रियासत हुसैन--

मैंने आपको एक औचित्य का प्रश्न दिया है। मैं इस चीज का ज्यादा आदी नहीं हूं लेकिन मैंने दो बातों की ओर आपका ध्यान दिलाया है। मुझे दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आपने यह सूचना दी है अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्री परिषद् का विधान सभा के प्रति संयुक्त उत्तरदायित्व है। हर मंत्री को जन हित के लिये गोपनीयता का शपथ दिलाया जाता है, शासन द्वारा की गयी खुफिया जांच से यह मालूम हुआ है कि मंत्री परिषद् के कुछ मंत्रियों का सीधा सम्बन्ध उन डकैतों से है जो यमुना और चम्बल के क्षेत्र में लूटमार, कत्ल और अपहरण के कार्य कर रहे हैं। अब इससे सदन की कार्यवाही से क्या सम्बन्ध है और इस प्रश्न को उठाने की मैं आपको अनुमति क्यों दूं ?

श्री रियासत हुसैन--

164 (2) तथा (3) में अलग-अलग चीजें हैं। उनके सम्बन्ध में ही मैं कहना चाहता हूं। उस पर आप जो रूलिंग देना चाहें, दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो सूचना दी उसमें यह है "कुछ मंत्रियों का सीधा सम्बन्ध उन डकैतों से है जो यमुना और चम्बल के क्षेत्र में लूट मार, कत्ल और अपहरण के कार्य कर रहे हैं।"

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न तो पहले से ही उठा हुआ है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उसे आपने पढ़ दिया इसीलिये मैं उसी पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रियासत हुसैन साहब ने एक औचित्य की सूचना मुझे दी। उस सूचना पर वह दो मिनट खुद बोलना चाहते थे। मुझे जो सूचना दी गयी थी उसकी विवेचना सदन में करके उनसे मैंने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है कि इस प्रश्न को उठाने की यहां अनुमति दी जाय। अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप इजाजत दें तो कहूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री मोहन सिंह--

आप उनको इजाजत दे दीजिये ताकि अवसर मिल सके।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी आप जो सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूं और जो मन्त्री जी के लिये कह रहे हैं उसको भी समझ रहा हूं। कृपया आप बैठ जायं। यह विषय औचित्य की परिधि में नहीं आता है, इसलिये मैं अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, आप मुझको और श्री काशी नाथ को सुन लेते तब व्यवस्था दे देते। यह गम्भीर प्रश्न है जिसका संविधान से सम्बन्ध है। मुझको दो मिनट सुन लें और फिर काशी नाथ जी को भी सुन लेते और तब व्यवस्था देते।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, आप बैठ जायं ।

(समय 12 बज कर 21 मिनट)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

पहली सूचना श्री नन्द किशोर सिंह की है--विगत 23/24 मार्च, 1981 की रात्रि के 8 बजे हरदोई जनपद के माधवगंज एवं अटवा कुरसठ रेलवे स्टेशनों के मध्य, डकैतों द्वारा ट्रेन रोककर दो सिपाहियों की रायफलें एवं 25 हजार रुपये से अधिक मूल्य के सामान को लूटने के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा की--दिनांक 19 मार्च, 1981 को जनपद उन्नाव के सुभाष इन्टर कालेज, बांगरमऊ में विधायक श्री गोपीनाथ दीक्षित द्वारा पुलिस कर्मियों एवं अराजक तत्वों के साथ घुसकर मैनेजमेंट एवं प्राधानाचार्य को गालियां देने एवं आतंकित करने विषयक है ।

तीसरी सूचना श्री सूबेदार सिंह की--आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों, नागरिकों एवं विद्यार्थियों द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1981 को आगरा मंडल के बन्द के आवाहन पर, शान्त आन्दोलनकारियों पर पुलिस लाठी चार्ज के फलस्वरूप कुछ वकीलों एवं नागरिकों के गम्भीर रूप से घायल होने एवं उनको जेल में बन्द करने विषयक है ।

चौथी सूचना श्री मोहन सिंह की विगत 21/22 जनवरी, 1981 की रात्रि में, गोरखपुर जिले की फरेंदा पुलिस द्वारा ग्राम मछली गांव, निवासी श्री राधेश्याम एवं श्री सुरेश पुत्रगण श्री हरी बनिया की हत्या कर दिये जाने विषयक हैं । यह चारों सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं ।

(समय 12 बजकर 23 मिनट)

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 28-अनावासिक भवन, अनुदान संख्या 41-सार्वजनिक निर्माण (आवास भवन), अनुदान संख्या 70-संचार साधन अनुदान संख्या 71-कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 75-अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 76-कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83-आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 106-संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

श्रीमन् आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

[श्री जगदीश प्रसाद]

संख्या 28—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,83,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन् आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,21,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा के तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,16,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,14,000 रुपये के अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,16,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,84,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,06,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

संख्या 28--अनावासिक भवन, अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण (आवास भवन), अनुदान संख्या 70--संचार साधन, अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 75--अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 76--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 106--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

सचिवालय पुस्तकालय
[illegible]

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,75,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 106-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,23,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, जैसा की आपको ज्ञात है सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रमुख कार्य प्रदेश की सड़कों एवं पुलों का नव निर्माण, सुधार, पुनर्निर्माण तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत है और शासन के बहुत से विभाग के भवनों, आवासिक भवनों तथा अनावासिक एवं कार्यात्मक भवनों का नवनिर्माण तथा मरम्मत है । इस विभाग से सम्बन्धित क्रियाकलाप के बारे में तथा उसके बारे में व्यय की मांगों को, जो प्रस्तुत किया जा रहा है इसके बारे में विस्तार से अनुदान की प्राविधानिक धनराशि है उसका विवरण से आज सदन में पहले प्रस्तुत किया जा चुका है । जो हमारी उपलब्धि है, विभाग का जो संगठन एचीवमेंट है उसके जो क्रियाकलाप है उसका सिंहावलोकन तथा 1981-82 के बजट का जो कार्यक्रम है एवं कार्य पूर्ति दिग दर्शक आय-व्ययक उसका साहित्य परक वर्गआलरेडी माननीय सदस्यों को दिया जा चुका है । श्रीमन् चालू वित्तीय वर्ष में हमें लगभग 2 हजार 550 किलोमीटर नये मार्ग पूरे होने की आशा है जिससे प्रदेश में 61 हजार 683 किलोमीटर सड़के पूरी हो जायेगी, जो आजादी के पहले केवल 15 हजार 113 किलोमीटर थी । इसी प्रकार 62 नये पुलों का निर्माण होने की सम्भावना हैं और इसके अतिरिक्त इसी वित्तीय वर्ष में 1 हजार 206 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत, सुधार एवं पुनर्निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में सम्भावित है । श्रीमन्, 1981-82 में 18 सौ किलोमीटर नये मार्ग और 76 छोटे बड़े नये पुल और पूर्ण होने की सम्भावना है और 1320 कि0 मी0 वर्तमान सड़कों का सुधार व पुनर्निर्माण होने की सम्भावना है साथ ही साथ सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिये भी यथासम्भव व्यवस्था की जा रही है । जैसा कि प्रस्तुत अनुदानों के आंकड़ों से परिलक्षित होता है यह आंकड़े 1980-81 के तत्सम्बन्धी बजट अनुदान में प्राविधानित धनराशि के आंकड़ों से लगभग 10 करोड़ अधिक है । जैसा कि मैंने आपके समक्ष सितम्बर, 1980 में निवेदन किया था, उस वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ से सड़कों को हुई विशेष क्षति के फलस्वरूप 48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई थी । उसके मुकाबले में केवल 4 करोड़ रुपये की उपलब्धि हो पायी है । मान्यवर,

[श्री जगदीश प्रसाद--]

10 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में ही और उपलब्ध होने की संभावना है । श्रीमन् हमारे प्रदेश में सड़कों की मरम्मत ठीक से नहीं हो पायी और उनका रख-रखाव कायदे से नहीं हो पाया था उसकी वजह यह है कि तारकोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाया । तारकोल की उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर, पैट्रोलियम क्रूड की उपलब्धि से संबद्ध होने के कारण ही संभवत: यह स्थिति पैदा हुयी है । लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस कार्य को पूरा करें । मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो प्रस्तुत अनुदान हैं, इसमें नयी सड़कों के लिये किसी धनराशि का प्राविधान नहीं है और पांच करोड़ रुपये का जो प्राविधान नये कार्यों के लिये है, वह पुलों के नव निर्माण एवं पुननिर्माण, राज्य तथा प्रमुख मार्गों का सुदृढ़ीकरण, निर्माणाधीन सेतुओं के दोनों ओर पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु छूटी कड़ियों का निर्माण, अन्य विभागों के मार्गों का सुधार तथा आधुनिकीकरण एवं शहरों के उप मार्गों (बाई पास) के लिये है । इसका प्रमुख कारण है कि प्रदेश के संसाधन बहुत सीमित हैं और हमारा लक्ष्य है कि जो पहले से कार्य स्वीकृत हैं वह जल्द से जल्द पूरे किये जायं ।

मान्यवर, छठीं पंचवर्षीय योजना के लिये, समय-समय पर निर्धारित उद्देश्यों, जिनमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों का पक्की सड़कों से जोड़ना भी शामिल है, उसके लिये विभाग की आवश्यकता लगभग 948 करोड़ रुपये की थी परन्तु उसके मुकाबले में केवल 631 करोड़ रुपया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की योजनाओं के लिये था । उसमें 415 करोड़ रुपये का परिव्यय विभाग के लिये निर्धारित हुआ । जिसमें से 315 करोड़ रुपया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की योजनाओं के लिये है । प्रस्तुत अनुदानों में 1981-82 के बजट बनाने के लिये तदर्थ एवं अन्तिम रूप से मैदानी क्षेत्र के लिये निर्धारित आयोजना-परिव्यय सीमा 57 करोड़ रुपये के अन्दर प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, चालू वित्तीय वर्ष में इस विभाग से सम्बन्धित अनुदानों को सितम्बर, 80 में इस सदन में प्रस्तुत करते हुये मैंने यह कहा था कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिये समन्वित कार्यक्रम की आवश्यकता को देखते हुये प्रदेश स्तर पर तथा जिला स्तर पर समितियों का गठन विचाराधीन है । आज मुझे आपको यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि इसका गठन प्रदेश स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी किया जा रहा है । जैसा हमने पहले आपके सामने बताया था, उत्तर प्रदेश सड़क विकास परिषद् और जिले में जिला मार्ग विकास समितियों का गठन किया जा चुका है । यह जो सड़क विकास परिषद् होगी यह मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी । जिले में जो समितियां गठित की गयी हैं उनकी अध्यक्षता जिला परिषद् के अध्यक्ष करेंगे । इस समितियों में सड़कों के निर्माण कर्ता तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे ।

श्रीमन्, जैसा मैंने पिछले बजट भाषण में निवेदन किया था कि विभाग में जो ठेकेदारी की प्रथा है उसको 7 वर्ष के अन्दर समाप्त कर दिया जायगा और निर्माण कार्य विभागीय रूप से कराये जाने के बारे में दीर्घकालीन योजनायें बनायी जायेंगी । इस दिशा में श्रीमन्, कार्यवाही बड़ी तेजी से की जा रही है । मान्यवर, जैसा आपको ज्ञात है कि प्रयोगात्मक रूप से कुछ समय पहले कुछ विभागीय निर्माण इकाइयां (डिवीजनल कांस्ट्रक्शन यूनिट) का निर्माण किया गया था और उनका उद्देश्य था कि बजाय ठेकेदारों के यह कार्य सीधे विभाग द्वारा कराया जाय । इस

और हम काफी प्रयत्नशील हैं और विभाग द्वारा यह कार्य करने के लिये हम कोशिश कर रहे हैं । मान्यवर, साथ ही साथ में इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां कहीं भी ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उसे पूर्णतया समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं । साथ ही विभाग इस ओर भी ध्यान दे रहा है कि जितने दिनों भी ठेकेदारी प्रथा चल रही है, ठेके समुचित पात्रता वाले व्यक्तियों और पार्टियों को दिये जाएं । इस दृष्टि से विभाग ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति, अनुभव, तकनीकी जानकारी आदि अर्हताओं के आधार पर उनके वर्गीकरण पर उनको काम दिये जाने पर विचार किया जा रहा है । सितम्बर, 80 में मैंने अन्वेषण कार्यों को महत्ता देने एवं सर्वे तथा डिजाईन से सम्बन्धित विंग को मजबूत किये जाने के बारे में भी कहा था, उस दिशा में भी कार्यवाही हो रही है । अन्वेषण, सर्वे, डिजाईन तथा नियोजन आदि के कर्मचारियों के अलग संवर्ग बनाने विशेषज्ञों की सलाहकार समितियों बनाने, जांच अर्थात् टेस्टिंग कार्य का अधिक विकेन्द्रीकरण किये जाने, आवश्यक पुस्तकों के प्रकाशनों की समुचित व्यवस्था किये जाने के प्रयास भी जारी हैं । साथ ही विभाग के प्रशासकीय विकेन्द्रीकरण, जिसका जिक्र भी मैंने सितम्बर, 80 में आप लोगों के समक्ष किया था, इस ओर भी प्रगति हुयी है । सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त प्रमुख अभियन्ताओं ने अपने क्षेत्रों में स्थित मुख्यालयों में कार्य शुरू कर दिया है । इस विकेन्द्रीकरण का असर अच्छा पड़ा है । इसमें हमको काफी सफलता मिली है । इस पर सभी अभियन्ताओं ने कार्य करना शुरू कर दिया है । इस विकेन्द्रीकरण का परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में जो सड़कों का निर्माण होना था इनमें से अधिकांश सितम्बर में ही पूरी हो गयी । लेकिन इसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी । हाल ही में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जनवरी 1970 से प्रचलित खाद्यान्न योजना में संशोधन करके इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का रूप दिया जाए जिसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1980–81 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की पिछली खाद्यान्न योजना के अवशेषों की पूर्ति के लिए 4.995 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया ह और नये कार्यों के लिए श्रमिकों को भुगतान के लिए 72.6 लाख रु0 की धनराशि, पुलियों आदि के निर्माण के लिए सामग्री के क्रय के लिए 200 लाख रु0 की धनराशि तथा 13,200 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किये गये हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में मार्गों पर मिट्टी का कार्य तथा उन पर खड़ंजा बिछाने तथा पक्की पुलियां बनाने का कार्य सम्पादित किया जायेगा । विभाग के भवन, सेतु तथा मार्गों के निर्माण कार्य में रत जो कारीगर और श्रमिक हैं, उनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है ताकि उनके कार्य की दक्षता में सुधार और एक रूपता आ सके ।

भ्रष्टाचार के बारे में अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों और मा0 देहलवी जी बराबर चर्चा करते रहते हैं । विभाग द्वारा बराबर इस बात के लिए प्रयास जारी हैं भ्रष्टाचार पूरी तरह से जो व्याप्त है और जैसा कि दूसरे विभागों में भी व्याप्त है । बहरहाल विभाग भ्रष्टाचार रोकने अथवा कम करने की ओर भी ध्यान दे रहा है । चालू वित्तीय वर्ष में 1980–81 में अप्रैल, 80 से दिसम्बर, 1980

[श्री जगदीश प्रसाद--]

शासन द्वारा 120 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं और अतिरिक्त प्रमुख अभियन्ता, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी दंड देने, निन्दित करने, चेतावनी देने की कार्यवाही की गयी है । इसी संदर्भ में विभाग में एक भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस कोष्ठक कायम करने के प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है ।

मान्यवर, जैसा कि आपको मालूम होगा, विभाग का पिछले दो-तीन वर्षों में काफी प्रशासकीय विस्तार हुआ है और बहुत से नये वृत्तों, खण्डों का सृजन किया गया हैं । तदनुसार विभागीय नियंत्रण एवं प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य में वृद्धि हुई है । तो इसको काबू में करने के लिये यह जरूरी हो गया कि नियंत्रण एवं प्रबन्ध प्रक्रियाओं में सुधार किया जाय । इस दृष्टि से शासकीय संस्था "उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन" को सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय किया गया है । यह संस्था इस पर भी सुझाव देगा कि विभागीय कार्य में नयी तकनीकों जैसे कार्डेक्स प्रणाली, कैप्यूटर आदि का लाभदायक उपयोग किस सीमा तक हो सकता है, ताकि उससे अभिलेख रखने, संगणना डिजाइन आदि का कार्य सुव्यवस्थित एवं कम समय में हो सके और फलस्वरूप मितव्ययिता भी हो ।

मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विभाग के बजट अनुदानों में प्राविधानित धनराशि द्वारा व्यवस्थित निर्माण कार्यों में से भवनों और पुलों के बहुत से निर्माण कार्य विभाग अपने से सम्बन्धित क्रमशः राजकीय निर्माण निगम एवं राज्य सेतु निगम से निष्पादित करवाता है । राजकीय निर्माण निगम की स्थापना मई, 1975 में की गयी थी । तब से यह निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है । दिसम्बर, 1980 तक लगभग 171.50 करोड़ रुपये का कार्य पूर्ण कर चुका हैं, जिनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य भी शामिल हैं । वर्ष 1980-81 में निगम द्वारा लगभग 28 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण किये जाने की सम्भावना हैं । इन निगम द्वारा किये गये कार्यों में मुख्य कार्य ओबरा ताप बिजली घर, तीन चीनी मिलें, कताई मिल, मथुरा तेल शोधक कारखानों की चिमनी, ओखला बैराज एवं आटो ट्रैक्टर लिमिटेड, अनेक न्याय, राज्य सम्पत्ति, गृह व अन्य विभागों के बहुखण्डीय भवनों के कार्य उल्लेखनीय हैं । निगम भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्य विधि का विस्तार कर रहा है जैसे सुरंग, चिमनी तथा स्टील स्ट्रक्चरल आदि के कई स्पेशलाइज्ड वर्क्स निर्माणाधीन हैं । निगम ने 8.15 करोड़ रुपये लागत का ओबरा तापीय विद्युत् गृह का सिविल कार्य मथुरा तेल शोधक कारखाने में 120 मीटर ऊंची चिमनी का निर्माण तथा शक्तिनगर में स्टील स्ट्रक्चरल के 2.00 करोड़ रुपये के प्रतिष्ठापूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पादन किया है । उसके द्वारा प्रदेश के बाहर अनेक कार्य किये जा रहे हैं । 3.25 करोड़ रुपये का कार्य लीबिया में किया जा रहा है ।

इसी प्रकार राज्य सेतु निगम, जिसकी स्थापना मार्च, 1973 में हुई थी के कार्य-कलापों एवं कार्य क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है । इस निगम का कार्यभार 1973-74 में लगभग 6 करोड़ रुपये का जो 1980-81 में बढ़कर लगभग 25 करोड़ रुपये का हो गया है और उसका 1981-82 में लगभग 35 करोड़ हो जाना सम्भावित है । मार्च, 1973 से फरवरी, 1981 तक इस निगम को प्रदेश के 270 सेतुओं के कार्य मिले थे जिनमें से 168 फरवरी, 1980 तक पूर्ण किए जा चुके हैं । निगम द्वारा 1980-81 में 44 पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है, जिनमें से 30 पुल फरवरी, 1980 तक पूर्ण किये जा चुके हैं जैसे जिला बांदा में केन नदी का पुल, जिला

संख्या 28--अनावासिक भवन, अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण (आवास भवन), अनुदान संख्या 60--संचार साधन, अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 75--अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 76--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 106--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

फर्रुखाबाद में काली नदी पर पुल, जिला आजमगढ़ में टोंस नदी पर पुल आदि। वर्ष 1981-82 में इस निगम द्वारा 52 पूलों का निर्माण पूरा किये जाने का लक्ष्य है। इस समय इस निगम द्वारा निर्माणाधीन पुलों में से प्रमुख हैं गाजीपुर जिले में गंगा नदी पर पुल, जिला इलाहाबाद में गंगा नदी पर पुल, जिला हमीरपुर में बेतवा नदी पर पुल आदि। यह निगम प्रदेश में सेतुओं की परिकल्पना एवं निर्माण कार्य के अतिरिक्त सिविल इंजीनियरिंग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य देश एवं विदेश में कर रहा है जैसे हाल ही में आसाम में मध्य प्रदेश में एवं पंजाब में एक-एक सेतु का निर्माण कर चुका है।

उत्तर प्रदेश जल निगम की दिल्ली जल सम्पूर्ति योजना का निर्माण कार्य भी इसी सेतु निगम द्वारा किया जा रहा है और नई दिल्ली में "एशियाड-1982" के लिए "3 फलाई ओवर" का निर्माण भी किया जा रहा है। इस सेतु निगम को विदेशों में भी खुली निविदाओं के आधार पर कार्य मिले हैं जिसमें से अधिकतर की परिकल्पना भी इसी निगम द्वारा की गई है एवं नेपाल में 33 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक सेतु का निर्माण हुआ है।

श्रीमन्, शासन अपने विधायकों, अधिकारियों कर्मचारियों के आवासीय समस्या के समाधान के प्रति भी सजग और जागरूक है। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए विधायकों के आवासों में आवश्यक वृद्धि की गई है। निर्माणाधीन गृह माननीय विधायकों और अधिकारियों के लिए शीघ्र पूरे होने की सम्भावना है। बहुत से कार्य पूरे भी हो चुके हैं। आवासों के आवंटन के सम्बन्ध में नियमावली भी बनाई गई है जिससे तदर्थ स्थिति को समाप्त करके न्यायोचित रूप से आवासों का आवंटन किया जायेगा। कुछ बड़े-बड़े व्यक्ति नाम मात्र का किराया देकर बड़े-बड़े मकानों में रह रहे हैं इससे बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गई है। इस सम्बन्ध में भी अधिनियम में रिवाइज्ड कर दिया गया है जिससे सभी आवासों में एकरूपता कायम हो सके। नैनीताल, कलकत्ता स्थित गृहों में भी काम किया गया है और दिल्ली स्थित यू0 पी0 निवास में तो माननीय विधायकों और अधिकारियों को बड़ी परेशानी होती थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वहां उत्तर प्रदेश भवन का निर्माण भी लगभग पूरा हो गया है और मुझे आशा है कि अगले महीने तक वह हैंड-ओवर हो जायेगा और विधायकों को जो परेशानी और कष्ट होते थे वह दूर हो जायेंगे। इसके अलावा मान्यवर जैसा कि आपने 26 जनवरी को शिलान्यास किया है सेन्ट्रल हाल के लिए, वह सुविधा भी हम लोगों को, जिसकी संरचना हम लोगों ने की है, उपलब्ध हो जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का आभारी होऊंगा कि वे बहुमूल्य सुझाव हमें देंगे और आपका सहयोग हमें मिले इसके लिए हम आपके आभारी होंगे।

(श्री हुकम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इसके पहले कि आप प्रारम्भ करें मैं केवल एक निवेदन आपसे करूंगा कि इस अनुदान पर, जैसा कि ज्ञात हुआ है, बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, इसलिए

[श्री अध्यक्ष--]

जहां तक आपके समय का सवाल है उसे मैं सीमित नहीं करता उसे आप स्वयं सीमित कर लें, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि अन्य माननीय सदस्य 5-5 मिनट का ही समय लें ।

*श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण (अनावासिक भवन)-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 106--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं एक परम्परा से हटकर जिसके अनुसार कटौती प्रस्ताव के समर्थन में सारी बात आलोचना से शुरू होती है, मैं उस परम्परा से अलग होना चाहता हूं और मैं अपनी बात माननीय मंत्री जी और उनके विभाग के अधिकारियों को बधाई देकर शुरू करता हूं क्योंकि मान्यवर, हमारे कुछ साथियों ने बताया और अखबारों में भी निकला है कि दूर अंचलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ा भ्रष्टाचार है लेकिन मान्यवर, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इनके कारनामों की जानकारी करने के लिए न पहाड़ों पर जाने की जरूरत है, न अंचलों पर जाने की जरूरत है। अभी इसी विधान सभा में मान्यवर, जहां 426 सदस्यों के बैठने की जगह है और यहां सामने बहुत बड़ी फौज मंत्रियों की बैठी हुई है, यहीं से इनका भ्रष्टाचार जिस प्रकार आरम्भ होता है और जिस हिम्मत और साहस का यह परिचय देते हैं वह साहस की पराकाष्ठा है। सामने मान्यवर, दिखाई दे रहा है ट्यूबलाइट्स के कवर। इसी असेम्बली में ट्यूबलाइट्स के कवर के लिए 3,180 रु0 चार्ज किये गये। मेरा सुनिश्चित जानकारी है मान्यवर, कि ट्यूबलाइट का कोई कवर तब्दील नहीं किया गया। अभी दो घंटे बाद मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े होंगे तो बतायें कि क्या कोई बाउचर या इन्दराज आपके कागजों में है या नहीं ? इसी विधान सभा भवन के मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स की मरम्मत दिखाई गई और उस पर साठ हजार रु0 का खर्च दिखाया गया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों से जानकारी कर लें कि यह जो रुपया खर्च किया गया उसकी जानकारी आपके अधिकारियों को है या नहीं क्योंकि यह कहना बहुत आसान होगा कि विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है

दो मिसालें मैंने दी माननीय मन्त्री जी को। साथ ही साथ अगर बाहर आप निकल जायं और देखें कि जितने कूलर लगे हैं विधान सभा मण्डल में आधे कूलर गायब हैं उनमें से और क्या कोई जानकारी मन्त्री जी को है कि विभाग का कौन अधिकारी उन कूलरों को ले गया, कहां ले गया, उनका कोई इन्दराज भी है या नहीं। केवल एक छोटी मिसाल आप को दी है आपके कार्यकलापों के बारे में। इसी कारण मैंने आपको बधाई भी दी। भ्रष्टाचार के लिए आपको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 425 विधायकों को आप अनदेखी कर सकते हैं, पूरे इस मन्त्रि मण्डल की आप अनदेखी कर सकते हैं। आप अपने क्रियाकलापों से बाज आने वाले नहीं हैं।

मान्यवर, बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण माननीय मन्त्री जी अपने सक्षम अधिकारियों से लिखवा लाये, हर एक बात की जानकारी इनके अधिकारी इन्हें दे सके। हम लोगों को तो या तो अखबारों का सहारा है या अपना जो निजी

[श्री हुकम सिंह—]

तजुर्बा है नागरिक होने के नाते, विधायक होने के नाते, उसका सहारा है। मान्यवर, दो प्रकार की सड़कें हर प्रदेश में हैं—एक राष्ट्रीय मार्ग के नाम से जिनको पुकारा जाता है, जिनकी मरम्मत, जिनकी तामीर केन्द्र सरकार करती है, पैसा आपको देती है, आप अपने विभाग के द्वारा उनकी मेन्टीनेन्स कराते हैं। दूसरी वे सड़कें हैं जिनकी तामीर आप अपने पैसे से करते हैं प्रदेश के पैसे से उनकी मेन्टीनेन्स कराते हैं। शायद मेरे लिए यह शब्द मुश्किल हो जाता यदि मैं यह कहता कि हरियाणा की सड़कें उत्तर प्रदेश की सड़कों से अच्छी हैं क्योंकि आप कहते कि हमारे पास पैसों की कमी है। लेकिन जितने किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग हमारे हिस्से में आता है, प्रदेश से होकर गुजरता है और उसी के अनुपात से आपको केन्द्र से पैसा मिलता है मेन्टीनेन्स के लिए और बनाने के लिए, केवल उस राष्ट्रीय मार्ग को जो हमारे प्रदेश में पड़ता है और उसका दूसरा हिस्सा जो दूसरे प्रदेश में पड़ता है उसकी तुलना कर लें, अध्ययन कर लें, उसकी शक्ल का, मेन्टीनेन्स का। जो भाग राष्ट्रीय मार्ग का दूसरे प्रदेश में पड़ता है उसकी दूसरी शक्ल है, वहां सफर करने को मन करता है, गाड़ियों की टूट फूट कम होती है। जो राष्ट्रीय मार्ग उत्तर प्रदेश से गुजरता है तो एक अजीबो गरीब कहानी सामने आती है। तो यह सब आखिर क्यों। क्या कारण है इन बातों का। मान्यवर, बात साफ है। मन्त्री जी सबूत मांगेंगे और इनके घोटालों का सबूत देना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है क्योंकि बड़े-बड़े वरिष्ठ अधिकारी आपके पास हैं, इस बात के लिए निपुण हैं, इसलिए सबूत मुहैय्या करना आसान नहीं होगा। लेकिन जो एक चीज सामने देखने में आ रही है, जिसकी स्पष्ट स्थिति है, उसका क्या जवाब आपके पास है। कृपा कर जब आप जवाब दें इसकी जानकारी कराने का कष्ट करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

मान्यवर, किसी विभाग के लिए अपने कार्य संचालन कराने में उस विभाग को जो रिसर्च और डेवलपमेंट केन्द्र हैं उसकी बहुत भारी जिम्मेदारी है। माननीय मंत्री जी ने इसका जिक्र भी अपने भाषण में किया। 200 करोड़ रुपये आप चाह रहे हैं। उन 200 करोड़ में से कितना रुपया आप रिसर्च और डेवलेपमेंट में खर्च कर रहे हैं। क्या कोई हिसाब आपके पास है? 1963 में 50 करोड़ रुपये का बजट इस प्रदेश का था। 50 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ इस प्रदेश का बजट हो गया है। इस अनुपात में कितनी वृद्धि आपने रिसर्च और डेवलेपमेंट में की है, कोई जानकारी इस बात की है। मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1 प्रतिशत भी हम रिसर्च और डेवलेपमेंट पर इस बजट का खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर यह इतना बेकार का संस्थान है, बेकार की इकाई है, तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अब आप उस पर निर्भर करना चाहते हैं मितव्ययता के लिए, सड़कों में इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, भवनों की तामीर और उनके डिजाइन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि कि इस संस्थान के ऊपर कितने खर्च की आवश्यकता है, कितने उपकरणों की आवश्यकता है, यह हम उन्हें दे पा रहे हैं या नहीं। आपने अपने विभाग का विकेन्द्रीकरण कर दिया। आपने प्रमुख अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोन्स में भेज दिए। आपने ठीक किया, यह खुशी की बात है, वह होना चाहिए लेकिन क्या आप इस बात की आवश्यकता नहीं समझते कि जब आप अलग-अलग जोन्स बना रहे हैं तो साथ ही साथ उस जोन में एक प्रयोगशाला भी कायम की जाय। क्योंकि इतने बड़े प्रदेश के लिए लखनऊ में एक प्रयोगशाला रखकर आप संतुष्ट हो गए और वह आपके विभाग के अधि-

कारियों और जनता की अवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगी, मैं नहीं समझता। सन् 63 से जो बजट इसके लिए चला आ रहा है उसी अनुपात से चला आ रहा वह क्या इतने बड़े प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पायेगा ?

[समय 1 बजकर 2 मिनट]

मान्यवर, एक अजीब सी कहानी है इसके रिसर्च और डेवलपमेंट सेल की जितने आपके अधिकारी हैं, जिस अभियन्ता से आप नाराज होते हैं उसको आप इस रिसर्च और डेवलपमेंट सेल में भेज देते हैं। जिस अधिकारी को आप सक्षम नहीं पाते हैं उसको यहां डाल देते हैं और वह बजाय इसके कि यह महसूस करें कि उसको रिसर्च करने का मौका मिला है वह यह सोचेगा कि उसे सजा मिल गई है और वह किसी तरह से दो-ढाई साल का समय इस संस्थान में गुजारने के बाद वह चाहता है कि उसे किसी प्रान्तीय खन्ड में भेज दिया जाय, किसी फील्ड वर्क में भेज दिया जाय। उस अधिकारी के नीचे जो स्टाफ काम कर रहा होता है वह भी उसकी उपेक्षा करने लगेगा और उसके प्रति मनोबल उठ जायेगा। आपको ऐसे अधिकारियों को इस संस्थान में रखना चाहिए जो आपके प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त करने और भवनों के निर्माण में नई खोज निकालने में रुचि ले सके। इसलिए आप इस रिसर्च और डेवलपमेंट सेल पर विशेष जोर दें और इसको उपयोगी सेल बनायें। इसका जल्दी ही विकेन्द्रीकरण कर दें और हर जोन में एक लेबोरेटरी बना दें।

दो निगमों का आपने जिक्र किया--एक निर्माण निगम और दूसरा सेतु निगम। इसमें सन्देह नहीं कि प्रदेश सरकार ने जितने निगम बनाए हैं उनकी अपेक्षा ये दोनों निगम काफी हद तक सही काम कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में भी इन निगमों को काम मिला है और विदेशों में भी काम मिला है। इससे जाहिर होता है कि जहां दूसरे निगमों ने बड़ा भारी नुकसान उठाया है, ये निगम अच्छा काम दिखा रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां आप इतना बड़ा भारी बजट इसके लिए मांग रहे हैं उसमें कुछ न कुछ इन्वालवमेन्ट इस सदन का भी इन निगमों में होना चाहिए। जो आप इन निगमों का बोर्ड बनाते हैं उसमें इस सदन के दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को भी इन निगमों में रखें ताकि वे आपके आधिकारियों को सही सलाह और मशिवरा दे सकें और शायद कुछ हद तक वह उसको सुचारु रूप से चलाने में सहायक हो सकें। हो सकता है यह बात आपकी जानकारी में आई हो कि विदेशों में कार्य संचालन के बहाने आपके अधिकारी चक्कर मार आते हैं और जो कार्य-कलाप वहां होता है, उससे शायद आपको खुशी होती होगी लेकिन इस देश और प्रदेश की छवि जरूर उससे खराब होती है। यदि इस सदन के सदस्यों का उसमें इन्वालवमेन्ट होगा तो आप बच जायेंगे। मान्यवर, मुझे भी अखबारों में पढ़ने को मिला था और मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के ही लोग आपके बारे में कुछ कहें और आपके ही निरीक्षण भवन में कहें तो वह एक सदस्य होने के नाते हमको जरूर बुरा लगता है। मैं तो आपसे यह आग्रह करता हूं कि आगे इन बातों को न

[श्री हुकम सिंह—]

दोहरायें । इसके लिए हमारे अपने निजी मकान भी हैं उसके लिए डाक बंगलों का इस्तेमाल न करें (व्यवधान) कट्राडिक्सन तो हर बात का आ जाता है । कुछ चीजें अभिशाप बनेगी आपके विभाग के ऊपर और मुझे इस बात को कहते हुए संकोच होता है क्योंकि माननीय मन्त्री जी उनसे अपने आपको नहीं बचा पायेंगे आपके विभाग का एक अधिकारी पिछले 7 सालों से लखनऊ में विराजमान है और राज्य संपत्ति अधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं, कई बार उनके बारे में यहां पर आपके समय में भी चर्चा चल चुकी है आपकी पार्टी के सदस्यों ने की है, विधायकों की आड़ में, विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं के नाम पर जितना भ्रष्टाचार आपके विभाग में हो रहा है अगर वह चीज कहीं और होती तो अभी तक प्रकाश में आ गई होती क्योंकि जब कोई विधायकों से सम्बन्धित मामला होता है तो उसमें आडिटर लोग भी संकोच करते हैं, दूसरे अधिकारी भी संकोच करते हैं । जितना सामान साजसज्जा के लिए खरीदा गया क्या उसके लिए कोई कमेटी बनी या नहीं बनी है या केवल एक ही अधिकारी को इतना बड़ा अधिकार है कि लाखों रुपयों की चीज बिना टेन्डर मगांये, बिना रेट मगांए ले लें जिसका कोई हिसाब किताब मांगने वाला नहीं है । तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप अपने विभाग को छवि बनाये रखना चाहते हैं तो कम से कम जो खर्च हम लोगों के ऊपर होता है उसमें विधायकों का भी इनवाल्वमेंट करलें और पूछ लें कि कौन सा सामान खरीदेंगे और कैसे खरीदेंगे इस बात की जानकारी हम लोगों को हो जाय ।

मान्यवर, सारे प्रदेश का सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार से आपके विभाग से जुड़ा हुआ है । चाहे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी की गाड़ी हो, चाहे खेलकूद मन्त्री जी की गाड़ी हो, आपका विभाग जिससे खुश है उसे बढ़िया गाड़ी दे देगा । अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से नाराज है तो उन्हें खचड़ा गाड़ी 1971 माडल की दे देग । आपके जो संपत्ति अधिकारी हैं उनकी दया दृष्टि किसी पर हो गई तो उनकी नई गाड़ी बच कर भी उन्हें एक लाख की नई गाड़ी खरीद कर वे देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा काम चल रहा है गाड़ी बेचने और खरीदने का क्या उसको देखने की तकलीफ गवारा की आपने कभी । जिन गाड़ियों को नीलाम किया गया क्या उनके लिए कोई अधिसूचना जारी की गयी थी कि किस प्रकार की वह गाड़ियां थी या उनके लिए कोई बोर्ड जिसने देखा हो कि यह चलने लायक हैं या नहीं हैं इसके बारे में कोई कमेटी आपके विभाग के अधिकारियों की है या बिना एप्रूवल के यह काम हो जाता है और एक अधिकारी ही सारे विभाग को नचाता है ।

कई संकट आपके विभाग के सामने आ जाते हैं । कभी-कभी दूसरे विभागों द्वारा बनाई गयी सड़कों को लेने का संकट, कभी-कभी दूसरे विभाग के लिए सड़कें तैयार करने का संकट आता है । तो मैं चाहता हूं कि यह सारा काम एक सुनियोजित तरीके से होना चाहिए । आपके विभाग को किस काम को लेना है उसकी एक योजना पहले से बन जाय तो अच्छा होगा । आपने देखा होगा कभी-कभी केन्द्र से आपको पैसा मिलता है उसमें एक नयी परम्परा स्थापित की जा रही है । पैसा आपको सड़क बनने के लिए केन्द्र से मिलेगा और सड़कें आपको बनानी हैं लेकिन उसमें आपके विवेक में विश्वास न करके एक निर्देश आयेगा कि अमुक विधायक या अमुक सांसद के क्षेत्र में इसका निर्माण करें और उसके लिए यह रुपया भेजा जा रहा है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और केन्द्र से आग्रह करें कि वह पैसा

दें और इस बात का निश्चय प्रदेश सरकार करेगी कि कौन-सी सड़क का निर्माण होगा और कौन-सी सड़क का निर्माण नहीं होगा । कहां उसकी ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि कोई प्रभावशाली आदमी जाकर केन्द्र में बैठ गया--जैसे कल्पनाथ राय या अरुण नेहरू आदि, तो उसके क्षेत्र में तो सब कुछ हो जायेगा, लेकिन जो कम प्रभावशाली सांसद वहां बैठे हुए हैं, उनके क्षेत्रों की अनदेखी होती रहेगी और आप सक्षम नहीं होंगे कि चाहते हुए भी आप उस क्षेत्र के लिए कुछ कर पायें ।

अब मैं सेतु-निगम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आपने पुल बनवा दिया, किन्तु कितने समय तक आप उस पर टैक्स के रूप में जनता को शोषण करते रहेंगे, इसका मापदन्ड क्या कोई आपने रखा है ? आप कहेंगे कि उसकी कीमत जब तक वसूल नहीं कर लें, तब तक वसूली जारी रहेगी । तो जिस समय सेतु का निर्माण हुआ, उस वक्त के खर्चे से आप इसे बैठायेंगे या जब वसूली समाप्त करने जा रहे हैं, उस वक्त के लागत रेट से आप इस खर्चे को बैठायेंगे ? दूसरे आपने यह किया है कि इसमें विभागीय अधिकारियों को बैठाने के बजाय आपने ठेकेदारों को बैठा दिया है । जबकि आप कहते हैं कि हम तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर रहे हैं और भविष्य में कोई ठेकेदारी का काम नहीं होगा । इन ठेकेदारों ने दोतरफा शोषण शुरू किया है, एक तरफ तो यह जनता का शोषण करते हैं और दूसरी तरफ सरकार का शोषण करते हैं । जब आप इनसे समय-समय पर रुपया मांगते हैं तो यह कह देते हैं कि अभी हमारे पास है नहीं, वसूली नहीं हुई है या वसूली में हानि हो गई है ।

तारकोल की कमी के बारे में आपने कहा था, क्या यह सही नहीं है कि उसकी कमी के बावजूद भी जितना तारकोल आपके विभाग में खरीदा जाता है, वह अंडर-हैंड तरीके से दूसरे ठेकेदारों को दे दिया जाता है, जो ब्लैक में जिला परिषदों, नगरपालिकाओं और महापालिकाओं को दे देते हैं । तो इसके ऊपर आपने अभी तक क्या नियंत्रण किया है ? ठीक है कि कमी चल रही है, लेकिन कमी को उसकी अत्यधिक कमी कर देना कदापि उचित नहीं है और यह करने में आपके विभाग के अधिकारी काफी सिद्ध हैं, वह इस कला को खूब अच्छी तरह से जानते हैं । आप उनकी इस कला में क्या कोई कमी कर पायेंगे या नहीं, यह देखने की बात है ।

यह सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए बड़े आंसू बहाती है, लेकिन आपके द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, उसके अनुसार राजपत्रित अधिकारियों की संख्या विभाग में 2223 हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के केवल 42 अधिकारी हैं और 92 पिछड़ी जातियों के हैं । इसके अलावा नान-गजेटेड कर्मचारियों की संख्या 53,278 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के कर्मचारी केवल 1,534 हैं । यह संयोग की बात है कि जिस विभाग में सबसे ज्यादा अनदेखी अनुसूचित जातियों आदि की हो रही है, वह विभाग कोटे में आपके ही पड़ा है । आप तो कोटे से मंत्री बन गये, लेकिन जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है, उनकी तरफ तो आप ध्यान दे दें । आप

[श्री हुकम सिंह--]

कम से कम अपने अधिकारियों से पूछ लें कि सरकार की ओर से जो प्रतिशत इनके लिए निर्धारित हैं, उसके अनुसार विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की भरती क्यों नहीं हो रही है । यदि लोकपति या विद्याभूषण का विभाग इससे वंचित रह जाता, तब तो समझ में आता, लेकिन आपका विभाग इससे कैसे वंचित रह रहा है, यह समझ में नहीं आता है । मिसाल के तौर पर में आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि खटीमा पानीपत रोड पर जमुना पार करने के लिए हरियाणा में एक बहुत बड़ा पुल बना था और 2 वर्ष पूर्व जब बाढ़ आयी थी तो उसका एक पिलर ही बैठ गया था। उस पुल की मरम्मत के लिए जो पत्थर वहां पर डाले गए, अगर उनकी कीमत आंकी जाय, तो करीब-करीब उसके जितना पुल के निर्माण पर खर्चा आया है, कैसे बराबर होगा जब कि उस पुल में 20-25 पिलर बने थे । तो मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इसका पता लगवायें कि इतना खर्चा क्यों हुआ । अगर इतने पत्थरों को यमुना नदी में ही डलवा दिया जाता तो भी पानी को रोका जा सकता था । यह कोई रुटीन की चीज नहीं है, इसे दिखवाया जाय ?

लखनऊ में ही एक डालीबाग कालोनी बनायी गयी है जिसमें अधिकतर आपके प्रशासन के ही अधिकारी रहते हैं । उसका निर्माण आपके निर्माण निगम द्वारा ही किया गया है और जितना भी निर्माण किया गया है उस सब में सब स्टैन्डर्ड सामान से किया गया है । तो मेरी प्रार्थना है कि कम के कम एक-दो बिल्डिंग का आप चयन करके दिखवा लें । इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि सड़कों के बनाने के बावजूद भी आपको क्या संकोच है कि आप उनको महापालिका को सुपुर्द क्यों नहीं करते हैं । जब तक वे सुपुर्द नहीं होंगी, तब तक महापालिका उन पर लाइट नहीं लगायेगी और न अन्य सुविधायें ही नागरिकों को मिल पायेंगी और जब तक ये सुविधाये नहीं होंगी तब तक रोज चोरी और डकैतियां जो इस समय भी होती हैं, होती रहेंगी । तो यह ब्यूरोक्रेटिक तरीका, लाल फीताशाही का तरीका जब तक टेक्नीकल विभागों में लागू रहेगा तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है । एक निश्चित अवधि के अन्दर काम पूर्ण होने पर संस्था या योजना को सम्बन्धित विभाग को नहीं सौपा जायेगा तब तक विभाग में काम नहीं चलने वाला है ।

इसके अतिरिक्त हमारे बरेली के एक माननीय सदस्य नियम 301 में कह रहे थे कि उनके जनपद में पिछले 15 सालों से एक पुल, कुर्सी पुल का निर्माण चल रहा है लेकिन आज तक भी वह मुकम्मल नहीं होने में आ रहा है । वे माननीय सदस्य आपकी ही पार्टी के सदस्य हैं । कुछ समस्यायें भी प्रश्नकाल में इसी माननीय सदन में उठायी गयी थी आपके विभाग के बारे में चाहे वे दारुल-शफा की हों, चाहे यू० पी० निवास की हों लेकिन कोई समाधन नहीं हो पाता है । मेरा आपसे आग्रह है कि आप संजीदगी से विचार करके जो सुविधायें माननीय सदस्यों को मिलनी चाहिए, उन्हें दिलवाने की कृपा करें । इस सन्दर्भ में ज्यादा घोटाले में न जाकर मैंने अपने सुझाव सदन में रखे ताकि आगे चल कर उन पर विचार हो सके ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, आपने मुझे जो बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट सदन में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्तुत किया है वह प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही हितकारी साबित होगा जैसा कि बजट को देखने से मालूम हुआ है। विरोध पक्ष के माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए भ्रष्टाचार पर विशेष बल दिया है लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कोई ठोस सुझाव नहीं दिये। भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने एक उदाहरण यह दिया कि हमारे सदन में जो ट्यूबलाइट पर कवर लगाने के लिये जो अच्छा खासा धन व्यय किया गया, उसके बाद भी उन ट्यूबलाइट पर कवर नहीं हैं। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि वे देख लें, कवर उन पर हैं।

भ्रष्टाचार अवश्य है और वह कुछ न कुछ हर विभाग में है। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यह सभी जानते हैं कि जूनियर इन्जीनियर से लेकर इंजीनियर और ऊपर तक एक बंधा हुआ प्रतिशत है, जो 12 से 15 प्रतिशत तक है, वह अधिकारियों और कर्मचारियों को ठेकेदार से प्राप्त होता रहता है। मेरा सुझाव यह है कि जब भी कोई पुल या सड़क समय से पूर्व खराब हो जाये तो उसे बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाये और सम्बन्धित इन्जीनियर आदि को रिवर्ट किया जाये या जो भी दंड मुनासिब हो दिया जाय। अब उसका केवल ट्रान्सफर ही कर दिया जाता है वह कोई सजा नहीं है, सिफारिश आदि के बल पर उसका ट्रान्सफर भी रुक जाता है। इसलिये विभाग में प्रतिशत का जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसे माननीय मंत्री जी खत्म करने की कोशिश करें, इससे काफी भ्रष्टाचार रुकेगा। मैंने जो इसके लिए सुझाव दिया है अगर उसको अमली जामा पहनाया जाये तो अवश्य इससे भ्रष्टाचार रुकेगा।

इस बार बारिश आदि में सड़कें काफी खराब हुई हैं। उनकी मरम्मत आदि पर काफी धन खर्च होगा। मैं जी0 टी0 रोड के बारे में यह निवेदन करूंगा कि यद्यपि वह सड़क केन्द्र बनवाता है, पर वह सड़क जिन-जिन प्रदेशों में होकर जाती है उसका रख-खाव उसी प्रदेश की सरकार को करना पड़ता है। यह सड़क शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक बनवायी थी। जब दूसरे प्रदेशों के लोग इस सड़क से हमारे प्रदेश से होकर गुजरते हैं तो इसी सड़क के रख-रखाव से हमारे यहां की प्रगति के बारे में अन्दाजा लगा लेते हैं। इसलिए इस सड़क की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाये। एक सुझाव और देना चाहता हूं। जिन विधायकों के क्षेत्र में सड़क आदि बनाने का काम शुरू हो, वहां के विधायकों की राय को भी महत्व दिया जाना चाहिये। वे विधायक चाहे इस सत्ता पक्ष के हों या विरोध पक्ष के हों, आप अपने अधिकारियों को यह निदेश देने का कष्ट करें कि वे क्षेत्रीय विधायकों की राय को अवश्य महत्व दिया करें। प्रायः यह देखा जाता है कि जिला स्तर पर जिन खास ठेकेदारों की और खास जूनियर इन्जीनियर की सुविधा और इच्छा के अनुसार सड़क ली जाती है। मान्यवर, इसको न देखा जाय, बल्कि जो आवश्यक सड़क हैं उनको पहले लिया जाय। जो सड़कें निर्माणाधीन हैं, उन्हें अविलम्ब पूरा कराया जाय, उसके बाद दूसरी सड़क ली जाय। हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने घाघरा पुल के लिए स्वीकृति दे दी है और उसका शीघ्र ही

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय]

निर्माण होने जा रहा ह । मैं यह अनुरोध करता हूं कि शिलान्यास के साथ ही उस पर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें ।

*श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, आज न्याय और सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो दो अरब 53 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया हैं, मैं तो मैं विपक्ष की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने बड़े प्रदेश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है ।

(इस समय 1 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र सिंह यादव पीठासीन हुए ।)

खास तौर से जो एक देश के विकास के लिए, खास तौर से भारत जैसे देश के लिए, जिसके 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं, वहां पर जब तक सड़क का जाल नहीं बिछेगा, इस देश के किसानों की तरक्की नहीं हो सकती है । 1 अरब 13 करोड़ रुपया आपने संचार साधन और पुलों की व्यवस्था के लिए किया है, यह इतना कम धन है कि इससे देश के गांव के किसानों का, पूरे प्रदेश में जो आई० आर० डी० की स्कीम, एस० एफ० डी० ए० की स्कीम लागू कर दिया है और उसके अन्तर्गत गांव के काश्तकारों को अनेक प्रकार के ऋण दिये जा रहे हैं, जिस काश्तकार को भैंस देते हैं और डनलप कार्ट देते हैं, अरबों रुपया खर्च होता है, जिस काश्तकार को हम भैंस देते हैं, 3 हजार रुपया कर्ज लाद देते हैं, कल उसके दूध होगा, तो वह कहां जायगा, इस सरकार को यह सोचने का विषय है कि जब तक हिन्दुस्तान में खासतौर से उत्तर प्रदेश के गांवों में सड़कों का जाल नहीं बिछेगा, तो आपकी आई० आर० डी० और एस० एफ० डी० ए० की स्कीम बेकार हो जाएगी । जब तक काश्तकार को उसके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक उनका विकास नहीं हो सकता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि जब तक गांवों में सड़कें नहीं होंगी, तब तक यह सब स्कीमें अधूरी ही रह जायगी और उनका विकास भी नहीं हो सकता है । मान्यवर, आज हमको सोचना है कि हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में एक-एक गांव को सड़कों से जोड़ दिया गया है । अगर हम उनकी कल्पना करें, जैसा कि आप 10 वर्ष से यह कह रहे ह कि हम 1500 की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ देंगे । अगर इसी तरह की गति जो इस समय है, अगर यही रही, तो इस तरह से तो 20 वर्ष में हरियाणा के स्थान पर पहुंचेंगे और हरियाणा तब तक आप से बीस वर्ष आगे चला जायगा और उसके गली-कूंचे भी पक्के हो जायंगे । मान्यवर, मैं इस शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता ने लाखों, करोड़ों रुपया आई० आर० डी० और एस० एफ० डी० ए० स्कीम के अन्तर्गत जो खर्च किया जा रहा है और अगर यह नहीं देखा जा रहा है कि जो पैसा दिया जा रहा है कि उससे कोई लाभ होगा कि नहीं, डनलप कार्ट के लिए अगर कर्ज लेगा, तो वह उसको चलायेगा कहां, अगर भाड़े पर चलायेगा, माल भरेगा, तो बिना सड़क के लेकर कहां जायगा ।

मान्यवर, एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । आपने अभी यह कहा कि हमारे प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर समितियां बन गयी हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह बहुत अच्छी चीज बन गयी, एक निवेदन है कि जो समिति की रिपोर्ट आती है, जो जिले की समिति अपने जिले की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करती है, आप उसी के अनुसार सड़क बनायें। आज 30-32 वर्ष आजादी मिले हुए हो गये, मेरे क्षेत्र में 10 किलोमीटर सड़क बनी है। 1584 किलोमीटर सड़क है, जो आपने पिछले वर्ष का बजट पास किया। 10 किलोमीटर सड़क हमारे क्षेत्र में बनायी गयी है। हमारे जनपद में 22 कि0 मी0 सड़क जिला परिषद् की है। जिला परिषद् ने अपने सीमित साधन में सड़क बनायी और उसमें 5 कि0 मी0 सड़क आपने पक्की करा दिया और बाकी 10 वर्ष से पड़ी हुई है। 22 कि0 मी0 में से 17 कि0 मी0 जो शेष है उसको आप तहसील से नहीं जोड़ पा रहे हैं।

एक निवेदन कर दूं, इस उत्तर प्रदेश शासन ने, जब श्री नारायण दत्त तिवारी जी यहां के मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने हमारे क्षेत्र में सुपाईघाट का पुल मन्जूर किया था, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं शुरू किया गया। आप उस पर काम शुरू करा दें। आप जैसे सक्षम मन्त्री इस सरकार को मिले हैं। आप इस कार्य को करा दीजिये नहीं तो अरबों रुपये का जो गांवों में खर्च हो रहा है, उसका कोई सदुपयोग नहीं होगा। इस प्रदेश का बजट कम से कम 10 अरब रुपये का होना चाहिये। मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं जो आपने बजट पेश किया है, लेकिन जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं, उस पर भी आपकी निगाह होनी चाहिये और उसकी भी छानबीन होनी चाहिये।

श्री खुदाबीन अन्सारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। माननीय मन्त्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं बोलने के लिये, लेकिन इस सन्दर्भ में आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा अपने निर्वाचन क्षेत्र फाजिलनगर की उन सड़कों के बारे में, जहां से नेशनल हाईवे सड़क निकली है। उस नेशनल हाईवे की सडक की यह दुर्दशा है कि अगर कोई गर्भवती स्त्री फाजिलनगर से तमकुही राडा के अस्पताल में पहुंचना चाहे तो वहां पहुचने के पूर्व रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाय और जच्चा-बच्चा दोनों की हालत खराब हो जायगी। यह हालत है इन सड़कों की, जो टूटी-फूटी है। मैं अभी धोरहरा इन्टरमीडिएट कालेज के फंक्शन में गया था, वहां जो सड़क अभी बन रही है, जिसमें अच्छी ईटें न लगाकर थर्डक्लास की ईटें लगायी जा रही हैं। उससे अब धूल उड़ता है तो लगता है कि गेरु का फैक्ट्री से आदमी काम करके निकला है। प्रशासन ने एक सड़क पास किया था जो हमारे यहां का नया रेलवे स्टेशन चालू है उससे लिंक कर शेखवा पट्टी खन्हवार दुर्गास्थल पिपरा से पश्चिम कुबेर नाथ बतरोली को जोड़े और दक्षिण तुर्कपट्टी को इस सड़क को इधर से ले जाने के लिए श्री रामायण राय एम0 पी0 ने भी प्रयास किया। हमारे उस क्षेत्र के रहने वाले अन्य विधायकों ने भी रखा, मैंने स्वयं रखा, अधिकारियों से मिला, माननीय मंत्री जी से मिला और सबने यह कोशिश की

[श्री खुदादीन अन्सारी—]

कि उस सड़क को चीफ रेलवे स्टेशन से पिपराजटामपुर ले जाकर कुबेरनाथ बतरौली से लिंक किया जाय जो बहुत बड़ा तर्थ स्थान हैं लेकिन पी0 डब्लू0 डी0 उस सड़क को दूसरी तरफ ले जा रहा है जहां सुनसान है, उस तरफ न कोई आबादी है, न कोई गांव है । इससे न लोगों को कोई फायदा होगा अपितु किसानों को भारी नुकसान पहुंचेगा लेकिन पत नहीं अधिकारियों को क्या दिलचस्पी है कि उस सड़क को सुनसान में ले जाई जा रही है । हमारे उस गांव शुक्लपट्टी में रहने वाले एक विपक्ष के बड़े आदमी हैं जिनकी अधिकारियों से कुछ रिश्तेदारी मालूम होती है और उनका उधर कुछ लिंक है, जिससे उस सड़क को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है । कुबेर स्थान पर एक शिवालय है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जहां लाखों की तादाद में लोग शिवालय में शिव की मूर्ति पर जल चढ़ाने आते हैं । हम चाहते हैं, कि इस सड़क को वहां से लिंक किया जाय लेकिन अफसोस है अधिकारियों की समझ में यह बात नहीं आती । मुझे अफसोस है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई रेलवे लाइन नहीं है ट्रेन नहीं है सिवा इसके कि सड़कें बनाई जायं और क्या साधन आप देगें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सड़कों की दशा बहुत जर्जर हो चुकी है उनको ठीक कराया जाय और जो नई सड़कें बन रही हैं उनको उधर से ले जाया जाय जिधर से विधायक और संसद लोग चाहते हैं । 2 अरब 53 करोड़ का बजट इस मद के लिये रखा गया है जो कोई कम बजट नहीं है । पहली दफा यह बजट जरा तरीके से और ढंग से आया है लेकिन अगर इसको ईमानदारी तथा मेहनत से गांवों तक पहुंचाया जाय, तो गांवों तक सड़कों का जाल बन सकेगा, परन्तु सड़कों की दुर्दशा से वहां की जनता क्षुब्ध है और दुख उठा रही है इसीलिए मैं आखिर में मंत्री जी को एक शेर नजर करके बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं :—

"ए चश्मे शोलाबार जरा देख तो सही,
यह घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर न हो ।"

धन्यवाद

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसूफ—

मान्यवर, यह जो बजट रखा गया है इस पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । मैं कटौती का प्रस्ताव जो रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं दो तीन मुद्दों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । चाहे पी0 डब्ल्यू0 डी0 हो अथवा सिंचाई विभाग हो, जहां ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उस सम्बन्ध में आपके अधिकारी तथा आप भी जानते हैं कि जो गुंडे हैं उनका उस पर कब्जा हो गया है । कोई ईमानदार तथा नेक व शरीफ आदमी ठेकेदारी करना चाहे तो उनके सामने वह ठेकेदारी नहीं कर सकता । आपके सरकारी रेट्स हैं उनसे भी लो रेट पर वे टेंडर दे देते हैं । फिर रिवाल्वर, पिस्तौल के बल पर आपके ओवरसियर और इंजीनियर को वह धमकाते हैं । जनपद बस्ती से आया हूं वहां आपके इंजीनियर ओवरसियर रोज मारे जाते हैं रोज उनको कट्टा दिखाया जाता है और जबरदस्ती एम0 बी0 भराई जाती है । मिसाल के तौर पर गिट्टी सप्लाई नहीं हुई लेकिन एफ0 आई0 आर0 कर दी और रिपोर्ट दी कि हमने सप्लाई की थी लेकिन बाबू जी ने उसे बेंच दिया फिर दरोगा पर दबाव डाल कर चार्ज शीट लगवा दी । आपको इस स्थिति पर विचार करना होगा नहीं तो यह सब होता

रहेगा । हमारे जनपद में चाहे पी0 डब्ल्यू0 डी0 चले जाइये, चाहे सिंचाई विभाग चले जाइये, जितनी बुलेट गाड़ी खड़ी होंगी उनमें एक, दो अथवा तीन कट्टे अवश्य निकल आयेंगे । (व्यवधान) वे गुंडे हैं और जब हमारी सरकार थी तो हमारे दल से सम्बन्ध था और अब आपकी सरकार है तो आपके दल से सम्बन्ध हो गया, उनका सम्बन्ध किसी दल विशेष से नहीं होता है । मान्यवर, रात को मैं आ रहा था ट्रेन से तो मैं बताना चाहता हूं कि ट्रेन के फर्स्ट क्लास में एक साहेब घुसे, वह शराब के नशे में बुत थे और कंडक्टर से बोले कि यह एसेम्बली कूपन है इसको ले लो और टिकट बना दो । कंडक्टर ने कहा वह खिड़की पर बनते हैं । यह मैं मिसाल के रूप में बता रहा हूं । इसलिये इस पर विचार करना पड़ेगा कि और सब काम सरकारी व्यवस्था से बनवायें कि न बनवायें क्योंकि सारा पैसा इसी ठेकेदारी में चला जाता है ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक सड़क डुमरियागंज–चन्द्रदीप घाट रोड है, जो कुवानो नदी पर स्थित है । इस पर पाइल ब्रिज के लिये पिछली बार मैंने लिखा था और कहा था कि इस पर लकड़ी का पुल बनाया जाय जिससे राम की नगरी अयोध्या की दूरी में 70 किलोमीटर की कमी आयेगी ।

मान्यवर, दूसरा निवेदन है कि शाहपुर सिंगारजोत घाट पर एक पैन्टून ब्रिज बनाया जाय, जिसके लिये मैंने पिछली बार और इस बार भी लिखा है । इसके बन जाने से उतरौला कस्बे को यह जोड़ देगा । चूंकि जितनी सड़कों पर पहले काम हुआ था वह बरसात से कट गयी हैं, इससे जुड़ जायेंगी इसलिये उनकी आप व्यवस्था करा दें ।

इसके अलावा मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि अधिकारियों और सरकार का सम्मान बढ़े और ईमानदारी से काम हो तो इस ठेकेदारी प्रथा पर आप एक कमीशन बैठायें जो अधिकारियों और नीतियों के सम्बन्ध में सोचे कि ठेकेदारी प्रथा कैसे चले, जिससे ईमानदार लोग काम कर सकें और गुण्डों का आधिपत्य समाप्त हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री जियाराम शुक्ल 'विकल' साकेती––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं यद्यपि प्रस्ताव रखने वाले का सम्मान करता हूं । मान्यवर, शहरों और नगरों में सड़कों की उन्नति और तरक्की तो हो रही है, लेकिन गांव अछूते हैं जिसके सम्बन्ध में मान्यवर, इस विभाग के मंत्री जी को मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं :

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जियाराम शुक्ल 'विकल' साकेती—]

बिजली बिदा हुई है, जब बादलों के घर से
कई बार बहुत गरजे कई बार बहुत बरसे,
यह प्रबन्ध क्या तुम्हारा मदिरालयों के मालिक,
कहीं जाम छलकता है, कोई बूंद भर को तरसे।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दैवी आपदा से प्रदेश की सड़कें खराब हो गयी और उस पर सरकार को बहुत खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन मंत्री जी ने काफी तत्परता से फैजाबाद–लखनऊ मार्ग, जो बरसात के कारण खराब हो गया था, को बहुत तेजी से बनवाया, जिससे वह चलने लायक हुआ। साथ ही साथ सिंचाई विभाग की कमियों के कारण उस सड़क को और भी तकलीफें भोगनी पड़ती हैं क्योंकि जितनी सड़कों के साथ–साथ शारदा नहर गयी वह ज्यादा खराब हो गयी हैं किन्तु सड़कों में जो सुधार हुआ है उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि कुछ अधिकारियों को उन्होंने निलम्बित भी किया है जिससे काम तेजी से हो रहा है।

मान्यवर, मैं पालिसी में ज्यादा न जाकर अपने क्षेत्र की बात कहूंगा। हमारा क्षेत्र 5 नदियों के बीच में है जिसमें मुख्य रूप से दोआबा क्षेत्र है जो मड़हा बिसुही के बीच में पड़ता है। इन्हीं के संगम से तमसा नदी बनती है जो आजमगढ़ होते हुये आगे जाती है। उस दोआबा क्षेत्र में 50 गांव हैं और इस बार बाढ़ आयी थी तो उन गांवों के लोगों को निकलने के लिये 40 मील पश्चिम जाने पर फैजाबाद–इलाहाबाद मार्ग पर पुल मिलता था जिससे वह बाजार और स्टेशन जाते थे वरना कोई साधन नहीं था कि वह बाजार और अस्पताल पहुंच सकते।

इसलिये एक बहुत भयंकर स्थिति से गुजरना पड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी इसके लिये पुनः निवेदन कर रहा हूं यद्यपि निवेदन कर चुका हूं इस दोआबा क्षेत्र में संगम में 2 पुल का निर्माण होना जरूरी है यह दो पुल जरूरी हैं। श्रवण नदी के दोनों ओर पक्की सड़क बन गई है इस पर आप पुल बना दें तो दोआबा क्षेत्र की जनता को राहत हो जायेगी। किन्तु आज की जो हालत है मुझे तुलसी दास का दोहा याद आता है।—

हरित भूमि तृण संकुलित, समुझि परत नहीं पंथ,
जिमि पाखंड वाद से लुप्त होत सदग्रन्थ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

मूरख हृदय न चेत,
जो गुरु मिलहिं विरंचि सम।

श्री जियाराम शुक्ल "विकल" साकेती—

तारकोल की सड़क न बन सके तो कम से कम कंकड़ की सड़क बनवा दें। इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी की बातों का ख्याल न करते हुये, उत्तर प्रदेश विशाल प्रदेश के सचमुच प्रदेश की सड़कों का निर्माण हो, जो आपके इंजीनियर हैं। मैं इंजीनियर हूं इसलिये कह रहा हूं। इंजीनियर लोग कभी-कभी ऐसी गलती कर जाते हैं। आज मैं विधान सभा का सदस्य हूं इस नाते कह रहा हूं। जब बाढ़ आती है गोमती नदी या गंगा नदी की बाढ़ के कारण सड़क की मिट्टी बह जाती है और जमीन दल-दल हो जाती है। सड़क काफी खराब हो जाती है और टूट जाती है। इसलिये मेरा सुझाव है और आशा है मन्त्री जी इस टेक्निकल सुझाव को मान लेंगे। आपको बालू तो मिल ही जायेगी, नदियों से रेत मिल जायेगी। आप सड़कों पर रेत गिरवा दें आपको मिट्टी पत्थर भी मिल जायेगी। आप बड़ी छोटी गिट्टी गिरवा दें, उसके बाद तारकोल का प्रयोग करें इससे जो जमीन बलदली हो जाती है वह एक असबेस्टस टाइप का हो जायेगा और सड़क खराब नहीं होगी। दूसरी चीज मैं मुख्य रूप से देखता हूं कि बरसात के दिनों में हमारी सड़कों का रख-रखाव नहीं हो पाता है। जो सड़कें बनाई जाती हैं उसको बीच में ऊंची रहनी चाहिये और दोनों तरफ सड़क ढाल होनी चाहिये। इसकी व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोग नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग द्वारा जगह-जगह वृक्षारोपण का सिस्टम है।

वृक्षारोपण का तरीका मान्यवर ऐसा हो गया है कि उसके कारण सड़कें कट जाती हैं। वृक्षारोपण में ऐसे वृक्ष लगाये जाते हैं, जो ठीक से सड़कों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। पहले नीम, पीपल, बरगद के पेड़ लगाये जाते थे, लेकिन अब सड़कों के किनारे यूकिलिप्टस के पेड़ लगाये जाते हैं, जो मिट्टी के कटाव को रोक नहीं पाते हैं। पहले कास और जूर सड़क के किनारे लगायी जाती थी, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता था। अब कांस और जूर नहीं लगाया जाती है जिससे कटाव हो जाता है। तो ऐसा वृक्षारोपण सड़कों के किनारे किया जाय जिससे कटाव रुके और यह जो आप यूकिलिप्टस वगैरह के पेड़ लगाते हैं उससे मैं समझता हूं कि जो कटाव होता है वह रुक नहीं पाता है। मान्यवर, मैं अपने ऐतिहासिक नगर चुनार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह आल्हा ऊदल का भूमि रही है। चुनार की तरफ किसी का ख्याल नहीं गया है। यहां से दो मन्त्री हुये हैं, श्री ओम प्रकाश न्याय मन्त्री और श्री शिव दास तिवारी भी मन्त्री रहे हैं। नेशनल हाइवे से यहां पर केवल 15 कि0 मी0 सड़क बनाकर बाया चुनार, गांगपुर गांव के पास जोड़ दें। इसके अलावा मैं और कोई विशेष मांग नहीं रखूंगा। जो प्रदेश में और जगहों को हिस्सा मिला है उसी तरह से हमको भी हिस्सा मिले।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के विकास के लिये गति के साथ कार्य हो रहा है, माननीय हुकम सिंह ने जो कटौती का

[श्री विमल प्रसाद तिवारी---]

प्रस्ताव रखा है, उसमें अधिकांशतः आलोचना के लिये आलोचना की गयी, कोई कार्यक्रम या कोई ठोस सुझाव सामने नहीं आया जिससे विभाग लाभांवित होगा। मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात कही गयी। इसमें तो कोई शक नहीं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में अन्य विभागों की भांति भ्रष्टाचार है लेकिन उसको कैसे रोका जाय, उसके लिये क्या कदम उठाये जायें ताकि भ्रष्टाचार की बीमारी खत्म हो, इसके लिये कोई भी सुझाव ठीक से नहीं आया। माननीय मन्त्री जी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, ठेकेदारी प्रथा समाप्त की गयी ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो, विभाग द्वारा काम कराये जाने लगे तो विभागीय लोग भ्रष्टाचार करने लगे। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको अंग्रेजी में पी० डब्लू० डी० कहते हैं, आम लोग कहने लगे हैं कि प्लंडर विद उट डैन्जर, बगैर डर की लूट कहने लगे हैं।

मैं एक बहुत अहम सुझाव देना चाहता हूं, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, उसके माध्यम से जितने कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे हैं, भले वह विभाग अम्मार साहब का हो, मैं सुझाव दे रहा हूं कि जितना बड़ा अपव्यय सड़कों और इमारतों के बनाने में इसके द्वारा किया जा रहा है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। गांवों में जाकर देखें आर० ई० एस० द्वारा जो सड़कें और इमारतें गांवों में बनायी गयी हैं वह साल भर भी नहीं चलती हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आर० ई० एस० को समाप्त करके पी० डब्लू० डी० में मिला देना चाहिये और एक एडीशनल चीफ इंजीनियर इन कामों को देखने के लिए अलग से हो तो सीमित साधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों और इमारतों का एक जीवन होता है, उनके पास टेक्निकल नो-हाऊ है और सड़कों तथा इमारतों को बनाने वाले यंत्र भी हैं। तो मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी, अगर वह अम्मार भाई का मुहकमा है, तो उनसे बात करके बड़े पैमाने पर यह जो हमारे साधनों का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने की कृपा करें। इसी प्रकार से म्युनिसिपिल बोर्ड और जिला परिषद् सड़कें बनाती है। न तो उनके पास संयंत्र हैं और न अन्य सुविधायें हैं जिससे करोड़ों रुपये, जो सड़क निर्माण के लिये दिये जाते हैं उसका दुरुपयोग होता है।

मान्यवर, मैंने स्वयं देखा है कि जिला परिषद् वाले जब एक तरफ सड़क बनाना शुरू करते हैं और जब तक दूसरे सिरे पर पहुंचे तब तक शुरू वाला हिस्सा टूटने लगता है और खराब हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे एक अलग से इस कार्य के लिए नियुक्त एडीशनल चीफ इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत दे दिया जाए। मिल्कियत जिला परिषद् एवं नगरपालिका वालों की रहे और पी० डब्लू० डी० उन सड़कों का निर्माण कराये। मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक-दो बातें कह कर अपनी बात को खत्म करूंगा। फर्रुखाबाद और कायमगंज बाईपास के निर्माण की तुरन्त आवश्यकता है। यह सन् 1975 से स्वीकृत है, लेकिन इस पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है, लेकिन अब माननीय मन्त्री जी से आशा की जाती है कि उनके कार्यकाल में यह हमारी मांग अवश्य पूरी हो जायेगी। दूसरे मान्यवर, हमारे यहां राजापुर ब्लाक है, जो गंगा और रामगंगा के बीच घिरा हुआ है, जब गंगा जी नराज होती हैं, तो वह उसको तबाह कर देती हैं और जब रामगंगा नाराज होती हैं, तो वह उसे बिल्कुल तबाह करके रख देती हैं। इस राजपुर ब्लाक में यातायात के साधन भी नहीं है, जिससे काफी वहां के लोगों को साल के 4 महीनों में बरसात में परेशानी

उठानी पड़ती है । इसलिए वहां के आवागमन के साधनों के लिए राजेपुर-कठहार मार्ग का निर्माण तुरन्त स्वीकार किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय हुकुम सिंह जी को माननीय मन्त्री जी की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग बहतर से बेहतर कार्य करेंगा ।

विधान पुस्तकालय
वाचनालय शाखा

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । अधिष्ठाता महोदय, जबकि एक समय था, कुछ सालों पहले कि इस प्रदेश में पी0 डब्ल्यू0 डी0 की इन्टेग्रिटी बहुत अच्छी थी और जो भी निर्माण कराना होता था, तो लोग कहते थे कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा ही कराया जाए, परन्तु आज उसकी स्थिति बिल्कुल ही बदल गयी है और इसका असर दूसरे विभागों पर भी पड़ा है । इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है । आलोचना तो अधिक करना चाहूंगा नहीं, क्योंकि मन्त्री जी बहुत शरीफ हैं और उनकी इस शराफत की वजह से विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि रचना कार्य, निर्माण कार्य, पुराने कंस्ट्रक्शन्स पर जितनी गड़बड़ियां इस विभाग द्वारा हो रही हैं, उतना शायद ही कहीं हो । अभी तक तो 1-4 और 6 का सीमेंट लगाने का झगड़ा था परन्तु अब तो 1 और 14 लग रही है । इसलिए मेरा सुझाव है कि चाहे कोई हो जिला परिषद् हो, भूमि संरक्षण विभाग हो, नगरपालिका हो या आर0 ई0 एस0 वाले हों । इन सारे डिपार्टमेंट्स को पी0 डब्ल्यू0डी0 के अंदर कर देना चाहिए । दूसरे हमारा सुझाव यह है कि यदि शासन का विकास हो और इसमें जो सड़कें बनें, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि एक प्रायर्टी तय हो जाय कि इस इलाके में इतना और उस इलाके में इतना देवरिया और गोरखपुर के इलाके, में इतना और जिन इलाकों में सड़कें अधूरी पड़ी हों, कंकरीट पड़ कर रह गयी है । पहले उन सड़कों को बनाया जाए । इससे सरकार का खर्च भी कम होगा । इसलिए जिन सड़कों का निर्माण नये रूप में होगा उन पर पैसा अधिक खर्च होगा और जिन पर आधे से ज्यादा काम हो चुका हैं, उन पर पैसा कम खर्च होगा, इसलिए ऐसी सड़कों का निर्माण कार्य पहले पूरा कराया जा सकता है ।

(समय 2 बजे)

यह मेरा दूसरा सुझाव था । अब एक सुझाव यह है कि जो आपका ब्रिज कारपोरेशन है, मेरा पड़ोसी नैपाल देश है, वहां क्या हुआ कि ब्रिज कारपोरेशन वहां काम करने गया और वहां से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया नैपाल ने उसे जितना काम दिया हुआ था, वह उसे नहीं कर सका और उल्टे वापस आ गया । आपकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

जो पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी है उसमें आया कि ब्रिज कारपोरेशन ने 44 लाख रुपये का घपला किया है, आडिट हुआ, बाकायदा यह आडिट रिपोर्ट में आया है। तो जितनी गड़बड़ियां ये लोग करते हैं जितना घपला करते हैं, उसकी तो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी को इस संबंध में सतर्क रहने की और सचेष्ट रहने की जरूरत है।

मान्यवर, नैपाल बहुत ही सेन्सेशनल स्टेट है। नैपाल और हिन्दुस्तान के बीच में कोई पक्का संबंध नहीं है। मैंने पहले भी यह बात उठाई थी और जब मैं 1974 में यहां आया था तब भी कहा था और आज भी कहता हूं कि भारत और नैपाल के बीच पक्की सड़क बननी चाहिये, यह राष्ट्रीय हित में और अन्तर्राष्ट्रीय हित में बहुत ही आवश्यक है कि उस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाय।

इसी तरह से आज इनके विभाग के मजदूरों की दुर्दशा है। इनके यहां मजदूर हमेशा कैजुअल लेबर के रूप में रहते हैं। जो कैजुअल लेबर होते हैं उनसे इनका विभाग 6 और 7 रुपये रोज पर काम लेता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात का आश्वासन दें कि अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई रेगुलर काम करने वाला है, यदि उसे काम करते हुए तीन साल हो जाते हैं तो कृपया उन मजदूरों को उन लेबर्स को परमानेन्ट करने का कष्ट करें।

मैं आपका ध्यान अपने गोरखपुर जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पर एक भ्रष्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर हैं मित्तल। जिसके खिलाफ पिछले साल भी शिकायतें उसके विभाग वालों ने की थी। उस विभाग के सारे कर्मचारियों ने कहा था कि 35 हजार रुपये प्रति माह सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर वहां के लोगों से लेता है। मैं उसके आचरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता हूं लेकिन जो उसके विरुद्ध शिकायतें हैं, जिसके कारण उसका स्थानान्तरण किया गया परन्तु बाद में उसके स्थानान्तरण को रोक दिया गया। मैं उसके खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हूं कि यहां लखनऊ से 10 हजार रुपया सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर देता है। उस मामले को मैंने विधान सभा में उठाया नतीजा यह हुआ कि गुगल शकरपुर सड़क जो मंजूर हुई थी, उसको उसने रुकवा दिया और सारा मैटिरियल दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिया। वह सड़क नहीं बन पायी। आपके बिजली विभाग ने उसकी शिकायतें की बिजली इंसपेक्टर ने उसके यहां पकड़ा कि बिना लाइन के कनेक्शन के उसके यहां बिजली चलती थी। इस सबके बावजूद आपने जो आश्वासन पिछली बार दिया था कि वहां से प्रस्ताव आया 5 लाख रुपये का, उसे आपने काट कर 1 लाख रुपया कर दिया है, इससे कैसे सड़कों का निर्माण हो पायेगा। मैं चुनौती के शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि उस सुपरिंटेन्डिंग इन्जीनियर को आपने अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया? मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते कहता हूं कि यदि आपने उसको निलम्बित न किया तो उसके लिये मुझे जो काम करना पड़ेगा मैं करूंगा यदि मेरी बातें गलत हों तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं यहां से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा कि यदि उस भ्रष्ट सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को निलम्बित न किया गया।

इन शब्दों के साथ मैं भाई हुकुम सिंह जी द्वारा प्रस्तावित कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं हृदय से समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं जनपद एटा से निर्वाचन क्षेत्र कासगंज से आता हूं । जनपद एटा प्रदेश के उन सात अपराधग्रस्त क्षेत्रों में से एक है जहां सड़कों के बारे में आदरणीय माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में एक कमेटी बनायी थी जो पिछड़े जिलों और अपराधग्रस्त जिलों के लिये है कि वह अपराध नियंत्रण के लिये उसमें एक सुझाव पास हुआ था कि यह जो 7 अपराधग्रस्त जिले हैं जैसे एटा, बदायू मैनपुरी, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई इत्यादि तो इन जिलों के लिये अलग से रुपये का अलाटमेन्ट किया जायेगा जिससे कि जो दूभर रास्ते हैं उन पर सड़कें बनाई जायं ताकि अपराधों को रोकने के लिये पुलिस सक्षम हो सके । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कासगंज-छिछोरा तक बाय पचपई से एक मार्ग की आवश्यकता है । यह मार्ग लगभग 17-18 कि0मी0 होगा जिसमें बीच में एक इन्टरमीडिएट कालेज पड़ता है । 33 गांव कलेक्ट होंगे इससे किसानों को अपनी उपज मन्डी तक लाने में सुविधा होगी । कासगंज-इस्माइलपुर रोड पुरानी है लेकिन नाम तो जरूर उसका कासगंज-इस्माइलपुर रोड है लेकिन बनी पचलाने तक है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उसे आगे दो कि0 मी0 और पूरी करायी जाये । 10 लोक सभा, बदायू में कासगंज विधान सभा क्षेत्र आता है। जब माननीय बलदेव सिंह आर्य पी0 डब्लू0 डी0 मंत्री थे उस समय उन्होंने सतपुरा से बिलराम 2 कि0मी0 का मार्ग स्वीकृत किया था । लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 18-18 कि0मी0 की सड़कें थीं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक स्वीकृत मार्ग होने के बावजूद मिट्टी का कार्य भी शुरू नहीं हुआ है।

मान्यवर, जिले में कुछ भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदारों से मिल कर ठेकेदारी कर रहे हैं । दो-दो बार गेहूं की चोर बजारी में पकड़े गये जैसे जय प्रकाश गुप्ता कासगंज में दो बार जेल गये लेकिन आज तक निलम्बन नहीं हुआ । मोहन लाल गर्ग, एटा, जिनके विरुद्ध प्रसिद्ध बोल्डर कान्ड है, 3-4 मामले साबित हैं लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं शासन से मांग करता हूं कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिये समुचित रूप से सड़कों का प्राविधान करें पूर्वांचल पहाड़ को लेकर सड़कें दी जाती हैं लेकिन कुछ क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहते हैं जहां कोई रुपया नहीं दिया जा रहा है, अतः वहां के लिए अधिक से अधिक रुपया देने की व्यवस्था करें ।

***श्री धरमपाल--**

कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । बहुत ही सीधे-साधे मंत्री का विरोध करते हुए दुख होता है लेकिन कुछ मजबूरी है और वह यह है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री धरमपाल---]

कि इस विभाग का नाम ही सही नहीं है । इसका नाम होना चाहिए सुरा-सुन्दरी और भोग-विलास विभाग । मान्यवर, यह विभाग इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का जन्मदाता है । प्रदेश में जब से यह सरकार आयी है, बधाई की पात्र है इस बारे में कि इनके जमने में कमीशन रुक गया, खतम हो गया और उसकी जगह एडजस्टमेन्ट शुरू हो गया । 20, 18, 19, नहीं आज 90 प्रतिशत का एडजस्टमेन्ट हो रहा है । इंजीनियर, ठेकेदार गिद्ध दृष्टि से बहुत ही बेरहमी से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं । एक उदाहरण देना चाहता हूं । चीफ इंजीनियर भी बैठे नोट कर रहे होंगे । प्रदेश में सड़कों के किनारे नये खड़ंजे लगाये जा रहे हैं । पुराने बदल दिये जायं, ऐसा कहा गया है । और जो शार्ट पड़ें, नये ले लिये जायं कितना गलत आर्डर है । कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि पुराने अलग लगाये जायें, नये अलग । इस तरह से होता यह है कि नये और पुराने के चक्कर में एक ही प्रकार की सब पुरानी ईंट लगा कर 80 प्रतिशत की बेईमानी हो रही है, नई तो 10-5 ही लगायी जाती हैं सारी की सारी पुरानी ही लगा दी जाती हैं। यह तो हुई एक छोटी सी कहानी। अब इनके विभाग में कितने डिपार्टमेन्ट्स हैं । इसमें कोई डी० सी० के नाम से जाना जाता है, कोई बिल्डिंग कान्ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है, कोई कान्ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है, कोई मेकेनिकल डिपार्टमेन्ट के नाम से जाना जाता है । पहली कहानी मैं मेकेनिकल डिपार्टमेन्ट के नाम से शुरू करता हूं । मेकेनिकल डिपार्टमेन्ट में जैसा कि उसके नाम से जाहिर है उसमें मैकेनिक और पढ़े-लिखे हुए लोग भी होते हैं लेकिन कितना आश्चर्य होता है जब हम देखते हैं कि वहां का मैकेनिक अन्य प्राइवेट कारखानों का मोहताज हो जाता है । यह बात नहीं कि उनको काम आता नहीं है, काम आता है लेकिन वह प्राइवेट कारखानों में इसलिये जाता है कि वहां 1 का 10 और 1^0 का 100 आसानी से बनता है । इसके उदाहरणस्वरूप मैं आपका ध्यान घाघरा घाट की ओर ले जाना चाहता हूं । वहां पर स्टीमर की रिपेयरिंग के ऊपर अधिक रु० खर्च कर दिया गया है लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसके अलावा वहां जो पुल बन रहा है उसमें सिंकिंग के नाम पर 4-4 मीटर का पेमेन्ट कर दिया जाता है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, चूंकि हमारे नेता आज नहीं हैं इसलिए मुझे 10 मिनट बोलना है ।

मान्यवर, 1 मीटर सिंकिंग के स्थान पर 4 मीटर सिंकिंग का पैसा लिया गया और 3 मीटर सिंकिंग का दाम आपकी जेब में चला गया । छोड़ दीजिये इस कहानी को भी ऐसी और भी बहुत सी कहानियां हैं । एक और उदाहरण देता हूं बिजनौर का वहां सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर थे, मि० जैन जिनका ईमानदारी में कोई दावा नहीं था । उन्होंने आते ही चेक किया कि वहां पर लाखों रुपये का घपला था और वह जूनियर इन्जीनियर ने किया था । उस जूनियर इन्जीनियर ने पुलिस से मिलकर एक फर्जी ट्रेप की कहानी बनाई और इस तरह से उसको फांसा जिसमें उसको रिफन्ड करना पड़ा और इसलिये 13 मार्च को उसने आत्महत्या कर ली ।

(लाल बत्ती जलने रहने पर)

मान्यवर, मैं अपने नेता के स्थान पर नेतृत्व कर रहा हूं । मुझे और बोलने का समय दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता---

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री धरमपाल--

एक जेड० एम० फारुखी नाम का व्यक्ति आपके डिपार्टमेन्ट में था । आपके डिपार्टमेन्ट से इतना नही हो सका कि उसको सर्विस को रेगुलर करके पेंशन देते । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप स्पष्ट आदेश कर दें कि 31 मार्च के दिन आपके चीफ इंजीनियर इसको देखें तो आप देखेंगे कि इसमें एम० डी०, ठेकेदार और इंजीनियर सब आपको बेईमान मिलेंगे । ऐसे सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम नरेश शुक्ल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री को बधाई देने के बाद कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं तो इसलिए खड़ा हूं कि अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कह दूं । जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है वह तो अधिष्ठाता महोदय जग जाहिर है और सब कोई जानते ही हैं आप लोग भी जानते । मेरा क्षेत्र गढ़वारा है 117 प्रतापगढ़, वहां एक विचित्र बात हुई कि बढ़नी शमशेरगंज के नाम से एक पी० डब्लू० डी० की सड़क मंजूर हुई जो केवल 4 मील तो बना दिया है बाकी दो मील छोड़ दिया है । वह मुख्य बाजार शमशेरगंज पहुंचने के लिए 4 मील बनाकर 2 मील छोड़ दिया है इससे क्या लाभ है ? इसलिए मैं, अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की चीजें जो अधिकारी लोग कर रहे हैं जिन से कोई लाभ नहीं पहुंचता उनकी जांच पड़ताल करने का कोई तरीका होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है, अधिष्ठाता महोदय, लखनऊ इलाहाबाद रोड पर सगरा-सुन्दरपुर बाजार स्थित है । वर्षा के कारण बाजार की सड़क धंस गयी थी । उस की ठीक कराने का काम ठेकेदारों को दिया गया और मिट्टी लाने के लिए कहा गया । मिट्टी दूर से लानी थी । ठेकेदारों ने और विभाग के अधिकारियों ने मिल कर क्या किया कि सड़क और मकानों के बीच जहां 10-5 गज जगह है 4-4 गज, अधिष्ठाता महोदय, सत्य बात है, दोनों तरफ खोद दी । कम से कम पांच फीट गहरा खोद दिया गया । न जाने कितने बूढ़े, बच्चे उसमें आये दिन गिरते रहते हैं । इक्का उसमें लुढ़क जाते हैं । मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि इस की जांच करायी जाय कि वह ठेका कहां से मिट्टी लाने का दिया गया था और अगर यह बात सही पाई जाय कि मिट्टी बाहर से आनी थी । लोगों के दरवाजे पर ही मिट्टी खोद कर गड्ढा बनाया गया । ऐसा तो कभी मैंने सोंचा नहीं था कि आज के युग में इस तरह से कोई किसी के दरवाजे को खोद सकता है ।

इस के अतिरिक्त, दो सड़कें हमारे क्षेत्र में मंजूर हुई हैं । कई वर्ष हो गये । दो सरकारें गुजर गयी । पहले कांग्रेस सरकार के जमाने में मंजूर हुई । जनता पार्टी आई तो वहां के प्रतिनिधि ने जोर लगाया । कुछ काम शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस के बाद जनता सरकार आई वह भी चली गई । अभी तक उस में

[श्री राम नरेश शुक्ल—]

काम शुरू नहीं हो रहा है । वह सड़क है सगरासुन्दरपुर से पहाड़पुर होते हुये सिधसी । दूसरी है लीलापुर तेजगढ़ होते हुये मादीपुर ।

अन्त में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक मशीनरी आप जरूर बनवायें जिसके जरिये भ्रष्ट लोग पकड़े जा सके और उनको शीघ्र सजा दी जा सके ।

*श्री मित्रसेन—

अधिष्ठाता जी, माननीय साथी हुकम सिंह के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग सार्वजनिक हित का निर्माण कम करता है और व्यक्तिगत हित का ज्यादा । हमने देखा कि इस बाढ़ के युग में इसका कोई कोआरडिनेशन सिंचाई विभाग से नहीं है । इनके सड़कों में जितने पुल बने थे शायद ही किसी पुल से बाढ़ का पानी निकल सका हो । सारी सड़कें काटी गई । सड़कों में पुलों का निर्माण बाढ़ के जल की निकासी का मूल्यांकन करके नहीं किया गया । क्या सिंचाई दिभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई ऐसी रूप रेखा होगी कि जो बाढ़ की स्थिति में सड़कों मे पुलों के कमी के कारण पानी रुक जाता है और बाढ़ आती है और उसका निराकरण हो । ऐसा देखने में नहीं आया । इसीलिए बाढ़ की वजह से कई जगहों पर सड़कें काटी गयीं । इसी योजना के अन्तर्गत हमने देखा था कि आजमगढ़ जिला परिषद् में जितनी सड़कें थी उन सबको पी० डब्लू० डी० ने ले लिया । पूरे प्रदेश में एक ही जनपद ऐसा है जहां पूरी सड़कें जिला परिषद् की पी० डब्लू० डी० ने ले ली और उत्तर प्रदेश के किसी जिले की जिला परिषद् की सड़कें पी० डब्लू० डी० ने क्यों नहीं ली । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न जिलों की सलाहकार समितियों ने जो महत्वपूर्ण सड़कों के सुझाव और प्रस्ताव भेजे हैं कि इनको पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर लेकर निर्माण किया जाय आज तक उन सड़कों पर कोई फैसला नहीं लिया गया । दूसरी तरफ सड़कों के बारे में ज्यादा-तर भेदभाव बरता जा रहा है चाहे वह मंत्री जी के स्तर से हो या सरकार के स्तर से हो । कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा हो रही है और किसी क्षेत्र में ज्यादा सड़कों का निर्माण हो रहा है । इससे प्रदेश के विकास में और उसकी तरक्की में बाधा पड़ती है । इसलिये मैं मांग करूंगा कि कुछ ऐसी योजनायें बनाई जांय जिनसे कि सम्पूर्ण प्रदेश का समुचित विकास हो सके, सड़कों का निर्माण हो सके और जनता को सुविधा उपलब्ध हो सके । मान्यवर, एक बाम्बे प्लान बना था । उसका नक्शा भी हम लोगों को देखने को मिला था और उसके बारे में यहां पर प्रश्न भी हुये थे । लेकिन वह प्लान कहां चला गया, कब वह एक्जीक्यूट होगा, कुछ पता नहीं है । उससे जनता को लाभ हो सकता था । माननीय मंत्री जी उस ओर भी जरा नजर डालते तो उससे लाभ होता ।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया और कहा कि इस विभाग में हर जगह भ्रष्टाचार देखने में आता है । सार्वजनिक निर्माण विभाग में छोटे से छोटे कर्मचारी जो ओवरसियर कहलाता है वह भी 5/6 लाख की बिल्डिंग खड़ी कर देता है । जिस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद में भी वह जाता है वहां पर वह 4/6 लाख की बिल्डिंग बना देता है। यह सब पैसा कहां से आता है। जैसा अभी हमारे माननीय मित्र धरमपाल जी ने कहा कि यदि 31 माच को एम0 बी0 देखी जाय तो पता चल जायेगा कि कितना पैसा यूटिलाइज हुआ है और कितना नहीं हुआ है। यह तो मंत्री जी बतायेंगे कि वह पैसा समय पर उपयोग हो पायेगा या नहीं होगा लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो सकता है। मान्यवर, मेरा क्षेत्र फैजाबाद रायबरेली ओर बाराबंकी से मिला हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी भी उसी क्षेत्र से आते हैं। उनके और हमारे क्षेत्र के बीच एक नदी बिसुही जाती है जिसको पार करने के लिए आजतक किसी भी सरकार ने एक पुल नहीं बनाया है। मान्यवर, उस नदी पर पुल न होने की वजह से 6 महीने तक इस क्षेत्र के लोग उस पार नहीं जा पाते हैं। पिछली दफा उस नदी में पुल बनाने के लिए मंजूरी भी दे दी गई थी किन्तु बाद में मंत्री जी ने कहा कि धनाभाव के कारण वह नहीं हो सकता है। उस जगह पर पुल न होने की वजह से 4-4 सड़कें रुकी हुई हैं। अध्यक्ष जी के क्षेत्र की सड़क भी रुकी पड़ी है। अध्यक्ष जी कहते हैं कि मित्रसेन जी आपके यहां सड़क तो बन गई हैं लेकिन पुल नहीं बन पा रहा है। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलायें। इससे फैजाबाद, सुल्तानपुर का सम्बन्ध बना रहेगा ताकि कठिनाई के समय में एक दूसरे क्षेत्र को सहयोग मिल सकेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप बिसुही नदी पर पुल बनाने की कृपा करें। सड़कें दोनों क्षेत्रों के बार्डर तक जाती हैं और नदी पर पुल न होने की वजह से रुक जाती हैं। इन सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है लेकिन उसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। जो पैसा जिलों में जाता है, इसका मंत्री जी ध्यान रखें कि उसका सही उपयोग हो। यह पैसा मार्च के महीने में खर्च होता है। जिलों में जो आपके अधिकारी हैं वह काम नहीं करते हैं और जो करते भी हैं वह ठीक नहीं करते हैं। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे बीच में एक दफा अवश्य इस बात को दिखवा लें कि जिलों में सही काम हो रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे क्षेत्र निगोही में जब सूखा पड़ा था उस समय 4 किलोमीटर की सड़क पर माटी डालने के लिए आदेश हुए थे। लेकिन बाद में बताया कि पैसा खतम हो गया आगे किसी दूसरी स्कीम में पैसा देखेंगे। तो उसे भी आप देख लें कि पैसा कहां गया।

मेरा जिला शाहजहांपुर पश्चिमी जिलों में लगता है लेकिन बिलकुल पूर्व में है इसमें सड़क नहीं के बराबर हैं। यहां सार्वजनिक काम बहुत कम हो रहे हैं।

[श्री जगदीश सिंह---]

मेरे जनपद निगोई से खुदागंज में दो नदियां कटिना और गर्रा पड़ती हैं यह दुआबा का क्षेत्र है और करीब-करीब 60 से 70 गांव इस दुआब से परेशान होते हैं। यह सड़क बना दी जाय इसकी लम्बाई करीब 18 कि0 मी0 है इसके बनने से पूरा निगोही क्षेत्र लाभान्वित होगा। मेरे पूरे जनपद में सड़क कम है एक सड़क पुवांया से महेशापुर बना दी जाय। यह लखीमपुर को मिलाती है। जलालाबाद में जो रामगंगा क्षेत्र है उसमें कोलाघाट में एक पौन्टून ब्रिज मंजूर हुआ लेकिन उसके लिए बजट में घोषणा नहीं की गई है। वहां पर दो थाने पड़ते हैं मिर्जापुर और कलान। वहां अगर कोई रिपोर्ट लिखाई जाती है तो अधिकारीगण को या तो बदायूं होकर जाना पड़ता है या फर्रुखाबाद होकर जाना पड़ता है। अगर यह पुल बन जाय तो पुलिस को फौरन सूचना मिल सकती है। और वहां जो शिवराम पोथी डाकू है जो कलां थाने का रहने वाला है वह पकड़ा जा सकता है। हमारे क्षेत्र में तिलहर समधान सड़क बना दी जाय पुवायां से तिलहर तक पक्की सड़क है लेकिन खनौल और गर्रा नदी पर पुल नहीं है। इसलिए खनौल में पुल अवश्य बना दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जसवंत सिंह विष्ट---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विश्वकर्मा जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जैसा कई मित्रों ने इस बात को कह दिया है और जिसे सब लोग जानते हैं मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि पर्वतीय अंचल में सड़कों की बहुत आवश्यकता है क्योंकि वहां पर रेलमार्ग नहीं है और यातायात के जो भी साधन हैं वह केवल गाड़ियां ही हैं यानी सड़कों से ही यातायात हो सकता है। वहां पर आज भी एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में कई जगह कम से कम एक दिन लग जाता है। कुछ सड़कें इस बीच में स्वीकृत हुई थीं इससे पहले भी कुछ सड़कों का निर्माण कार्य वहां चला था लेकिन केन्द्र सरकार ने इस बीच में एक ऐसा आदेश जारी किया है कि जहां पर बीच में जंगल आता है वहां तक निर्माण कार्य न किया जाय जब तक केन्द्र सरकार से इजाजत न ले ली जाय। तो उसकी वजह से पर्वतीय अंचल में सारा निर्माण कार्य नहीं हो रहा है चाहे वह सिंचाई विभाग का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग का हो, सारा का सारा काम रुक गया है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह केन्द्र सरकार से इस बात के लिए कहें कि पहाड़ों में अधिकांश क्षेत्रों में जंगल हैं, जंगलों के बीच से ही सड़कें बना सकते हैं इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है इसलिए इस प्रतिबंध को हटा दें।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो एक बड़ी परेशानी है वह यह है कि जब सड़कों का सर्वे होता है तो उसमें लगभग एक दो साल लग जाते हैं और भूमि अध्यापन में लगभग दो ढाई साल लग जाते हैं। इसकी वजह से सारी योजना कागजों में ही रह जाती है क्योंकि वहां से यहां पहुंचने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार से आप कहें कि यदि सरकार वास्तव में हमारा हित चाहती है, हमें सुविधा देना चाहती है तो जो नियम बनाया है पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण के लिए उसे निरस्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 28--अनावासिक भवन, अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण (आवास भवन), अनुदान संख्या 70--संचार साधन, अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 75--अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 76--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 106--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

दूसरी बात मान्यवर, यह है कि रानीखेत केन्टूनमेन्ट एरिया है, वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से तीन मार्ग स्वीकृत हैं और वहां जहां कैन्टूनमेन्ट नहीं है, वहां काम उसका शुरू कर दिया गया है, किन्तु जहां से कैन्टूनमेन्ट का क्षेत्र शुरू होता है, वहां पर काम रुका हुआ है। यह तीन मार्ग गना-देलिया-टाना-विशालकोट मार्ग, रानीखेत-चौपटिया-कुनला क्षेत्र और रानीखेत-लोअर मार्ग हैं। यह इस वजह से अधूरी पड़ी हुई हैं और उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। होना यह चाहिए था ऐसा इसलिए हुआ है कि कैन्टूनमेन्ट बोर्ड ने अपने क्षेत्र में सड़क बनाने की स्वीकृति नहीं दी। इसलिए जहां उसका क्षेत्र समाप्त हुआ वहां बन गई और बाकी ठप पड़ गई। इससे यह काम अधूरा रह गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वह केन्द्र सरकार से कैन्टूनमेन्ट बोर्ड में भी उस सड़क को स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

पर्वतीय क्षेत्र में इस समय पुलों के निर्माण का कार्य लोहा और सीमेन्ट न होने से रुका पड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि जगह-जगह वहां पर नदियां ह और उन पर जब तक पुल नहीं बनते हैं, गाड़ियां चल नहीं सकती हैं। तो पुल न होने से आवागमन रुका हुआ है। तो प्रदेश सरकार केन्द्र से कहे कि इन मार्गों को जोड़ने के लिए पुलों का बनाना जरूरी है और उसके लिए लोहा और सीमेन्ट जरूरी है इसलिए लोहा और सीमेन्ट वह प्रदान करे। एक आम बीमारी विभाग में यह देखने में आती है कि हर मार्ग का एस्टीमेट हर साल बढ़ जाता है और यह एस्टीमेट हर साल बढ़कर बनता है। यदि किसी मार्ग का किसी साल 10 लाख रुपये का एस्टीमेट है, तो वह अगले साल 15 लाख हो जाता है और उसके आगे 20 लाख हो जाता है इस प्रकार बराबर वह बढ़ता ही जाता है। तो हनुमान की तरह से यह जो दुम बढ़ जाती हैं, इसके लिए मेरा सुझाव है कि वह जिस योजना को स्वीकार करते हैं, तुरन्त उसका आकलन बने और तुरन्त ही उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाए।

एक चीज और कहनी है मुझे, सन् 47 के बाद कुछ सड़कें जो वहां बनीं, वह कच्ची हैं, जिससे हम धूल खाते परेशान हो जाते हैं। पर्यटक इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी वहां पर आएं, लेकिन सड़कें कच्ची होने के कारण कोई भी वहां जाने के लिए राजी नहीं होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वह उन तमाम कच्ची सड़कों को अवश्य जल्दी ही पक्का करावें। इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी का नाम तो जगदीश है, लेकिन इस बात को देखकर बहुत तरस आता है यहां सब भगवानों का नाम लेकर मंत्री जी आए गए हैं, लेकिन वे काम उसके विपरीत करते हैं। तो या तो यह भगवान जैसा काम करें या इनके नामों में बदलाव हो।

श्री धरम पाल--

उर्मिला जी को देखकर कह रहे हैं, ऐसे न कहते।

*श्री बिहारी लाल दोहरे—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मैं अपने जनपद फर्रुखाबाद के कन्नौज क्षेत्र के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो नगर सम्राट हर्षवर्द्धन के समय में हिन्दुस्तान का एक माना हुआ नगर और प्रसिद्ध राजधानी रहा है। आज उसकी जनसंख्या 50 हजार है, वहां से 80 किलोमीटर कानपुर और 75 किलोमीटर फर्रुखाबाद है। वहां से हरदोई तो उसके दोनों ओर घूमकर जाना पड़ता है।

(इस समय 2 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

वहां पर गंगा पर पुल न होने के कारण नागरिकों को बहुत ही असुविधा हो रही है। चूंकि यहां पर 5 नदियां आकर मिली हैं अतः वहां पर पुल का होना नितांत आवश्यक है। उत्तरी भारत से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ही सड़क है जो कि कानपुर, फर्रुखाबाद और इटावा से होकर जाती है। चूंकि उत्तर से दक्षिणी भारत को जाने का यही एक रास्ता है अतः वहां गंगा पर तुरन्त ही एक पुल बनवाया जाय जिससे वहां के नागरिकों को कुछ सुविधा हो सके।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक गंगा और काली नदी है वहां पर 60 किलोमीटर चौड़ा स्थान है जहां पर बरसात के दिनों में इधर से उधर नागरिक नहीं जा सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसके बीच में जो कच्ची सड़क बनी हुयी है, उसको पक्का बनवाने का कष्ट करें। हमारे क्षेत्र में फतेहपुर से अनौगी–नदासिया एक सड़क प्रस्तावित है। मेरी प्रार्थना है कि इसके बजाय जलालपुर से, जो एक ब्लाक केन्द्र है, जहां पर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन भी है और मवेशियों और लोगों का अस्पताल है, अनौगी मतौली तक सड़क बनवायी जाय।

इसके अलावा वहां पर जो गरीब लोग दैनिक मजदूरी पर सार्वजनिक निर्माण विभाग में काम कर रहे हैं उनको 6 1/2 रुपया मजदूरी का मिलता है जो बहुत ही कम है इसे कम से कम 8 रुपया प्रति दिन कर दिया जाय जिससे उन गरीबों का कुछ हित हो सके। इसके अलावा हमारे यहां पर खंडूनी नहर के पुल की आवश्यकता है। मुझे पता नहीं कि इसको नहर विभाग बनाता है या सार्वजनिक निर्माण विभाग। स्पष्ट होना चाहिए कि किसके द्वारा यह बनाया जायेगा। नहरें तो सिंचाई विभाग की होती हैं लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उन नहरों के किनारे पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को पक्की कराया जाय ताकि उनके द्वारा लोग एक जगह से दूसरी जगह को आसानी से आ–जा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय हुकम सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

इस विभाग में जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है वह यह है कि जिस जिले के सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी आते हैं, उस जिले को सबसे ज्यादा सड़कें मिलती हैं । सड़कों के निर्माण में क्षेत्रीय असंतुलन साफ तौर से देखने को मिलता है और इस दिशा में मैं जिस जिले से आता हूं वह बड़ा ही अभाग्यशाली जिला है । क्योंकि इस सरकार में एक-एक जिले के कहीं-कहीं के दो-दो मन्त्री हैं, और हमारे आगरा से कोई नहीं है, जिसके कारण आगरा जिला को कोई सड़क नहीं मिल पाती । हमारे पड़ोसी जिले मथुरा के दो मंत्री हैं पर उनकी निगाह भी आगरा जिले पर नहीं पड़ती है । वह उनकी निगाह से भी ओझल रहता है । मगर इस मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत मार्ग नं0 11 पर न चला हो । वहां पर महुअर ग्राम के पास जो एक वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन पड़ता है उस पर पुल जो बना हुआ है वह सड़क के लेविल से 10-12 फिट नीचे पर बना हुआ है जिसके कारण गाड़ियां एक दम निचाई पर चली जाती हैं और फिर निचाई से ऊपर की ओर आती हैं मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर इस पुल को सड़क के लेविल से मिलाकर बना दिया जाये । इस पुल के नीचे लेविल पर होने के कारण वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन का पानी नहीं निकल जाता है और उसके कारण हमारे क्षेत्र के करीब 55 गांवों में पानी भर जाता है और वहां बाढ़ सी आ जाती है ।

मान्यवर, हमारे यहां फतेहपुर सीकरी का स्थान महत्व का है जहां पर अपने देश के ही नहीं वरन् विदेशी भी आते हैं । यह एक पर्यटकों के लिये महत्व का स्थान है । मगर इस स्थान पर हमारे आसपास के गांव के लोग नहीं आ पाते क्योंकि फतेहपुर सीकरी तक आने के लिये उन गांवों से कोई पक्का मार्ग नहीं है, जो सड़कें हैं वे कच्ची हैं । वहां पर मंडी समिति होने के नाते, वहां का माल मंडी तक में नहीं आ पाता है क्योंकि कोई पक्की सड़क उन गांव से नहीं आती है । अभी 16 फरवरी को दिल्ली में जो कांग्रेस की किसान रैली हुई थी उसमें भी श्रीमती इन्दिरा गांधी की तरफ से भी कोई आश्वासन इस ओर नहीं दिया गया । इसे फतेहपुर सीकरी को वहां के देहात से मिलाने के लिये आजतक कोई सड़क नहीं बनायी गयी है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे कम से कम इन सड़कों को अवश्य पक्का बनवा दें--एक है: डिडवारा--दयौनारी--भई बुजुर्ग--फतेहपुर सीकरी । दूसरी है : सामरा शहनपुर जाजौली--मंडी मिर्जा खां--फतेहपुर सीकरी । तीसरी है: अछनेरा--व्यास--नयावास--दौलताबाद--गौठरा--फतेहपुर सीकरी । चौथी है: किरावली खेड़ावा-कन्दा--सरसा--अरहेरा--फतेहपुर सीकरी । इन चारों को पक्का बनवना बहुत जरूरी है ।

[श्री बदन सिंह--]

इसके अतिरिक्त मान्यवर, किरावली मार्ग पर चैकोरा व मोरी घाट के स्थान पर खारी नदी के ऊपर जो पुल का बनना बहुत जरूरी है । यह नदी काफी नीचे होकर बहती है और इस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 5 व्यक्ति मर जाते हैं । लेकिन अभी तक उस पुल को इस सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनवाया गया है । इसे तुरन्त बनबाने की आवश्यकता है । मन्त्री जी से निवेदन है कि वे इसकी उपयोगिता को देखते हुये इस पुल को अवश्य बनाने के आदेश देने की कृपा करें ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि यह फतेहपुर सीकरी क्षेत्र जो कि ऐतिहासिक महत्व से अपना बड़ा महत्व रखता है, कम से कम उस क्षेत्र के बड़े-बड़े गांवों को उस स्थान से अवश्य मिला दें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं ।

*श्री पंचानन--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान पर विचार करने का मुझे अवसर दिया । मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग का इस प्रदेश के जन-जीवन से गहरा सम्बन्ध है । इसी के साथ-साथ जो हमारे राष्ट्रीय राज मार्ग हैं, उनका सम्बन्ध हमारी राष्ट्रीय अखण्डता से भी है । इस देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक देश के हर प्रदेश के नागरिक और विदेशी लोग भी चलते हैं । किसी प्रदेश से चलते हुए इन राज मार्गों के द्वारा उस प्रदेश की व्यवस्था का आकलन किया जा सकता है । सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो हालत है, उसका भी एक जायजा मिलता है । हमारे प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राज मार्गों की जो दुदशा है, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उनके रख-रखाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए । सड़कों के खराब होने से दुर्घटनायें होती हैं और मानव को अनेक अवसरों पर अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है । इसी के साथ-साथ मैं संक्षेप में अपने जिले की कुछ प्रमुख समस्याओं की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे आजमगढ़ नगर में एक शाहीपुल बहुत जमाने से बना हुआ है, उसको तोड़ा जा रहा है, आधे हिस्से से ज्यादा तोड़ दिया गया । इस सदन में जब मामला उठा तो उसे रोक दिया गया । मान्यवर, जब उसे तोड़ दिया जायगा, तो गरीब जनता जिसके पास मोटर नहीं होगा, वह कलेक्टर के पास नहीं जा सकता, वह एस० पी० के पास नहीं जा सकता है । तमाम अधिकारी उस हिस्से में रहते हैं, जिस हिस्से को यह पुल शहर से जोड़ता है । एक बार इन्हीं के विभाग के लोगों ने उसको जोड़ने वाली सड़क को नीची किया और फिर ऊंची किया और फिर तोड़ रहे हैं । जितना हिस्सा तोड़ा गया है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए । सड़क बनाने में हमारे प्रदेश में अनेक मोहकमें हैं, इस प्रदेश में जो सड़कों को बनाते हैं, हमारे यहां कोई ऐसी कोआर्डिनेटेड योजना नहीं है कि जो रिसोर्सेज लगा रहे हैं, उनके लिए कोई कोआर्डिनेटेड स्कीम बना सकें । अब एक खाद्यान्न योजना में सड़क बनी, जिला परिषद् में बनी, जब पी० डब्लू० डी० में ट्रान्सफर किया तो एक मिट्टी के काम का दुबारा फर्जी भुगतान दिखा दिया जाता है । इससे हमारे प्रदेश को, गरीब जनता के धन की भारी हानि होती है । हम यह नहीं समझते हैं कि कहां आवश्यकता है, कहां आवश्यकता नहीं है । इसलिए मेरी आग्रह है कि चाहे सड़क बनाने का काम हो या एक तरह के जो दूसरे काम हों, उनके निर्माण के लिए प्रदेश स्तर पर कोआर्डिनेटेड सिस्टम होना चाहिए, जिससे हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, उनका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधान पुस्तकालय

सदुपयोग कर सकें और प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकें। इतने सारे मोहकमें खुल गये हैं जिनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है, जिससे यह तय हो सके कि किसी एक जिले में वह कितनी सड़क बनाना चाहते हैं। कितनी सड़कें बनाने की उनके पास योजना है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रौनापार लाट घाट मार्ग पर कल्याणपुर के पास पुल बनना है, जिसका शिलान्यास जनता शासन काल में हो गया था, किन्तु अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ। जनता यह समझती है कि बजट में प्राविधान हो गया होगा, लेकिन उन्होंने तो प्राविधान किया नहीं। लेकिन हमारी सरकार से आग्रह है कि यह प्राविधान करें। बखाला से बाजार गोसाई तक दूसरी सड़क बनाई जाय और बाजार गोसाई से छोटी सरजू पर पुल बना कर रौनापार-लाट घाट मार्ग से इसे जोड़ दिया जाय। घाघरा नदी की बाढ़ से मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है, वहीं घाघरा के किनारे महुलागढ़वल बांध बना है जो काफी मजबूत और ऊंचा है, वह पक्का करा दिया जाय। इससे गोरखपुर फैजाबाद की दूरी भी कम हो जायगी और पिछड़े क्षेत्र में आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध हो जायगी।

उसके किनारे महला गढ़वल बांध बना हुआ है, काफी बड़ा बांध है। उसको अगर पूरा कर दिया जाय तो गोरखपुर से फैजाबाद की दूरी भी कम हो जायगी। एक सड़क है जो कंजरी तुलसी से महदावल को जोड़ती है। यह सड़क 3 कि0 मी0 मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है, जो कि अभी कच्ची है, उसे पक्का किया जाना चाहिये। इसी विभाग के पास विधायक निवासों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व है। विधायक निवासों में जितनी गन्दगी है, उनकी जितनी दुर्दशा है, उससे सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। विधायक निवासों के रख-रखाव और सफाई की स्थिति में सुधार लाया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, अभी बजट के दौरान विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की तमाम चर्चा की गयी। मैं माननीय मन्त्री जी के ऊपर कीचड़ उछालने के अभिप्राय से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हम विधायकगण यह अपेक्षा करते हैं कि मन्त्री जी की नाक के नीचे विधायक निवासों में कम से कम भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं रहना चाहिये। मान्यवर, कितने खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक पत्र मैंने जनकोष के लूट के सम्बन्ध में 5-2-81 को मन्त्री जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सम्बन्धित अधिकारियों को ही वह पत्र जांच के लिये चला गया। मुझे यह जानकर बड़ी तकलीफ हुई। इस तरह से अगर मन्त्री जी जांच कराते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अगर यही हालत होती रहेगी तो भ्रष्टाचार प्रदेश के अन्दर दूर करने में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, मुझे इस बात की शंका है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान खाद्यान्न योजना की सड़कों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में खाद्यान्न योजना के अन्दर जो

[श्री केदार नाथ सिंह--]

सड़कें बनवायी हैं, वे पूरी नहीं हैं। वे सड़कें आज जो वर्तमान शासन है, उसकी ही मानी जायेगी इसलिए उसको जो सड़कें हैं वे सड़कें कहीं अधूरी हैं और कहीं पर बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। जहां हम नयी सड़कों का निर्माण करने जा रहे हैं, उसी दृष्टि से अगर हम देखें जो सड़कें अधूरी रह गयी हैं, जो खाद्यान्न योजना नं0 4 और 5 और सूखा योजना के अन्तर्गत जो सड़कें आज अधूरी हैं, क्षतिग्रस्त हैं, यदि साल भर उन्हें और छोड़ दिया जाय तो सारा पैसा जो खाद्यान्न योजना और सुखाग्रस्त योजना पर लगा हुआ है, वह बरबाद हो जायगा और पुनः पैसा नव निर्माण पर लगाना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इसे आप "प्रायरिटी" पर सबसे पहले लें। खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत काफी जनकोष बरबाद किया जा चुका है। खाद्यान्न योजना नं0 4 और 5 में जो सड़कें कट गयी हैं, उनको तत्काल पूर्ण कर कर गांव में जो विकास का कार्यक्रम है, उसको लागू किया जाय। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ना विभाग के द्वारा भी सड़कें बनायी गयीं। उसमें भी कम पैसा लगा, उसकी तत्काल पुनः मरम्मत कराया जाय। अभी विधान सभा के अन्दर गोरखपुर के एस0 ई0 के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को मैं साथ देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि उसी मित्तल के बारे में कहना चाहूंगा कि जब अगस्त के माह में एक ऐसी अफवाह उड़ी कि डाक बंगले पर अवांछनीय हरकतें होती हैं इसी सन्दर्भ में, जो वहां का डाक बंगला है पी0 डब्ल्यू0 डी0 का उसके खानसामा को मित्तल साहब ने स्थानान्तरित कर दिया जिससे कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के रुष्ट होने पर कुछ ऐसा वातावरण बन गया जो बहुत भयावह हो गया और कुछ उनके खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी। वहां के विधायकों ने भी कुछ लिख कर दिया है। यदि एस0 ई0 दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय परन्तु उस डाक बंगले को वेश्यालय बनाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाय जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने लिखा है।

*श्री अशफाक अहमद अन्सारी--

मान्यवर, मैं 51 बरेली कैंट जो बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है वहां से चुन कर आया हूं। तीन साल से कोशिश कर रहा था वहां की कुछ सड़कों व पुलों को बनाया जाय लेकिन अपोजीशन में होने के नाते एक भी सड़क नहीं बन पाई। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ये सड़कें तथा पुल बनवाने की मेहरबानी करेंगे जो इस प्रकार हैं ग्राम भड़सल से ग्राम खाई खेड़ा, ब्लाक बिथरी चैनपुर तक सड़क बनवा दी जाय। भड़सल नदी का पुल 15 साल से नहीं बना है उसे बनवाया जाय। जिला परिषद् की सड़कों को पी0 डब्ल्यू0 डी0 को ले लेना चाहिये। इसी तरह ब्लाक बिथरी चैनपुर से ग्राम उदयपुर जसरथपुर सड़क बना दी जाय। पीलीभीत बाई पास रोड से ग्राम डोहरा से ग्राम चानपुर होती हुई लालपुर तक जो सड़क है उसे पक्का करा दिया जाय। इसी में चनपुर घाट पर नकटिया नदी का पुल बना दिया जाय। ग्राम भोकमपुर से ग्राम मनेरा होते हुए अभयपुर नैनीताल रोड से सड़क मिला दी जाय। ग्राम खजुरिया जलकार से ग्राम कुमरा तक सड़क बना दी जाय। ग्राम नत्थूपुरा से ग्राम थरेवाकुइयां तक सड़क बना दी जाय। इसी तरह जगतपुर से हरूनगले तक एक किलोमीटर की सड़क बना दी जाय।

श्री अधिष्ठाता--

यह लिस्ट आप मन्त्री जी को भेज दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माान्यवर, राष्ट्र के निर्माण में जिस तरह से हर विभाग का अपना महत्व है उसी तरह से स्वयं निर्माण विभाग का भी उतना ही महत्व है जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन जितना ही हम इसको जागरूक करते हैं उतना ही हम देखते हैं कि यह भ्रष्टाचार कोले कर चमत्कृत हो रहा है। इसके भ्रष्टाचार की कहानी हमारे विधायकों के कमरों में भी विराजमान है। कहने को बरियां हैं लेकिन मोटे सूत की वे चादरें हैं। पुताई चल रही है लेकिन एक ही कोट हो रहा है। बरामदे का भुगतान हो रहा है। पता नहीं राज्य सम्पत्ति अधिकारी कैसी व्यवस्था कर रहे हैं? इस विभाग का भ्रष्टाचार विधायकों के कमरों में खूब उजागर हो रहा है। इसके अलावा विधायकों को जो फर्नीचर कमरों में दिया जाता है उसको देखने से पता चलेगा कि सारा काम कमीशन के बीच से होकर किया जा रहा है और सामान की क्वालिटी पीछे दौड़ रही है। सड़कों, भवनों तथा पुलों का निर्माण कार्य भी यह पी0 डब्ल्यू0 डी0 करता है लेकिन निर्माण कार्य होने के पश्चात् जब मन्त्री महोदय उसका उद्घाटन करने जाते हैं तो जैसा अखबारों में भी पढ़ने को मिलेगा अमुक पुल अथवा भवन बनने के पहले ही उसमें दरार पड़ जाती है।

(समय 3 बजे)

मान्यवर, करुअना-मगहरा मार्ग जो देवरिया जनपद में है उसके सम्बन्ध में हमने शिकायती पत्र दिया तो उसकी जांच के लिये टेक्निकल सेल के लोग गये लेकिन उस जांच की रिपोर्ट का पता नहीं है कि क्या हुई? वहां के सम्बन्धित सी0 डी0 राय, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता, खेमचन्द्र शर्मा जिनके भ्रष्टाचार की कहानी वहां के स्थानीय समाचार पत्रों ने छापा है जिसकी संभव है कि मन्त्री जी को सूचना मिली हो लेकिन उनके कान में अभी तक कोई जूं नहीं रेंगी है। इसी तरह मान्यवर, जमुआ-मगहरा मार्ग अपनी स्थिति को लेकर रो रहा है। हमने आपको इस सम्बन्ध में लिखा कि आपने अपनी योजना में 5 किलो मीटर लिया है, जबकि मार्ग की पूरी लम्बाई सवा छः किलोमीटर है। जवाब आया कि मार्ग के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है जबकि होना चाहिए था कि सवा छः किलोमीटर योजना में लिया जाना चाहिए था।

इसी तरह मान्यवर, जनपद देवरिया की कहानी में एक और आपको सुनाना चाहता हूं। मान्यवर, भलौनी महुई श्रीकान्त मार्ग के टेण्डर की तिथि निश्चित की गयी लेकिन उक्त तिथि को सौदा न पटा इसलिए टेंडर कैन्सिल कर दिया गया किन्तु वह किसी समाचार पत्र में नहीं दिया गया कि यह तिथि क्यों कैंसिल कर दी गयी। यह स्थिति आपके विभाग की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--]

मान्यवर, बहराइच में उल्टहा पुल है जिसको 12 मीटर बनाने की बात कही गयी जबकि वह एक मीटर बनाया गया था लेकिन हल्के पानी के बहाव के कारण वह कागज के पन्नों में पूरा बारहवों मीटर बह गया और पैसा सम्बन्धित अधिकारियों की जेब में चला गया ।

मान्यवर, हमारे यहां चनुकी घाट के पुल का निर्माण यदि करा दिया जाय तो हमारे यहां सोहगरा शिव मन्दिर है, जो कि यू० पी० और बिहार कि किनारे पड़ता है, उसके दर्शनार्थ तमाम लोग वहां यू० पी० और बिहार से आ सकेंगे ।

मान्यवर, रचनात्मक दृष्टि से देखें तो जनपद देवरिया में सलेमपुर मझौली भाटपार रानी मार्ग जिले का प्राचीनतम और महत्वपूर्ण मार्ग है जो 1952 से आज तक न मालूम किस कारण अधिकारियों ने उसको अनदेखा किया है, इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से लाबी में बैठे अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि वह इसी वर्ष इस मार्ग को अविलम्ब योजना में लेकर बनवायें और जिन अधिकारियों ने इस मार्ग को अनदेखा किया था उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

इसके साथ ही मान्यवर, पुनः मैं कहना चाहूंगा कि श्री खेमचन्द्र शर्मा, अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ जांच अवश्य की जाय और सम्बन्धित पत्र पत्रिकायें मैं आपको दूंगा जिससे उनके भ्रष्टाचार की कहानी आपको मालूम हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपके प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री वृद्धि नारायण सिंह--

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट के समर्थन में जो मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इस वर्ष के मूल बजट में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये 1,800 किलोमीटर सड़कों के प्राविधान, जो वित्त मन्त्री जी ने पुनरीक्षित किया था, उसको देखते हुये ऐसा लगा कि हमारे प्रदेश में सड़कों की जितनी आवश्यकता है, खासतौर से पक्की सड़कों की, वह बहुत कम है। मैं मन्त्री जी से इसके लिये अनुरोध करूंगा कि आज सड़कों के द्वारा जो जन जीवन का सम्बन्ध है तथा क्षेत्रों का जो विकास परिवहन के द्वारा होता है तो उसमें सबसे अधिक ध्यान सड़कों के लिये दिया जाना चाहिये क्योंकि किसी इलाके का उत्थान और वहां का विकास तब तक नहीं होगा जब तक वहां पर जाने का रास्ता न हो। हमारे अधिकारी या हमारे क्षेत्र के कोई प्रतिनिधि तथा अन्य कोई टीम जो उस क्षेत्र के विकास के लिये आती है तो वह वहां पहुंच नहीं पाती है जिससे उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है । इस विभाग के सम्बन्ध में जैसा हमने प्रगति समीक्षा में पढ़ा है, मन्त्री जी ने प्रशासनिक दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटा है । अगर इसे पूरे रूप से कार्यान्वित किया जायेगा तो सुधार आयेगा । हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जैसा कहा और जिस प्रकार से विभागों में ढिलाई और सुस्ती बढ़ रही है अगर उसको काट नहीं की गयी तो जो धन खर्च हो रहा है य जो जनता के हित में खर्च होने वाला है वह बेकार जायगा । वाराणसी में इसका एक मुख्य कार्यालय खोला गया है लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि वहां पर अभी कुछ ही अधिकारी पहुंच पाये हैं और सारी व्यवस्था होना बाकी है । मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि तत्काल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूरी व्यवस्था वहां करायी जाय । आपने जब कार्यालय को खोला है तो उसका उपयोग करें । इसके साथ साथ मैं मन्त्री जी को एक बात और बताना चाहता हूं कि वाराणसी जिले में एक स्थायी और एक अस्थायी प्रखंड है । लेकिन उनके समस्त कार्यालय, चाहे अधीक्षण अभियन्ता हों या सहायक अभियन्ता हों उनके सारे कार्यालय वाराणसी में स्थित है । वहां की जनता को करीब 90 से 102 कि0 मीटर चलकर वाराणसी शहर पहुंचना पड़ता है, और वह कार्यालय ऐसी जगह स्थित है कि वाराणसी पहुंच कर एक दो दिन उसको खोजते हैं तब भी वह नहीं मिलते हैं । इसके लिये मैंने विभागाध्यक्ष से और वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया था, मुझे जानकारी मिली है कि स्पष्ट आदेश हुए थे कि जिस क्षेत्र के हैं वह उसी क्षेत्र में अपना कार्यालय स्थापित करें । लेकिन अधिशासी अभियन्ता को कौन कहे उनके सहायक अभियन्ता भी अपने कार्यालय का शुभारम्भ नहीं कर सके । जिसका कारण है कि विगत वर्ष उस क्षेत्र में 60-70 कि0 मीटर सड़कें स्वीकृत हुयी थीं लेकिन 7 कि0 मीटर सड़क नहीं बन पायी । हमारे अधिकारियों ने जहां पर यह बताया कि सीमेन्ट तथा मैक्साफाल्ट की कमी है तो वहां पर मैं यह बताना चाहता हूं कि मिट्टी और मजदूरों की कमी तो नहीं है । मात्र 7 कि0 मीटर सड़क कच्ची नहीं बन पायी जबकि शासन ने उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए 60 कि0 मीटर सड़कें दी थीं । मैं निवेदन करूंगा कि वहां सारी परिस्थितियों के अवलोकन के लिये यहां से किसी को भेजा जाय और सारी स्थिति का जायजा लिया जाय ताकि विभाग के द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं उसका उचित और सही लाभ मिल सके । इन शब्दों के साथ माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, किसी भी देश की प्रगति के लिए सड़कों और पुलों का होना बहुत ही अनिवार्य है । जैसे शरीर के अन्दर खून के परिवहन के लिये नाड़ियां होती हैं उसी प्रकार से देश के संचार में, देश के आवागमन में और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिये इस विभाग का बहुत बड़ा महत्व है । लेकिन जब हम एक तरफ इसके महत्व को देखते हैं और दूसरी तरफ इसके कार्यों को देखते हैं तो जैसा माननीय सदस्यों ने कहा इसमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है । मैं ज्यादा आलोचना में नहीं जाना चाहता । मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूं । इसके 2-3 अंग हैं, एक तो हमारा सेतु निगम बना हुआ । सेतु निगम काम तो बहुत अच्छा कर रहा है । बाहर भी कर रहा है, लेकिन हमारे यहां के लिए श्रीमन् मैं माननीय मंत्री जी को लिख भी चुका हूं और उनका जवाब भी आया । हमारे यहां एक नदी है वरुणा बनरा । उस पर 10 साल पहले सेतु निगम ने पुल बनाया । सन् 1943 में जो बाढ़ आयी थी, जिसमें वाराणसी से लेकर नागेश्वर तक के गांव डूबे थे । उस बाढ़ के रिकार्ड को नहीं देखा गया और उससे नीचा पुल बना दिया गया ।

[श्री ऊदल--]

माननीय मंत्री अभी उसकी जांच ही करा रहे हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरा सुझाव है कि उसमें केवल 1 या 2 लाख और बनवा दें और नदी को कुछ गहरा करवा दें और जो लोग इस सिलसिले में दोषी हों, उनको दण्डित करें। उस पुल को तुड़वाने पर लगभग 10 लाख रु0 का नुकसान होगा। मान्यवर, एक सुझाव आपके माध्यम से और देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की एक सड़क है बड़ा गांव कुडी-कुरू मार्ग। इस मार्ग के लिए राज्यपाल शासन काल में मुख्य अभियन्ता ने शासन को प्रस्ताव बना कर भेजा था और शासन ने अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं दी। इसके अतिरिक्त एक गांव है हमारे यहां बड़ा गांव कछवा मार्ग है अनेई गांव। जिस पर 11 किमी0 सड़क बननी थी। जिला परिषद् वाराणसी ने रिक्मेण्ड कर दिया और गवर्नमेंट को दे दिया। और इस बारे में जब मैं अतिरिक्त सचिव श्री पडवानी से मिला, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई फाइल नहीं चल रही है और जब उस फाइल को खोजा जाने लगा तो वह वही दफ्तर में फाइल मिली। लेकिन वह इसी उधेड़-बुन में लटका रह गया।

हम लोग जो रुपया देते हैं कि सरकार इस पर प्लान बनावें और उसे ठीक ढंग से नियोजित ढंग से खर्च करें। पहले जमाने में शेरशाह सूरी ने सड़क बनवाई थी कलकत्ते से लेकर दिल्ली तक। उसके क्या कहने हैं, जबकि उस समय इतनी चीजें भी उपलब्ध नहीं थी। हां, उस समय ट्रैफिक जरूर कम था आज ट्रैफिक बहुत अधिक है। तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो सड़कें आप बनवायें चाहे वह नेशनल हाई वे हो या जिस रोड पर ट्राफिक अधिक हो या कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सड़क हो, सबका वर्गीकरण होना चाहिए। इसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि जब वर्गीकरण होगा तो सड़के मजबूत किस्म की बनेंगी। जी0 टी0 रोड को ले लीजिए। वाराणसी से लेकर मुगलसराय तक काफी खराब पड़ी है इस तरह से मैंने दूसरी जगह पर भी देखा है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में इससे पहले भी निवेदन कर भी चुका हूं। हमारे यहां जौनपुर में गोपालपुर-रामपुर पक्के मार्ग पर एक नदी बसुही पड़ती है, यहां पुल न होने के कारण आवागमन के साधन अक्सर अवरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए बसुही नदी पर शीघ्र से शीघ्र पुल बनवाने की व्यवस्था की जाए और दूसरी जौनपुर में सई नदी का पानी दसियों मीटर जलालपुर और बरगुदर के पुल पर से होकर बहता है। इसलिए इसके ऊपर नया पुल बनवाया जाए। वरुणा नदी वाराणसी में चौका घाट का पुल क्रैक हो गया है, जिसके ऊपर से आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इसलिए इसके स्थान पर कोई अल्टरनेटिव पुल होना चाहिए। इसकी वजह से कचहरी रोड जाम हो जाता है। सारा रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसका अल्टरनेटिव निकालना बहुत आवश्यक-हो गया है। इसके साथ ही एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि भदोई के पास एक बाई पास बनना था, जो 10 वर्ष पूर्व स्वीकृत हो चुका है। दसियों वर्षों से स्वीकृत हुई है। मैं आपसे मांग करता हूं कि बाबतपुर और जमालपुर मार्ग में वाराणसी बाई पास की जमीन ताडी कुवार नेवादा में लोगों ने कब्जा कर लिया, बाजार में सड़क पर कब्जा कर लिया। कौन सी सड़क बनेगी, कौन सी जगह पर बाई पास बनेगा पिंडरा-उठिरांव मार्ग में रामपुर में बाई पास आज तक नहीं बन पाया। यह देखना जरूरी है कि कहां-कहां पर बाई पास के लिए छोड़ा गया है कि बना को नहीं। इसलिए सड़क भी नहीं बन पा रही है। इस तरह सार्वजनिक निर्माण विभाग काम करेगा, तो प्रदेश का हित नहीं हो सकता है।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत सी सड़कें हैं जो अन्तर प्रान्तीय हैं। हमारे सूबे को दूसरे सूबे से मिलाती हैं, जोड़ती हैं। इससे सांस्कृतिक एकता बढ़ेगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा सौहार्द्र बढ़ेगा और प्रगति की दिशा में देश आगे बढ़ेगा।

मैं अपनी बात खतम करते हुए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सड़कों का सर्वे कराकर सड़कों का वर्गीकरण करें कि कौन सी सड़क हाई वे है, कौन सी राष्ट्रीय मार्ग है, कौन सी सड़क सार्वजनिक है, कौन सी सड़क अन्तर प्रान्तीय राष्ट्रीय मार्ग है। इस तरह से प्राफिट तो बहुत होगा और इन सड़कों पर प्राथमिकता के आधार पर मजबूत मैटिरियल लगवाने की व्यवस्था करें। अभी मैं आजमगढ़ से आ रहा था। वाराणसी-आजमगढ़ रोड जो जाता है। वहां मैंने देखा कि सड़क के लिए रद्दी गिट्टी पड़ी हुई है, कंकड़ का चूरा गिरा हुआ था। मैंने इस बारे में सवाल किया तो आपने जवाब दिया कि किसी को दण्डित करने की आवश्यकता नहीं है, एक पर 16 सौ रुपये और एक पर 200 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। मुझे इससे मतलब नहीं कि आपने उसका 16 सौ रुपया काट लिया। सवाल यह है कि मैंने स्वयं देखा था कि जो गिट्टी रद्दी किस्म की गिराई गई है, भुरभुरा पत्थर का बुरादा है, उसे अच्छे किस्म का मैटिरियल लगाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

विधान पुस्तकालय
वाचनालय आश्वा
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

*श्री राम सिंह (सहारनपुर)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पी0 डब्लू0 डी0 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह निःसन्देह चौमुखी विकास का एक अपना कदम है। सड़क, पुल, बिल्डिंग्स का विस्तार निःसन्देह एक अपने में प्रशंसनीय कार्य है। मैं कुछ अपने सुझाव माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं।

सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब में समयबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है कि पहले वर्ष का कीर्तिमान स्थापित करके फिर अगले पांच सालों की समयबद्ध योजनायें बनायें कि किन वर्षों में कहां सड़क बना कर मिलाई जायगी। इस पंचवर्षीय योजना में सबके सब गांव सड़कों से मिलाये जाने परमावश्यक थे। इसके बिना बहुत से गांव बहुत दिनों तक सड़कों से उपेक्षित रह जायेंगे। उन तक सड़क नहीं पहुंचेगी और न उनका सर्वांगीण विकास हो पायेगा। सर्वांगीण विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, इस प्रदेश के लिए यह आवश्यक है कि हर क्षेत्र का हर गांव सड़कों से मिला दिया जाय। गांवों तक सड़कें बनानी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसी से हमारी आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो सकती है, इसी से हम हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सिंह---]

साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पी0 डब्लू0 डी0 के बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं करते हैं और रुपयों को बाद में सरेन्डर कर देते हैं। हमारे जिले में अभी 22 तारीख को एक बैठक हुई थी वहां के एक पी0 डब्लू0 डी0 अधिकारी की लापरवाही से 11 लाख रुपय सरेन्डर हो रहा है। तो इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध विशेष रूप से कार्यवाही होनी चाहिए।

यह निर्विवाद सत्य है कि करप्शन व्याप्त है। इसको इरैडीकेट करने के लिए, मिटाने के लिए कुछ सुझाव हैं। एक तो इन्टरमीडियरीज व्यवस्था सब जगह समाप्त कर दी गई है, जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि बिचौलिया प्रथा क्यों नहीं समाप्त की जा रही है। वह कहते हैं कि ये कुछ तकनीक जानते हैं, तो आपके इंजीनियर हैं जो टेकनीक को जानते हैं इस तरह की प्रथा को जब आप समाप्त करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अभी तो सीमेन्ट की चोरी हो जाती है तो आपके अधिकारी समझते हैं कि सीमेन्ट तो हमने ठेकेदार को दे दिया था। वही भागीदार होगा। लेकिन जब यह प्रथा समाप्त हो जायेगी तो आपके इंजीनियर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, उनकी सर्विस पर मामला आ जायेगा। साथ ही साथ मेरा दूसरा सुझाव है कि...

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राम सिंह (सहारनपुर)---

मेरे क्षेत्र में एक सौलानी नदी है। यह पूरे क्षेत्र का अभिशाप है। यदि चीन में व्हांगहो नदी अभिशाप है तो मेरे क्षेत्र में सौलानी। आपको जान कर आइचर्य होगा कि 20 मील तक कोई पुल नहीं है। 50-60 गांव बरसात में बाढ़ में कट जाते हैं, वहां पर माताये बहने रहती हैं, इनको कोई मेडिकल एड भी नहीं मिलती। अतः इस पर भगवानपुर पुल बनाना बहुत आवश्यक है। गत वर्ष यहां पर इसी विषय में...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री त्रिवेनी---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय से मैंने निवेदन किया था कि हमारी तरफ बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसके लिए रूलिंग भी हो चुकी है....

(व्यवधान)

इसके लिए श्री बनारसी दास जी ने, भूतपूर्व अध्यक्ष ने, रूलिंग दी थी जब जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा था कि मेम्बरों की तादाद पर बोलने का भी एलाटमेंट होगा। जब इधर के तीन बोलते थे तो उधर का एक। अब एक इधर का और एक उधर का बोले, यह इंसाफ नहीं है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। जो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह वैधानिक है।

श्री अधिष्ठाता--

इससे पहले भी यही व्यवस्था चल रही थी कि एक इधर से और एक उधर से। जब बोलने वालों की तादाद ज्यादा हो तो समय कम करके अधिक लोगों को समय दिया जायेगा ।

श्री ऊदल--

आपका ध्यान सन् 57 से 73 तक के अध्यक्षों द्वारा दिये गये व्यवस्था की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । अगर आपके पास कापी न हो, मोटी जिल्द वाली, मैं दे दूंगा, उसमें व्यवस्था है कि बजट सत्र में और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर एक व्यक्ति सत्ता पक्ष से और एक विरोध पक्ष से बोलेगा ।

(व्यवधान)

(श्री त्रिवेनी के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

एक बात आपने कही, एक बात ऊदल जी ने कही । इस....

श्री मोहन सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, इस पर कई बार फैसला हो चुका है कि एक सदस्य इधर से और एक सदस्य उधर से बोलेगा । उपाध्यक्ष भी, अध्यक्ष भी कह चुके हैं। तो आपको तो अधिष्ठाता मण्डल में होने के नाते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना है कि जो रूलिंग दी जा चुकी है उसका अनुपालन किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

क्या इस सदन में यह व्यवस्था दी जायेगी कि अपोजीशन में 5 आदमी रहेंगे, तो एक ही स्पीच पर, एक ही सब्जेक्ट पर 5 आदमी रिपीट कर सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय त्रिवेनी जी, आप किस नियम से बोल रहे हैं ? सदन में इसी प्रकार से माननीय स्पीकर साहब चला रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं इसमें किसी तबदीली की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कुबेर भंडारी--

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी बहुत सीधे और भोले-भाले हैं और उनको दो दो विभाग दे दिया गया है, तो यह सब पैसा बेकार होगा। इनको तो समय पैरोल

[श्री कुबेर भंडारी---]

पर ही नहीं है । यह निवारक नजरबन्दी कानून जब पास कराय, तो सब लोग मेज बजाये । (मंत्री जी तो चले जा रहे हैं)। मान्यवर, इनको सार्वजनिक निर्माण विभाग मिला है और यह कौरवों की सेना पाये हैं। मान्यवर, जौनपुर में निवारक नजरबन्दी कानून में दो लोग बन्द हुए लेकिन पता नहीं मंत्री जी पैसा पाये या कौन सा लगाव था जो उनको छोड़ दिया गया । मान्यवर, यह ऐसा विभाग है कि अगर इस विभाग में लगी सम्पत्ति की जांच हो, भ्रष्टाचार की जांच हो, तो आधा तो अर्थव्यवस्था ऐसे ही ठीक हो जाय और यदि उनको जेल में डाल दिया जाय तो यह सारी व्यवस्था ऐसे ही ठीक हो जायेगी। आप स्वयं देख लें मेरा 83–बी कमरा है वह पता नहीं किस सेमेन्ट से पोता गया है कि वह जगह–जगह से छूट रहा है । हमारा बच्चा घायल होने से बचा, यह इनकी व्यवस्था है । मान्यवर, पर्यटन पर कल बहस हो रही थी, जो बसें चलती हैं और जो हाई वे हैं, अगर मंत्री जी बस से चले जायें तो मेरा दावा है कि अगर वह लौटेंगे तो अस्पताल में ही जायेंगे । इतना भ्रष्ट विभाग है यह । मेरे जिले में एक सड़क है बहुत पुरानी । मेरा जिला है देवरिया, जहां मोहन सिंह रहते हैं मैं वहीं से आता हूं, मेरे जिले में बरहद से लेकर नेपाल तक एक सड़क जुड़ती है, देवरिया, एटा जाने के लिए और सड़क के बगल में मेरा घर है । (राय साहब हल्ला मत करिए) । मान्यवर, मैं कह रहा था कि 52 से लेकर आज तक सड़क ठीक नहीं हुई । हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं और बस नहीं आती है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में हाई वे रोड पर एक सड़क निकल कर गई है, वह कंकड़ीली हो गई है, जिला परिषद् उसको ठीक करा चुका है । उसके बाद उस सड़क को तोड़कर एक बड़े आदमी के घर जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कुबेर जी, आप एक मिनट में खत्म करें ।

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, हाई वे रोड से मझले नाला को रास्ता जा रहा है । इसमें दो किलो मीटर में 5 गड्ढा तालाब पड़े हैं । मान्यवर, उसमें हमने सवाल किया है मंत्री जी एक दिन विशेषाधिकार में खड़े होंगे । 15 किलोमीटर सड़क गायब कर दी, कोई इस तरह का भ्रष्टाचार इस विभाग में है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सन्यास लें, आराम करें और बानर सेना को दबाने के लिए कोई अच्छा, मजबूत मंत्री जी आ जायं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। तमाम सदस्य बजट पर बोल चुके हैं लेकिन हमारे हर गोविन्द जी बजट पर नहीं बोले हैं ....

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

*श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमान्, किसी भी प्रदेश और देश या जिले की प्रगति, डेवलेपमेंट, सारा सड़कों पर ही निर्भर करता है । इत्तफाक की बात है, बरेली बहुत ही पिछड़ा जिला है। बाम्बे प्लान के अनुसार यह 70 प्रतिशत पर है जब कि दूसरे जिले कोई 150 प्रतिशत पर हैं, कोई 170 प्रतिशत पर । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस जिले की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें, खास कर मेरे क्षेत्र की ओर जो केवल 35 प्रतिशत पर पहुंचा है ।

इससे पहले कि मैं अपने जनपद की कोई बात कहूं, सड़कों की बात काफी हो चुकी है, मैं पगडंडी की बात करना चाहता हूं, जो पी0 डब्ल्यू0 डी0 के ही अन्डर में आती है, वही इसका देख भाल करता है । वह बहुत ही महत्वपूर्ण पगडंडी है । केवल दो, ढाई किलोमीटर है, जिसकी चौड़ाई केवल दो फीट है । उसमें 30, 40, 60 आदमी हर साल मरते हैं । ऊपर से नीचे गिरते हैं। उनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती । वे खुद नहीं लिखाते । वापस घर लाते हैं । कुछ रास्ते में मर जाते हैं, कोई घर पर मर जाता है और कुछ अस्पताल पहुंचते हैं। श्रीमन् अल्मोड़ा जिला का एक मन्दिर है देवी जी का पुन्यागिरी मंदिर। वहां के लिए रास्ता जाता है नैनीताल और पोलीभीत होकर। आखिर में दो, ढाई किलोमीटर की पगडंडी पड़ती है । उसकी देखभाल पी0 डब्ल्यू0 डी0 करती रही है । पी0 डब्ल्यू0 डी0 अगर उस दो, ढाई किलोमीटर पर रेलिंग लगा दे, तो जो 40-50 आदमी हर साल मर जाते हैं वे बचाये जा सकते हैं । उसमें न सिमेन्ट की जरूरत है, न टिम्बर की और न कोई रोड बनाने की जरूरत है । दो, ढाई किलोमीटर में रेलिंग लगा दी जाय जिसकी लागत 3-4 लाख करीब आयेगी ।

मैं अब अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं । बरेली-गैहनी रोड में चार किलोमीटर के बाद छोटे-छोटे दो पुल बना दिये जायं, जिससे पचास हजार इन्सानों को एक रास्ता मिल जायगा और यह रास्ता बरेली खास से जुड़ जायगा । इसकी लम्बाई चार किलोमीटर से कम है । दूसरा मार्ग है बभियान--बिसारदगंज । इनकी लम्बाई तीन किलोमीटर है । खाद्यान्न योजना में यह बन चुकी है, पुलिया भी बन चुकी है । 60-70 हजार की आबादी का क्षेत्र यहां पर है जो सड़क से बिल्कुल अलग है । इस क्षेत्र में पी0 डब्ल्यू0 डी0 ने माननीय तिवारी जी के मंत्रित्वकाल में केवल 10-12 किलोमीटर सड़क बनाई है । बीच में जनता पार्टी की सरकार में थोड़ा सा काम अर्थ वर्क का काम कराया गया था । 10-12 किलोमीटर बाम्बे प्लान में कहीं भी स्टैण्ड नहीं करता । मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस ओर ध्यान दें ।

तीसरी रोड मड़ीरांग, टिटौरा और ऊंचा गांव से बदायूं रोड से मिल जाती है । यह कच्ची सड़क है । खाद्यान्न योजना में बनाई गई है । इसको पक्का करा दिया जाय ।

एक सड़क मजगोवा-बदायूं मार्ग से कामरपुर है....

[श्री रमेश्वर नाथ चौबे--]

और दूसरी बुखारा को बदायूं से मिलाती हूं । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं ।

श्री जयदीप सिंह--

माननीय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण बिभाग की मांगों पर बोलने का समय दिया । अभी हमारे माननीय ऊदल जी ने उदाहरण दिया कि जिस तरह से शरीर में रक्त के संचार के लिये नाड़ियों की आवश्यकता होती है और तभी शरीर का विकास हो सकता है उसी तरह से प्रदेश के विकास के लिये सड़कों की आवश्यकता होती है । मान्यवर, सिर्फ इतना ही नहीं अगर इस उदाहरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाय और कहा जाय कि अगर शरीर के किसी भाग में नाड़ियों से रक्त न पहुंच सके तो वह भाग शरीर के विकास की बजाय शरीर के लिये बोझा हो जायेगा । मान्यवर, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत विस्तृत प्रदेश है और यहां के देहातों को अभी तक भी सड़कों के साथ नहीं जोड़ा गया है । वहां प्रगति तो क्या सम्भव होगी लेकिन वह प्रदेश के लिये बोझे का काम करता है ? मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं । बरेली में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई जैसे प्रदेश के कई और जिलों में भी की गई है । इनके जरिये छोटे-छोटे किसानों को दो-दो और चार-चार सौ रुपया कर्ज देकर उनको आगे बढ़ाने की तरफ प्लान है । उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम बैंक की शाखा वहीं पर खोलेंगे जहां पक्की सड़क होगी । ऐसी जगह पर शाखा खोलने का क्या लाभ होगा कि सौ दो सौ रुपया के लिए भूमिहीन किसान को 10/20/50 रुपया खर्च करके वह वहां आये और कर्जा ले । इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दें ।

माननीय मंत्री जी ने 2 अरब रुपये का बजट प्रस्तुत किया है और इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह राय दी है विभाग में पैसे का सदुपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग होता है और वह पैसा उन्नति के कोई काम नहीं आता है । सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी इसी बात पर बल दिया कि विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है । यह ऐसा विभाग है जिसमें स्थायी सम्पति का सृजन होता है सड़कें आदि बनती हैं, भवन बनते हैं जिसमें सीमेंट आदि लगता है यह सब ऐसी चीजे हैं जिन सड़क का कहीं पता नहीं होता फिर भी उसकी जांच नहीं हो पाती है । जब तक आप इस तरह से मूल समस्या का निवारण नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो पायेगा । ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा मौजूद रहती है अगर कोई सड़क 20 से0 मी0 मोटी होनी चाहिए और सिर्फ 10 से0 मी0 बनी है, तो कभी भी आप पकड़ सकते हैं । आपको मालूम रहता है कि कौन सा काम किस अधिकारी ने कराया है किसने सड़क बनवाई है इसलिये जब तक आप इसके लिये एकाउन्टेबिलिटी और जिम्मेदारी का सिद्धान्त नहीं रखेंगे तब तक आप भ्रष्टाचार दूर करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे ।

मान्यवर, हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है । यहां पर 58 किलोमीटर सड़क प्रति लाख जनसंख्या पर है जो कि अन्य प्रदेशों की तुलना में 1/3 और 1/4 ही है । क्षेत्रफल के आधार पर भी और आबादी के आधार पर भी सबसे कम है क्षेत्रीय असन्तुलन की एक बात है । आप कहते हैं पश्चिमी क्षेत्र पूर्वांचल से आगे है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 58 किलोमीटर सड़क प्रति लाख जनसंख्या पर है परन्तु 44 किलोमीटर ही पश्चिम में प्रति लाख जनसंख्या पर

हैं, बरेली में 54 किलोमीटर,, रामपुर में 43 किलोमीटर, रुहेलखंड 51 किलो–मीटर, तथा मेरे चुनाव क्षेत्र में केवल 20 किलोमीटर सड़क प्रतिलाख जनसंख्या पर हैं । इसके अतिरिक्त वहां पर 7 नदियां हैं, 70 किलोमीटर की लम्बाई है । मान्यवर, बहेड़ी शीशगढ़ रोड़ जो है वह सिर्फ 20 कि0 मी0 की दूरी है शीशगढ़ टाउन एरिया भी है और तहसील मुख्यालय बहेड़ी से वहां उसमें टाउन एरिया में आने के लिये 90 किलो मीटर घूमकर आना पड़ता है । यह सड़क जल्दी बना दी जाय । सिधौली सिहोर मार्ग पर पुल तथा सिहौरा–सहोड़ा मार्गों पर पुल की व्यवस्था मंत्री जी करें । मान्यवर बहेड़ी शीशगढ़ मार्ग के लिये मंत्री जी ने सेन्ट्रल को लिखा भी है । आपसे अनुरोध है कि इस सड़क को ले लें ।

इसके अलावा सिधौली–सिहोर मार्ग बन गया है लेकिन सिधौली के पास पीलाखार नदी पर इसमें पुल नहीं है इसलिए जो 50 सौ लाख रुपया आपने खर्च किया है वह बेकार ही है जब तक पुल का निर्माण नहीं होता तो वह किसी काम नहीं है । इसलिए पीलाखार नदी पर यहां एक पुल बनाया जाय ।

एक सिहोर–सहोड़ा मार्ग है यह सड़क अधूरी पड़ी है जो सड़क शेरगढ़ रोड से बैरम नगर जाती है वह भी अधूरी पड़ी है इसको आप पूरी कर दें तभी इसका उपयोग सम्भव है ।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जयदीप सिंह––

मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जो विधायक निवास के बारे में है । जब हम सुबह वहां से आते हैं तो वहां केयरटेकर नहीं आये रहते हैं और जब शाम को 5 बजे लौटते हैं तो वहां वह घर चले गये होते हैं । हमारी कोई समस्यायें होती है तो उनको हम कह नहीं पाते हैं इसलिए मंत्री जी से कहूंगा कि वह केयरटेकर पर यह पाबन्दी लगा दें कि कम से कम हफ्ते में एक बार वह विधायकों से अवश्य मिल लिया करे । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री त्रिवेनी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और विरोधी दल के भाई ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं । मुझे इस बजट के सम्बन्ध में दो तीन सुझाव देने हैं । पिछले वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो बाम्बे प्लान में सड़कों का बनाया था वह समाप्त हो गया । तब से प्रदेश का सर्वे करके कोई प्लान नहीं बना जिसके हिसाब से हमारे यहां सड़कें बने । दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारा प्रदेश बहुत लम्बा चौड़ा है और यहां की

[श्री त्रिवेनी--]

आबादी बहुत ज्यादा है । इस बजट को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह केन्द्र से और ज्यादा धन लायें । सड़कों की आज हर क्षेत्र में जरूरत है बिना सड़कों के विकास सम्भव नहीं है । मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि सारे प्रदेश का वह सर्वे करालें कि कहां रेलवे लाइन है और कहां दूसरे साधन हैं और कहां कुछ भी नहीं है । कुछ जिले ऐसे हैं जहां न तो ब्राडगेज लाइन है और न मीटरगेज लाइन है और न दूसरे साधन हैं तो वहां पर सड़कों पर अधिक ध्यान दें । पहले कुछ कम ऐसे हो गये जहां ब्राडगेज और मीटरगेज लाइनें हैं वहीं पर सड़कें बन गयीं लेकिन कुछ जिले बिना साधन के रह गये । मान्यवर, मैं आजमगढ़ जिले का नाम ले रहा हूं क्योंकि हमारे भाई लोकपति जी ने कह दिया है वहां पर कोई रेलवे लाइन नहीं है । वहां के लिए पटेल कमीशन ने भी रिपोर्ट दी है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट के कोई साधन नहीं हैं । हमारा इलाका लोकपति जी के इलाके से मिलता है हमारी सरहद बनारस से लगती है । आजमगढ़ में मेरे विधान सभा क्षेत्र लालगंज में आने जाने के लिये कोई साधन नहीं हैं ।

हमारे विरोधी भाई एक तरफ कहते हैं कि बजट में कटौती कर एक रुपया कर दिया जाय और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा सड़कों की मांग कर रहे हैं । मैं नहीं समझ पाया कि यह कैसे हो सकता है कि एक रुपये में कैसे सड़क बनेगी आप ही बता दें ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं यहां पर भ्रष्टाचार की बहुत बात कही गयी । तो इनके तीन वर्ष के जनता शासन काल में जितना भ्रष्टाचार हुआ उतना 30 वर्ष के शासन में नहीं हुआ । आज पी0 डब्लू0 डी0, निर्माण निगम और ब्रिज कारपोरेशन द्वारा निर्माण का काम हो रहा है उसका काम अच्छा है और आज पी0 डब्लू0 डी0 में तमाम सड़कें और पुल बन रहे हैं । एक वर्ष में जितना हमारा काम हुआ है, मैं मोहनसिंह जी को चुनौती दे रहा हूं कि उनके तीन वर्ष में इसका एक-तिहाई काम भी नहीं हुआ है । मैं बजट का समर्थन करते हुए वह बात कहना चहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने विभाग के लिए और अधिक धनराशि मांगे, ताकि जितना लम्बा-चौड़ा और बड़ी जनसंख्या वाला यह प्रदेश है, उसमें ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य हो सके और सड़कें आदि बन सकें । एक और बात कहनी है, जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जहां कनविंस नहीं हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सड़कें दी जाएं । इसके साथ मैं फिर अंत में बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय त्रिवेनी राय जी को कटौती का प्रस्ताव समझ में नहीं आता है, तो समझ में बात तो समझदारों के आया करती है, उनको कौन समझाये? उन्होंने बाम्बेप्लान का जिक्र किया, वाकई में मैंने इसके बारे में ही कहने के लिए आपसे समय मांगा है । चीफ इंजीनियर्स की जो कान्फ्रेंस बम्बई में हुई थी, जिसके आधार पर रटार-ग्रिड फारमूले का निर्माण हुआ था, उसके अन्तर्गत आजमगढ़ जिला तो आ जाता है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र के अन्य जिले जिसके अन्तर्गत नहीं आते हैं । तो मंत्री जी उसमें यह नक्शा बनवायें कि कौन से गांव 2 मील और 5 मील वाली सड़कों में आ गये हैं । इसका पूरा नक्शा आपके पास होना चाहिए । अभी करप्शन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की बात आई और उस पर त्रिवेणी राय जी ने जो कहा है, वह ठीक ही कहा है। वाकई में अब करप्शन नाम की चीज तो रह नहीं गई है। क्योंकि करप्शन तो वह है जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में पता न हो। लेकिन वहां पर अब पूरी तरह से परसन्टेज तय हो गया है–जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक का, इसलिए अब वह करप्शन नहीं रह गया है। अब वह राईट या अधिकार में शामिल हो गया है, इसलिए करप्शन की बात कहना बेकार है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फूड फार वर्कर्स में जो काम हुआ है, उसमें प्रायरिटी पर आप कलवर्ट का काम ले लें, तो बहुत सा काम जो हुआ है, वह डिस्ट्रक्शन से बच जायेगा। आप इस पर न जाइये कि किस सरकार ने उसका काम कराया है, यह सोचिये कि वह प्रदेश सरकार के पैसे से काम हुआ है और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का धन उसमें खर्च हुआ है।

आखिरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से आप समाप्त कर दें। बार–बार यह प्रस्ताव होते हैं कि आप उसे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उसे आप समाप्त नहीं कर पाये हैं अतः आप उस ठेकेदारी की कुप्रथा को शीघ्र समाप्त करके स्ट्रक्ट विजीलेंस के साथ सारे निर्माण कार्य को करायें और यह देखें कि उनमें सही सामान लगता है या नहीं। आप वह भी व्यवस्था करें कि जो रिवाइज्ड एस्टीमेट करना पड़ता है, उसको करने की नौबत न आए। आप जो चीजें सप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से यह नौबत आती है इसलिए आप सप्लाई की गारेन्टी लें, ताकि रिवाइज्ड एस्टीमेट करके ज्यादा बोझ योजना पर न पड़े।

कुमारी अलमेलु अम्माल––

मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने जो प्रस्ताव हमारे सामने पेश किये हैं अपने विभाग के, उसका मैं पूर्ण समर्थन करती हूं। बहुत सोच समझकर आपने इस वक्त पेश किया है, बनाये हैं, इससे जरूर प्रदेश की तरक्की होगी, लेकिन मैं कुछ बात आपके सामने पेश करना चाहती हूं। जो इस तरक्की के आगे बढ़ने में बाधक हैं। सबसे पहली बात यह है कि नैनीताल, दिल्ली और कलकत्ते में उत्तर प्रदेश भवन हैं। लेकिन और भी बहुत से स्थान हैं, जैसे बंगलौर, मद्रास और बम्बई आदि मेरी प्रार्थना है कि इन स्थानों में भी उत्तर प्रदेश के भवन बनवाये जायं क्योंकि सरकार के लोगों को उधर जाना पड़ता है। इसलिए वहां पर इनका निर्माण होना बहुत ही जरूरी है।

इस समय राज्य सम्पत्ति विभाग का कार्य बहुत बढ़ गया है, उसको और बढ़ाने की बात मैं कहूंगी लेकिन वे इतना ज्यादा काम कर पाते हैं या नहीं इसके बारे में हमारे मंत्री जी सोचें और फिर इसका विकेन्द्रीकरण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस विभाग में जब कोई मरम्मत की आवश्यकता होती है तो धनराशि की स्वीकृति राज्य सम्पत्ति अधिकारी देते हैं। तब जाकर विभागीय इंजीनियर ऊपर से स्वीकृति प्राप्त करता है तब मरम्मत होगा इसमें बहुत समय लग जाता

[कुमारी अलमेलु अम्माल--]

है । और तब वह मामला मंत्री जी के पास स्वीकृति के लिए पहुंचता है तो या तो मरम्मत का काम ही खत्म हो जाता है या वह मकान ही नष्ट हो जाता है । इसलिए मैं चाहती हूं इस कार्य के लिए सरकार डिप्टी सेक्रेटरी की श्रेणी के एक इंजीनियर को विभाग में नियुक्त किया जाय ताकि जितना रख रखाव का कार्य हो या अनुरक्षण आवश्यक हो, उसके लिए वांछित धनराशि स्वीकृत कर दें और मरम्मत के कार्य में देरी न हो ।

जहां तक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मुझे कहना है वह इस विभाग में इतना ज्यादा है कि जिसका वर्णन करना इतने कम समय में सम्भव नहीं हो सकेगा । इसका एक नमूना मैं बताना चाहती हूं । इसी सचिवालय में जिस लिफ्ट से हम ऊपर आते और नीचे जाते हैं और अन्य वी० आई० पीज भी आते जाते हैं, उसमें 3 तालों की जरूरत है । लेकिन देखने में आया है कि किसी में एक तो किसी 2 और किसी किसी में एक भी नहीं है । तो इसके न होने के कारण इनमें किसी भी समय एक्सीडेन्ट हो सकता है । मुझे तो अफसोस है कि इस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी जो राज्य सम्पत्ति अधिकारी है वे इस विभाग की तरक्की के बारे में नहीं सोचते हैं ।

इसके अलावा बिजली के जो स्विच बोर्ड लगाये जाते हैं, उनमें पहले पीतल के बोर्ड लगाये थे लेकिन पता नहीं वे अब कहां चले गये । अब उनके स्थान पर प्लाई वुड के बोर्ड लगा दिए गये हैं ।

इस सचिवालय में कैफिटेरिया में शूगर और मैदा आदि चीजें सस्ते दामों में मिलती हैं लेकिन वहां पर जो स्वीट्स बनती हैं, वे वजन में कम होती हैं । इसको भी हमें देखने की आवश्यकता है । वहां पर यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो कर्मचारी काम करते हैं उनको कितनी तन्खवाह मिलती है । क्या उतनी ही तन्खवाह उनको मिलती है जितनी कि लिखी जाती है । क्या उनको ओवरटाइम जो वे करते हैं उसके लिए पैसे मिलते हैं या नहीं ।

अब मैं दारुलशफा के बी ब्लाक के बारे में कहना चाहती हूं । उसमें एक केयर टेकर है । उसके नीचे विधायकों का काम देखने के लिए कई कर्मचारी होते हैं जैसे माली हैं, फर्राश आदि हैं लेकिन कभी कोई गाय चराने का काम करता है, कोई केयर टेकर की गाय का दूध निकालता है, कोई उसके गोबर के कंडे बनाता है । वे विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, कभी कहते हैं कि वे गाय को चराने के लिए जा रहे हैं । सब गलत काम है, इनको बन्द कराना चाहिए । मैं तो यह जरूर कहूंगी कि इसके पीछे हमारे राज्य सम्पत्ति अधिकारी का हाथ है या उनका वरद हस्त उनके ऊपर है । यू० पी० निवास जो दिल्ली में है वहां पर कमरा हमारे नाम से बुक रहता है, मगर उसमें रहते इनके अधिकारी हैं वह कमरा खाली नहीं करता है । उसमें भी राज्य सम्पत्ति अधिकारी का हाथ रहता है । अफसरों को वहीं जगह मिल जाती है और विधायक सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं । राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा हम विधायक लोगों को तो निष्कासित कर दिया जाता है और अफसरों को यहां पर जगह दे दी जाती है आश्चर्य तो यह है कि इस निष्कासन के जिम्मेदार राज्य सम्पत्ति अधिकारी को शासन क्यों अब तक उक्त पद पर रखे हुये है उनके प्रति विधायकों में काफी रोष और दुख है । मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वे इस ओर देखें । मंत्री जी ने जो इतना अच्छा बजट पेश किया है इस प्रदेश की तरक्की के लिये, तो यह प्रदेश

गंग की तरह आगे तभी बढ़ सकता है जब कि जो बाधक चीजें हैं तरक्की के रास्ते में उनको आप हटायें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये समय दिया । इस बजट में सड़क बनाने की जो योजना है

(माइक खराब होने पर)

श्री अधिष्ठाता––

आप कृपया दूसरे माइक पर आ जायें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने बतलाया कि हमारे सूबे में सड़क की जो योजना है उसके अनुसार एक लाख की जन संख्या पर 100 वर्ग किलोमीटर में जितनी सड़कें हैं वे अन्य प्रदेशों की तुलना में कम हैं । हमारे यहां प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कें कम क्यों हैं ? इस पर हमें विचार करना चाहिये । हरियाणा में 100 वर्ग किलोमीटर पर 40 किलोमीटर सड़क है । तमिलनाडु में 100 वर्ग किलोमीटर पर 64 किलोमीटर सड़क है । जब कि हमारे उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद में 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 11 किलोमीटर सड़क है । मेरा निवेदन है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक इस बात का हर जिलों में सर्वेक्षण कर लें और यह पता लगायें कि कहां–कहां पर सड़कों की जरूरत है और फिर प्राथमिकता के आधार पर आप उनको बनवायें और उनको मंजूरी दें ।

मान्यवर, सड़कों के अलावा हमारे सूबे में बहुत सी छोटी–छोटी नदियां और नाले हैं जिन पर पुल न होने के कारण देहात की जनता का आवागमन रुक जाता है । गांव के आदमी एक जगह से दूसरी जगह 6–6 महीने तक नहीं आ जा पाते हैं । पश्चिमी जिलों की बात तो मैं नहीं जानता, पर पूर्वी जिलों में तमाम ऐसी छोटी–छोटी नदियां हैं जहां पर पुलिया न होने के कारण देहात की जनता को बड़ी परेशानी होती है । बस्ती जिले में बाढ़ के कारण, इन नदियों और नालों में इतना पानी भर जाता है कि 6 माह तक एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है । मैं आपसे सड़क की मांग नहीं करता ऐसी नदियों और नालों पर पुलियों की मांग करता हूं । इस सम्बन्ध में एक सुझाव भी देना चाहता हूं । अगर आप इन पर पुल बनवाने में धन की कमी के कारण असमर्थ हैं तो आप प्राइवेट लोगों को जिस तरह से पहले लकड़ी के घाट आदि बनवाने का ठेका दे दिया जाता था, उसी तरह से इन पुलियों को बनवाने के लिये ठेका दे दें । उनसे आप, जो वसूली हो वह ले लिया करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[समय 4 बजे]

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय---]

तो इससे वह जो छोटे-छोटे नाले हैं, उन पर पुल बन जाने से एक गांव को दूसरे गांव तक जोड़ने में सुविधा मिलेगी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अफसर आपको किस तरह से गुमराह करते हैं, जो पुस्तिका मिली हुई है, उसका तेरहवां पेज आप देखें। कल रात को हमसे अध्यापक लोग मिले थे, उन्होंने बताया कि मेरे यहां के छात्रावास का जो धन आवंटित हुआ था वह क्या हुआ, आपकी प्रगति का पैमाना क्या है, किस पैमाने से आप देखते हैं कि प्रगति है, क्या जमीन एक्वायर कर ली गयी, क्या उसकी नींव खुद गयी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बस्ती जिला जो कि पिछड़ा हुआ है, रूरल आबादी का सबसे बड़ा जिला है, जहां पर लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, तो कम से कम उस कालेज को होस्टल तो दे दीजिए। मुझे भरोसा है कि माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे। मान्यवर, भ्रष्टाचार की बहुत सी बातें की गयीं, इधर के माननीय सदस्यों ने तथा उधर के माननीय सदस्यों ने इस विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा। मान्यवर, यह जो ठेकेदारी प्रथा है, जब आप टेण्डर की नोटिस देते हैं, तब आप खुद घोषित कर देते हैं कि इसमें 10 प्रतिशत कमीशन दिया जायगा। तो यह 10 प्रतिशत किसका रुपया है ? यह उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों का, उत्तर प्रदेश के निवासियों के द्वारा टैक्स का रुपया जो खजाने में जाता है, वह रुपया है। इंजीनियर को उसे दे देते हैं। भ्रष्टाचार को मान्यवर, आपको देखना है। यह जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इग्जीक्युटिव इंजीनियर जो हैं, इनके रहन-सहन को देखिये। इनके घर को देखिये। इससे आपको अन्दाजा लग सकता है कि ये कितने भ्रष्ट हैं। मैं सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस विभाग का जब तक भ्रष्टाचार माननीय मंत्री जी नहीं दूर करेंगे, तब तक वह इनके बजट का समर्थन न करें और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री राम कुमार भार्गव---

मान्यवर, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पहले पुराने बजट में जो एक हमारे जहांगीराबाद पुल के बनने की बात थी, उस पर इस समय कार्य हो रहा है। माननीय ओझा साहब बोल रहे थे कि अब इस विभाग से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है ऐसा नहीं बल्कि विश्वास अब जम रहा है। जिस जहांगीराबाद के पुल की बात मैं कह रहा हूं उस पुल पर आज से तीन साल पहले, उस वक्त के माननीय मुख्य मंत्री जी जा कर वहां पर पत्थर लगवाये थे जिसका

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब जाकर उसका असली जामा पहनाया गया है। वहां पर अब कार्य चालू हो गया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री और मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में बताऊंगा। मेरा एक क्षेत्र ऐसा है जहां के एक ब्लाक हेड क्वार्टर तक जाने के लिए शायद पक्की सड़क नहीं है मैं माननीय मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे स्थानों पर जहां पर सड़कों की आवश्यकता हो, वहां पर सड़क तथा पुल बनवाये। आज के इस पत्र में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जनता को कम से कम भूखों मरने से बचा लें। माननीय मन्त्री जी से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सड़कों और पूलों की जरूरत के साथ-साथ वहां के क्षेत्र की प्रगति भी उससे जुड़ी होती है।

तो मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जरूरत के हिसाब से सड़कों का बंटवारा करें। लखनऊ से सीतापुर होते हुए नेशनल हाईवे गया है दिल्ली तक। एक सड़क है कलकत्ता से पेशावर तक, उस सड़क के बारे में बता रहे थे कि एटा से सिकन्दराबाद के बीच कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जबकि वहां विदेश पर्यटक भी जाते हैं। उसकी मेन्टिनेन्स की जिम्मेदारी कानूनी और नैतिक तौर पर भी सरकार की होती है, इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस तरह की सड़कें हमारे देश के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी ये बनी नहीं हैं, लखनऊ-सीतापुर रोड पर काम चल रहा है। काम को और तेज चलायें वरना बरसात के आने के बाद यह अधूरा रह जायगा। निर्माण विभाग के द्वारा, एक बात कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में कई वर्ष पूर्व टिकरा मेडिकल हेल्थ सेन्टर और एक्स-रे प्लांट लगाने के लिये काम चालू कर दिया, इंजीनियर्स ने घपला किया, उसकी जांच सैट हो गयी। अभी तक जांच चल रही है। इस जांच से वहां के रहने वाले आदमी को तो नुकसान नहीं होना चाहिये। 6 साल हो गये जांच न होने की वजह से वह अधूरा पड़ा हुआ है, जब कि टिकरा मेडिकल हेल्थ सेन्टर और एक्स-रे प्लांट दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिथौली-बिसवां मार्ग है, 20 कि0 मी0 के टुकड़े में मुश्किल से एक फर्लांग रह गया है मैं इसके ऊपर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। एक मेरा सुझाव है कि हमारे यहां गांव में सड़क की जरूरत है, पुलिया की जरूरत है। हमें उतने खर्चे की जरूरत नहीं है, जितना नेशनल हाईवे पर होता है। हमारे यहां आप खड़ंजे की ही सड़क दे दीजिये, वह सस्ती भी बनेगी और हमारा काम भी चल जायगा। सड़कों का बंटवारा जरूरत के हिसाब से कीजिये, जहां पर आदमी भूखा मर रहा है, वहां पर इसकी जरूरत है। इसी के साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीराधे श्याम पटेल—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इस बात के लिये मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, सार्वजनिक निर्माण विभाग इस प्रदेश के जन-जन के विकास से सम्बन्ध रखता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री का ध्यान इलाहाबाद के सोरांव क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, इस क्षेत्र में सन् 1955 से सोरांव—फूलपुर मार्ग का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन आज तक 7-8 कि0 मी0 ऐसा रह गया, जिसमें अभी तक डामर नहीं लगा। यह मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कारखानों और दोनों तहसीलों को जोड़ता है क्षेत्र के उत्तरांचल में कोई भी आवागमन का मार्ग नहीं है जिससे वहां के अधिकतर लोगों को 6 महीने तक आवागमन से वंचित रहना पड़ता है। लोग अपने गांव से शहर तक, बाजार तक, मंडियों तक नहीं आ पाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मऊआयमा से धीनपुर, मऊआयमा से बहरिया और बहरिया से

[श्री राधे श्याम पटेल]

मुबारकपुर, इन मार्गों को अगर पक्का न बनवाये तो कम से कम पुलिया का निर्माण तो अवश्य करा दें जिससे लोग साइकिल से या पैदल आ कर मार्केट या शहर तक पहुंच सकें । इसके अलावा फाफामऊ से कमलानगर तक वाया पंड़िला मार्ग की ओर भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस मार्ग पर पंडिला में महीने में एक दिन पूर्णिमा का मेला लगता है । वर्ष में शिवरात्रि के दिन लाखों आदमी यहां एकत्रित होते हैं और तीसरे वर्ष मधुमास में लाखों की तादाद में लोग शिव दर्शन के लिये आते हैं लेकिन यह सड़क केवल 2 किलोमीटर तक बन पाई है, सिरे पर दो किलोमीटर रह गयी है और अन्त में 4 किलोमीटर रह गयी है । इस सड़क का निर्माण पूरा कराने की कृपा की जाय । इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बजट प्रस्तावों का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । समय बहुत कम है । यह विवाद 4 बजकर 40 मिनट तक चलेगा । ज्यादा लोग बोल सकें इसलिये समय को कम करके मैं 3 मिनट किये देता हूं ।

*श्री महेश चन्द--

माननीय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरा यह निवेदन है कि इस विभाग में कमीशन प्रथा को समाप्त करना अत्यन्त आवश्यक है । पहले मैं सुनता था कि जूनियर इंजीनियर ही कमीशन लेते थे लेकिन आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बड़े-बड़े अधिकारी इस कमीशन में लिप्त हो गये हैं । 50 प्रतिशत बजट को अधिकारी लोग खा जाते हैं । इसमें विशेष रूप से रोक लगाने की आवश्यकता है । बागपत के पुल के लिये मैं विशेष रूप से आभारी हूं । आपने अधिकारियों, देश विदेश के विद्वानों से सर्वेक्षण कराया । उस पुल के बनाने के विषय में जांच कराई गयी । जनता की भावनाओं को ध्यान में रख कर इसका निर्माण कराना अत्यन्त आवश्यक है । माननीय मन्त्री जी ने जो कार्यवाही की उसके लिये हमारा पूरा क्षेत्र कृतज्ञ है ।

दूसरे ठेकेदारी की जो प्रथा है इस पर रोक लगाई जाय जिससे गरीबों तथा तकनीकी विद्यार्थियों को काम मिल सके । जब तक कमीशन तथा ठेकेदारी प्रथा पर रोक नहीं लगाई जायगी तब तक विभाग को ठीक नहीं किया जा सकता । इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । मेरठ बहुत बड़ा जिला है । मेरठ बाई पास के लिये 1974 में एक स्कीम पास हुई थी और 1982 तक लक्ष्य पूरा करने के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया था । 18 किलोमीटर सड़कें बनाने के लिये यह समय अनुचित है । इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय । दिल्ली से आने वाला भारी ट्रैफिक मेरठ से गुजरता है, इससे शहर के लोगों को दिक्कत होती है लिहाजा मेरठ बाई पास को जल्दी से जल्दी निर्मित कराया जाय । मेरे क्षेत्र की नहर की पटरी को भी पक्का किया जाय । सारे क्षेत्र की सड़क बन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गयी है लेकिन मेरे क्षेत्र में जो खराब भाग है उसमें कोई सड़क नहीं बनी है। उसमें पक्की कोई सड़क नहीं बनी है। इस नहर की पटरी के लिये इदरीसपुर माइनर की पटरी को पक्का किया जाना आवश्यक है। इससे 5 हजार की आबादी वाले अनेक गांव जुड़ेंगे और इन गांवों के किसानों को गन्ना ले जाने में सुविधा होगी। वहां की जमीन उपजाऊ और अच्छी है लेकिन उस क्षेत्र में ऐसे लोग रहे जिन्होंने इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया, जिससे वहां सड़क नहीं मिल पायी है। यहां गन्ना किसान इसलिये नहीं बो रहे हैं क्योंकि गन्ना मिलों को नहीं जा पाता है। बड़क, सिकरा, इदरीसपुर, वाम, दोझा, बुढ़ेरा, घनीरा, हिसावदा, हिलबाड़ी और इसी प्रकार से अनेक गांव हैं, जिनके नाम मुझे याद हैं, वह इदरीसपुर की पटरी को पक्का किये जाने से जुड़ जायेंगे जिससे किसानों को लाभ मिलेगा।

मान्यवर, खाद्यान्न योजना में सड़कों के लिये भूमि एक्वायर करने का कोई प्राविधान नहीं है। हमारे क्षेत्र में पश्चिमी जिलों में कोई भूमि देने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये सड़कों का काम अधूरा पड़ा है और खड़ंज नहीं है क्योंकि जमीन का एक्वीजीशन नहीं हुआ है, इसलिये इस एक्वीजीशन का काम पूरा किया जाना चाहिये और इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, किसनपुर, बराल एवं दोघट को जोड़ने के लिये कृष्णा नदी पर गांगनोली में पुल बनाने की आवश्यकता है। मंत्री जी इसका सर्वेक्षण जल्दी कराकर इस काम को पूरा करायें। सड़क दोनों ओर पूरी हो चुकी है लेकिन पुल अभी तक नहीं बना है, इसलिये इस पर पुल बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मोती लालवेहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के घर में ही मंत्री जी पर जबरदस्त आक्रमण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

उनके शासन की बात बतायें, घर की बात नहीं।

श्री मोती लाल वेहलवी--

मान्यवर, मेरी बात आप समझ गये होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मान्यवर, पता नही किस समय परिवर्तन हो जाय। इसलिये इनकी हालत पर तरस आ रहा है। मैं चाहूंगा कि इनके जरिये से इनके कार्यकाल में एक अच्छा काम हो जाय और काम यह है कि दारुलसफा से विधान सभा के आने में, मैं समझता हूं कि सभी विधायक अनुभव करते होंगे, हर समय ऐसी संभावना बनी रहती है कि पता नहीं कोई न कोई किस समय दुर्घटना हो जाय। मान्यवर, जनता पार्टी के शासन काल में यह बात सदन में आयी थी और तत्कालीन मंत्री जी ने इसके औचित्य को स्वीकार किया था और हम आशा करते थे कि व्यक्ति बदल जाने के बाद मान्यतायें और किसी बात का महत्व नहीं कम होता है, व्यक्ति तो बदल

[श्री मोती लाल देहलवी]

जाते हैं परन्तु पद वही रहता है, हमने उम्मीद किया था कि शायद अब इस शासन में एक ओवर ब्रिज बन जायेगा और यह दुर्घटना की संभावना सदैव-सदैव के लिये दूर हो जायेगी । इसी ख्याल से हमने पिछलीबार एक प्रश्न किया था, मंत्री जी ने तत्काल जवाब दे दिया कि विचाराधीन नहीं है । मैं यह चाहूंगा कि और सभी विधायक इसको चाहते हैं । यह बहुत अच्छी बात होगी आपके कार्य-काल में यदि यह अच्छा कार्य हो जाय ।

मान्यवर, रह गयी भ्रष्टाचार की बात तो वह उसी प्रकार हो गया है जैसे दूध में छुपा हुआ मक्खन ।

अभी शासक दल के विधायक जी कह रहे थे कि कमीशन बाजी होती है । मान्यवर, हम सभी लोगों को अच्छी तरह से जानकारी है कि यह कमीशन नीचे से लेकर बहुत ऊंचे तक जाने लगा है । यही वजह है कि कोई सड़क बने तो उसकी हालत तीन महीने बाद देख लीजिये आपको पता चल जायगा कि वह कैसे बनायी गयी है । एक किलोमीटर सड़क बनाने पर एक लाख रुपये का खर्च आता है, लेकिन मान्यवर, जितनी भी सड़कें बनी हैं कोई भी सड़क 3 महीने से ज्यादा अच्छी हालत में नहीं रहती है, वह फिर ज्यों की त्यों हो जाती है । कभी-कभी कोई अच्छा आदमी इस विभाग में मिल जाता है तो बता देता है कि हम क्या कर रहे हैं । अगर हम कमीशन नहीं देंगे तो हमसे यह काम छीन लिया जायगा । दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब तक विधायक रहते हैं तब तक उन्हें मालूम रहता है कि भ्रष्टाचार कहां है और उसका इलाज भी सोचते हैं लेकिन मंत्री हो जाने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह आ जाती है कि उन्हें इसका पता नहीं रहता है । विधायकों को कहना पड़ता है ।

मेरे क्षेत्र में मान्यवर, जो कुछ काम हो रहा था सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिये से वह सारा का सारा काम बन्द पड़ा है । ऐसा लगता है जैसे डबल-डबल पैसा ले लिया जाता है । मान्यवर, भ्रष्टाचार की एक नयी किस्म और खुल गयी है, इंजीनियर लोग अपने रिश्तेदारों को ठेका दे देते हैं, दूसरे नामों से ठेका दे देते हैं और पता नहीं चलता है । तो मान्यवर, तमाम के तमाम काम रुके हुये हैं, कल मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था, मकनपुर में ईसन नदी पर पुल बनाने के लिये, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं । वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, हिन्दू मुस्लिम एकता की प्रतीक दरगाह शरीफ वहां पर है । हिन्दू और मुस्लिम समान रूप से उस तीर्थ स्थान को मानते हैं । उत्तर प्रदेश के जितने विख्यात और बड़े मेले हैं उनमें से एक मेला मकनपुर का है जो एक मास चलता है । वहां पर टेम्परेरी पुल बनाकर लूट होती है । आपके विभाग की बदनामी हो रही है पुल बनाने में लूट होती है और पी० डब्लू० डी० के लोगों को उसमें हिस्सा मिलता है । पुल न बनने की वजह से न जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं । ऐसे समय में जबकि आपकी सरकार अपराधों को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गयी है, फेल हो गयी है, ऐसे समय में सड़कों और पुलों का विशेष महत्व हो गया है । मैं इतनी बात कहकर पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आपकी बदनामी न हो, हम लोगों को कहने का मौका न दें कि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है । मैं आशा करूंगा कि इन सुझावों की तरफ आपका ध्यान जायगा ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मेरा क्षेत्र चंदौली, यह उत्तर प्रदेश के बार्डर पर आखिरी क्षेत्र है। यह कर्मनाशा नदी और गंगा नदी से घिरा हुआ है। बरसात के दिनों में इसकी स्थिति बाढ़ जैसी हो जाती है। यह तराई का इलाका जैसा है, बरसात के दिनों में पानी चारों तरफ भर जाता है तो एक गांव से दूसरे गांव का सम्बन्ध टूट जाता है। चार महीने तक चंदौली क्षेत्र के लोगों को बहुत विकट परेशानी होती है। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुये जो हमारे यहां गांव हैं उनको मुख्य सड़क से मिलाने की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं एक बहुत खास समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में सैय्यद राजा से जमानियां तक जाने वाली एक सड़क है। सैय्यद राजा-जमानिया रोड पर तलासपुर से ककरैत तक सड़क का निर्माण और कर्मनासा नदी पर जो ककरैत के पास है, उस पर पुल बना दिया जाए। इससे मान्यवर उत्तर प्रदेश और बिहार को आवागमन का साधन सुलभ होगा और दोनों प्रदेश आपस में इस सड़क और पुल द्वारा मिल जायेंगे और दूसरे सैय्यद राजा से कोनिया मार्ग पर कोनिया के पास कर्मनाशा नदी पर पुल बना दिया जाय जो धरौली को मिलायेगा। करैत और कोनिया के बीच लगभग 50 किलो मीटर की दूरी है। यह दोनों पुल अगर बन जाएं तो उत्तर प्रदेश के बनारस का और बिहार का सीधा सम्बन्ध हो जायेगा। तीसरा सुझाव मान्यवर यह है कि जो चंदौली से चकिया तक मार्ग पर एक कांटा साईफन बना हुआ है जो चन्द्रप्रभा नदी पर है। उस पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। इससे चंदौली और चकिया का आवागमन बहुत खराब हो गया है, क्योंकि उस पर ट्रैफिक बहुत मात्रा में रहता है बड़ा से बड़ी गाड़ी से लेकर साईकिल तक उस पर चलती है और पैदल भी लोग उस पर चलते हैं इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है उसको चौड़ा और ऊंचा कर दिया जाए। जब बरसात होती है, तो उसके ऊपर से पानी बहने लगता है और पुल से आवागमन बिलकुल बन्द हो जाता है और जब खुलता है तो उस पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि उस पुल को जितना जल्दी हो सके उसको चौड़ा और ऊंचा किया जाए। इसके अतिरिक्त एक बात और आपके सामने रखनी है कि बबुरी से धरौली तक के मार्ग को इस साल अवश्य निर्माण योजना में ले लिया जाए। अगर इसी प्रकार एक-एक करके सड़क निर्माण का काम ले लिया जाए तो शीघ्र ही सारा काम वहां का हो जायेगा।

दूसरे मान्यवर, चंदौली से धरौली तक के मार्ग का पुनर्निर्माण कर दिया जाए, क्योंकि वह सड़क बिलकुल टूट गयी है, जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । अपने क्षेत्र की कुछ बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूं । एक सड़क गौरी बाजार के अन्दर हेलिमपुर से महुआडीह है जो काफी पुरानी सड़क है, जो काफी जीर्ण-शीर्ण हालत में है, इसके निर्माण के लिए कई बार कहा गया लेकिन अभी तक नहीं बन सकी । दूसरे हाटा से गौरी बाजार-रुद्रपुर एक सड़क है । यह भी बहुत लम्बी और पुरानी सड़क है । गौरी बाजार के हमारे डा० सोताराम जी इस क्षेत्र से 20 साल तक मंत्री के पद पर रहे लेकिन उनके समय से अब तक एक इंच सड़क नहीं बनी । सन् 1976 में मंत्रि-मण्डल के निर्णय के अनुसार यह सड़क स्वीकृत हुयी थी, लेकिन अभी तक नहीं बन सकी । बजट है, पैसा है लेकिन तारकोल नहीं है । हैतिमपुर रोड पर एक रोलर चल रहा है जो एक माह से बिगड़ा पड़ा हुआ है, उसको माननीय, ठीक करवाया जाए ताकि वहां काम शीघ्रता से पूरा किया जा सके । दूसरे माननीय, देवरिया में कुरना नाले पर एक पुल 5-6 साल पहले बना था, जिसका एक हिस्सा टूट गया है । हालांकि उस पर लोहे की चादर लगाकर काम चलाया जा रहा है, लेकिन उस पर आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते है क्योंकि वह पुल इतना सकरा है । इसके बनवाने की व्यवस्था की जाए । लेकिन अभी तक तो इस पर कोई व्यवस्था की नहीं गयी तो बरसात के दिनों में कैसा क्या होगा । इसके साथ ही एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगा कि पिछली जनवरी की 5-6 तारीख को देवरिया के अधिशासी अभियंता लखनऊ आये थे । कुछ सड़कें स्वीकृत हुई 5 जनवरी, 1981 को, लेकिन आवश्यकता आज उन सड़कों की है जिनको स्वीकृत नहीं किया न गया । मैं जानना चाहता हूं कि 1980-81 में वे सड़कें क्या स्वीकृत हो जायेंगी ।

इसी के साथ ही साथ उसी कुड़व नाले का जो पुल है वह इतना संकरा है मैं चाहूंगा कि उस पुल को चौड़ा कराने की व्यवस्था की जाय ताकि गांव की सड़कें टूटने से बच जायं और उन सड़कों द्वारा गांव आपस में जुड़े रहें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कमला प्रसाद सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

माननीय, मैंने आज देखा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो पुस्तिका मिली है उसमें जौनपुर जनपद की बड़ी उपेक्षा की गयी है । जौनपुर जनपद के लिये सड़कों का कोई बजट नहीं है । एक पुल पर बाई पास का जिक्र उसमें किया गया है जबकि माननीय, आपको मालूम है कि हमारे जनपद की सारी सड़कें इस समय भीषण बाढ़ के कारण बरबाद हो चुकी हैं । नई सड़कों का उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है । सड़कें खराब हैं । एक हमारे जनपद में पिलखिछा में गोमती नदी पर एक ब्रिज स्वीकृत हुआ था बहुत दिनों से, लेकिन उसका भी कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है । पूरे प्रदेश में प्रगति समीक्षा की एक बैठक हुआ करती थी लेकिन इन दिनों वह बैठक भी कभी नहीं होती है जिससे हम सभी विधायकों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है कि कहां कौन सी सड़कें बनायी जा रही हैं, कहां क्या काम हो रहा है । यदि कोई बात कही जाती है तो एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या 28--अनावासिक भवन, अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण (आवास भवन), अनुदान संख्या 70--संचार साधन, अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवन,, अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 75--अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 76--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 106--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

ही काबहाना उनकी जबान पर रखा रहता है कि तारकोल नहीं है, सामान नहीं है। जो काम स्वीकृत होता है, उसे नही करते हैं जहां चाहते हैं अपने दिल और दिमाग से उनको वहीं काम करना है, तो जरूर कर लेते हैं। इस तरह से सार्वजनिक हित की उपेक्षा करते हैं। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि तारकोल की कमी को कह कर बहुत बहाने किये जाते हैं, यह नहीं होना चाहिये। हमारे यहां की सारी सड़कें चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों यह सारी टूटने की हालत में हैं, उनकी गिट्टियां बिखरी पड़ी हुई हैं, उनकी मरम्मत होनी चाहिये। पिलविछा में गोमती नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति माननीय मंत्री जी को देनी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जौनपुर जनपद की ओर माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। चूंकि समय बहुत कम है इसलिये मैं अपने क्षेत्र मुबारकपुर की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारा मुबारकपुर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और वहां की समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, एक सड़क है जो कि हमारी पैदाइश के पहले की बनी हुई है। आजमगढ़ से ग्राम कनैला, जो महान पण्डित राहुल सांकृत्यायन का जन्म स्थान है, जो दुनियां के माने जाने विद्वानों में एक थे उस गांव को जाने वाली सड़क को बहुत प्रयास करने के बाद पक्का करने का काम शुरू किया गया है लेकिन केवल दो किलोमीटर सड़क बन जाने के बाद पक्का करने का काम ठप्प कर दिया गया उसे किसी भी दशा में पूरा कराया जावे ताकि एक ऐतिहासिक पुरुष के गांव कनैला तक जाया जा सके। चक्रपानपुर से बडहलगंज तक जो कस्बा उद्योगियों का है वहां पर सड़क होना बहुत ही जरूरी है उस पर मिट्टी का काम हो चुका है उस सड़क को पक्की कराने के लिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा।

तीसरी बात मेरी यह है कि मुबारकपुर कस्बा वह भी अपनी एक विशेष महमियत रखता है बुनकरों का केन्द्र है वहां से बिन्दमठिया की सड़क को पक्का कराने की मैं मांग करता हूं तथा मुबारकपुर से ग्राम नईठी की सड़क को भी पक्का किया जावे इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप का बड़ा अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, विकासशील युग में सड़कों का विस्तार और उस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर बसादुर मिश्र]

चलने वाला यातायात किसी क्षेत्र के विकास और समृद्धि की निशानी है । यदि इस दृष्टि से देखा जाये तो बुन्देलखण्ड क्षेत्र बहुत पीछे है । वहां सड़कों का नितान्त अभाव है और चलने वाले यातायात का भी अभाव परिलक्षित होता है । बुन्देलखंड की भौगोलिक स्थिति पर यदि ध्यान दिया जाये तो वहां पर 4 प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलते हैं । एक तो उपजाऊं जमीन है, दूसरा वन प्रदेश, तीसरा खनिज पदार्थों से भरा हुआ क्षेत्र और चौथा है जो ऊबड़-खाबड़ है जहां डकैतों का निवास स्थान है । इन चारों क्षेत्रों को यदि देखा जाये तो इनमें सड़कों का नितान्त अभाव है । मैं हमीरपुर जिले से आता हूं वहां सड़कों की कमी है । बताया जाता है कि दो हजार मीट्रिक टन तारकोल का मांग की गई थी । अब दो साल के बाद वहां 450 मीट्रिक टन तारकोल स्वीकृत हुआ जो शायद प्राप्त होगा । वह बहुत कम है । मैं चाहूंगा कि वहां तारकोल कुछ ज्यादा देने की कृपा की जाय । बेतवा नदी पर जो पुल बना है वहां पर जो एप्रोचरोड है उस पर दुर्घटनायें होते-होते बच जाती हैं । मैं चाहता हूं कि उसको चौड़ा किया जाये । एक उच्चस्तरीय समिति जो राज्य सरकार की गयी थी उसने भी संस्तुति की थी । 68-70 कि० मी० पर मौदहा बंसवारी मार्ग, मौदहा बिवार मार्ग है । यहां का पुल नीचे से बह गया है । इसकी कोई निशानी नहीं मिलती कि यह कभी बना था । मैं मांग करता हूं कि उस पुल को बनवाया जाये । कानपुर सागर मार्ग हमीरपुर जाता है । मौदहा होते हुए बम्बई तक जाता है । काली कपास की मिट्टी के कारण दुर्घटनायें होती हैं । ट्रक, बसें पलट जाती हैं । मैं मांग करता हूं कि वहां चरखारी, हमीरपुर मार्ग, मौदहा बिंसवारी मार्ग को बनवाने की कृपा की जाय । अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, हुकुम सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे क्षेत्र में कुछ समस्यायें हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से चाहूंगा कि उन पर विचार कर ध्यान दें । फतेहपुर-बाराबंकी जाने वाली सड़क है पर इसरौली सेरौना-सीवा की सड़क है जो जनता सरकार ने पटवायी थी, मैं चाहता हूं कि इसको पक्का करवायें । दूसरी सड़क कुतलूपुर से मझगवां शरीफ तक है । वहां पर मकदूम शेख सारंग साहब की मजार है । प्रतिवर्ष मेला लगता है । इस पर खड़ंजा लगा है । मेरा आग्रह है कि इसको भी पक्का करवायें और उसी सड़क पर बहुवानाला पर पुल का निर्माण होना चाहिये । मैं चाहत हूं कि इसको भी बनवायें । एक बाबागंज से टिकरीघाट की सड़क अधूरी है और मिट्टी का काम हो चुका है । मैं चाहूंगा कि उसको पक्का करवायें । जब तक इन सड़कों का निर्माण नहीं करायेंगे तब तक प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता । गावों का विकास नहीं हो सकता । इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्यगण, मैं आपका बड़ा अभारी हूं कि कई बैठक-उठक के बाद आपने मुझे बोलन का अवसर दिया जिसके लिय मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं । श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का जो हमारे निर्माण मन्त्री ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रखा है उसका पूर्ण और हृदय से समर्थन करता हूं। मुझे कुछ सुझाव देना है --

सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माकश्चिद् दुख भाग भवेत् ।

हमारे जितने भाई बैठे हुये हैं वे सब लोग इसी सूत्र के आधार पर जनसेवा का काम करते हैं चाहे इधर के हों या उधर के हों। मान्यवर, मैं अपने मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कृपा करके उसे नोट करके अगर कार्यान्वयन करें तो बड़ी कृपा होगी। मैं आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र से आता हूं। आजमगढ़ ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहां पर बड़ी लाइन नहीं है, एक छोटी लाइन है। वहां पर केवल सड़क से ही यातायात होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि आजमगढ़ के लिये कुछ और सड़क दें क्योंकि वहां जो भी यातायात होगा, सड़क से ही होगा। वहां पर रेल से कुछ होने वाला नहीं है। श्रीमन् ऐसा है क्या बताऊं मैं तो सोचता-विचारता रहता हूं, न शिकायत करना आवे, न धमकी देना आवे। अपनी मानवता के आधार पर हर जगह घाटे में ही रहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक जीना पारा जगह है वह मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गांव है, वहां नदी के किनारे एक इन्टरमीडिएट कालेज है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं जिससे डूबने का भी डर रहता है, उस पर मैंने पुल के लिए कई बार प्रस्ताव किया। हमारे आजमगढ़ में मीटिंग होती है पी० डब्लू० डी० की, हम लोग उसमें जाते हैं उसमें भी मैंने यह प्रस्ताव रखा था और मन्त्री जी से भी कह रहा हूं कि अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो वहां की जनता का बड़ा कल्याण होगा। दूसरी बात है सड़क के बारे में रानीकिपरा, निजामाबाद और दुर्वासा ऋषि आदि सड़कें ऐसी हैं जिनको ठीक करने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि तारकोल की बड़ी कमी है तो कम से कम इतना तो उस क्षेत्र के लिए कर दीजिये कि कुछ तारकोल की व्यवस्था कर दी जाय जिससे वह सड़क चालू हो जाय और दुर्वासा ऋषि जो एक दर्शनीय स्थल भी है, उसकी सड़क इतनी खराब है कि वहां पहुंचना मुश्किल होता है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

आपने जो मुझको समय दिया श्रीमन् तो मैं घबड़ा गया, इसको या तो दो करें या चार करें क्योंकि तीन की संख्या जरा खतरनाक होती है। श्रीमन् एक मिनट और दे दें ताकि सभी विघ्न दूर हो जायं, तो श्रीमन् मुझे यह कहना है कि मन्त्री जी कृपा करके आप इन सड़कों को बनवा दें। यह बहुत

*[श्री चन्द्र बली ब्रह्मचारी]

बड़ा कार्य नहीं है। 36 लाख आदमी वहां पर रहता है और सड़क से ही गुजरना है। वहां न कोई मिल है, न कोई कारखाना है। श्रीमन् मैं आपको धन्यवाद देकर और पूरी सभा को धन्यवाद देकर के अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए मुझे समर्थन दिया और सुझाव भी दिये। मान्यवर, दोनों पक्षों के माननीय सदस्य बोले और कम से कम एक बात के ऊपर तो सभी माननीय सदस्य सहमत और वह यह थी कि विभाग ने, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भ्रष्टाचार में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सारे जितने विभाग हैं सभी को इसने भ्रष्टाचार में पीछे छोड़ दिया है। यह भावना सत्ता पक्ष के सदस्यों की भी थी और यही भावना विरोधी पक्ष के सदस्यों की थी। माननीय मन्त्री जी इस भावनाओं को देखते हुये इस दिशा में सुधार करेंगे और मैं अपेक्षा करूंगा माननीय सदस्यों से कि जब सभी इस मत के हैं कि यह विभाग भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है तो कम से कम वे वोट देते वक्त इस पर बात का जरूर ध्यान रखेंगे।

एक बात माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कही थी कि इतना सक्षम इनका विभाग हो गया है कि दिसम्बर के महीने में ही जितना पैसा मिला था सब इन्होंने लगा दिया। मैं चुनौती देता हूं आप अपने आंकड़ें देख लें 50 लाख रुपया आप ने शोध कार्य के लिए नियत किया था और वह रुपया आज तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। उसमें से कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। कारण साफ है। कारण यह है कि आप के विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं

(व्यवधान)

मान्यवर, रसद मन्त्री जी दूसरा सदन चला रहे हैं।

मैं अपेक्षा करता हूं कि जब माननीय मन्त्री जी सदन मे कोई बयान दें कम से कम इस बात को जरूर देख लिया करें कि उनके नाक के नीचे ही, यहां हैडक्वार्टर पर ही पचास लाख रुपये का अनुदान, जो उन्होंने सदन से स्वीकृत कराया, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है।

दो तीन बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। विशेष तौर से ग्रामीण अंचलों में सड़क बनाने का प्रस्ताव आप करते हैं। जिन अंचलों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है कम से कम वहां इतना आप करें कि चकबन्दी अधिकारी से आपके अभियन्ता पहले ही सम्पर्क स्थापित कर, जो प्रस्तावित मार्ग है, उसके लिए जमीन छोड़वा दें। किसान की जमीन आप ले लेते हैं तो उसका परिवार ही बरबाद हो जायगा।

विशेष तौर से इस विभाग का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। कोई निर्णय लेने के बाद जब कार्यान्वयन की बात आती है तो उसमें इतना समय गुजर जाता है कि जिन आंकड़ों के आधार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर निर्णय लेते हैं वे आंकड़े बिल्कुल इरेलिवेन्ट हो जाते हैं, कोई उनका औचित्य नहीं रह जाता उस समय तक जब कि उनका इमप्लीमेंटेशन होना हो ।

मान्यवर, अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की सड़कों की बात कही मन्त्री जी से खास तौर से खाद्यान्न में जो सड़कें बनाई गई । कम से कम उनकी तरफ ध्यान दिया जाय । करोड़ों रुपया प्रदेश का और केन्द्र सरकार का उन सड़कों में लगा हुआ है । कहीं पर खड़न्जा नहीं है, अर्थ वर्क का काम जो किया हुआ है वह बह जायगा और इस प्रकार करोडों रुपये मिट्टी में बह जायेंगे । इस तरफ ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है ।

कुछ सड़कें हमारे जनपद में बनाई जा रही हैं विशेष तौर से थानी भवन से ऊन मार्ग बनाया जा रहा है । क्योंकि वहां चकबन्दी चल रही है बजाय इसके कि आप जमीन एक्वायर करें आप अपने अभियन्ताओं को यह निर्देश दे दें कि चकबन्दी चल रही है जो प्रस्ताव बनायें चकबन्दी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करने के बाद बनायें । हमारे क्षेत्र कैराना, जो तहसील हेडक्वार्टर है, से झनझना एक बहुत पुरानी सड़क है । उस पर खडन्जा नहीं है । उसको पक्का करने की प्रक्रिया चलाई जाय ।

इसी प्रकार प्रस्ताव आया है मुजफ्फरनगर में बाई पास बनाने का । 25 किलोमीटर बाई पास बनाने का कई वर्षों से आश्वासन होता आ रहा है लेकिन आज तक उसके लिये जमीन एक्वायर नहीं की गई । इस प्रकार के आश्वासनों पर हम कब तक टिके रहेंगे मेरी समझ में नहीं आता । मैं पुनः माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जितनी कमियां उनके सामने आई विशेष तौर से हमारे साथी मोती लाल जी ने ध्यान दिलाया शायद आपने उनको गम्भीरता से नहीं लिया । आप गौर करें । जिस समय पांच बजे हम जाते हैं या 11 बजे जब सदन चलता है उस समय मेन गेट पर दाखलसफा से आते वक्त ऐसी हालत हो जाती है कि शायद कोई दिन ऐसा जाता होगा जब वहां पर 10-10 मिनट तक विधायकों को खड़ा होना पड़ता है, उनको दिक्कत होती है । हो सकता है कभी आपको किसी के प्रति यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़े । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे यहां पर एक ओवर हेड ब्रिज बनवा दें । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करें ।

श्री जगदीश प्रसाद--

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव और अपने विचार व्यक्त किये हैं उनके लिये मैं उनका बहुत ही आभारी हूं और जो भी हमारे माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में, पुलों के निर्माण के बारे में, पुलों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों के बारे में बातें कहीं हैं और वास्तव में जो गत वर्ष बरसात की वजह से नुकसान हुआ है उस पर अफर

[श्री जगदीश प्रसाद--]

विस्तार करके अधिक से अधिक उस पर कार्यवाही करने की कोशिश की जायेगी और उनको पूरा किया जायेगा । मान्यवर, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने हरियाणा प्रदेश के बारे में बड़ी चर्चा की और कहा कि हरियाणा में जो सड़कें बनी हैं उनकी तुलना में हमारा प्रदेश पिछड़ा है, हमारे यहां सड़कों की दुर्दशा है । मान्यवर, आप भारत के मानचित्र को उठाकर देखें तो पायेंगे कि हमारा प्रदेश देश के केन्द्रीय स्थान पर पड़ता है । दिल्ली से आप चलें या कलकत्ता से राजस्थान या काश्मीर से केरल चले जायं, हमारा प्रदेश ऐसा है जहां से अधिक से अधिक ट्रेफिक यहां से होकर जाता है । वे ही सड़कें हैं जिन पर 5/7 टन के बोझ के लायक ट्रेफिक चलता था आज उसी पर 15 और 20 टन बोझ जा रहा है और उसे और भी अधिक गड़ियां चलाने की व्यवस्था हो रही है । यह एक गम्भीर समस्या है, मैं इसे मानता हूं । इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए । पुरानी सड़कों का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, चौड़ा करने के लिये और उनको मजबूत बनाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । इस पर हम अवश्य विचार करेंगे ।

भ्रष्टाचार के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने काफी इशारा किया और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया और कहा कि बराबर यह बातें हमारे सामने आती रहती हैं, समस्यायें आती रहती हैं और उनकी जांच भी होती रहती है । जांच में काफी विलम्ब होता है और उसके कारण शीघ्रातिशीघ्र और जल्दी कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है । इसलिये सरकार ने एक पुलिस सेल की व्यवस्था की है जिसके द्वारा हमारे यदि कोई भी शिकायत आयेगी कोई भ्रष्टाचार की बात हमारे सामने आयेगी तो उसको रिपोर्ट दर्ज कराकर उसकी टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा जांच करवाई जायेगी और उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जायेगी जिससे कि उसके निस्तारण में और कार्यान्वयन में हमको आसानी भी पड़ेगी । ऐसे भी कई मामले हैं जो 10-10 और 15-15 वर्षों से पड़े हुये हैं और उनका अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है । इस पुलिस सेल के द्वारा जो हमने तय किया है उसमें शीघ्रता से इस दिशा में कार्यवाही होगी ।

कुछ बातें हमारे माननीय सदस्यों ने ऐसी कहीं जो कि या तो गलतफहमी की वजह से कही होंगी जानकारी न होने की वजह से कहीं हों । मैं कोई शिकायतन यह नहीं कहता लेकिन स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि विधान भवन के 44 ट्यूब लाइट के कवर बदलवाने की बात कही गई है उसमें ऐसा है कि ये ट्यूबलाइट के कवर बहुत पुराने हो गये थे और उसके कारण वे पीले पड़ गये थे और उनको बदलने की बात थी और उसका आगणन किया गया और 3,180 रुपया जो कि स्वीकृति के लिए विचाराधीन है । अभी तक उसमें केवल 12 कवर की व्यवस्था की गयी है जिस पर 780 रुपया खर्च हुआ है और जो यह बताया गया कि 3,180 रुपया खर्च किया गया है वह असत्य है ।

दूसरी बात स्विच बोर्ड बदलने के बारे में कही गयी । इसके बारे में भी निवेदन करूंगा कि इसमें आगणन के मुकाबले में 19,400 रुपया खर्च किया गया है 60 हजार रुपया जैसा बताया गया है वह सही नहीं है । विधान भवन में 234 कूलरों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा तो वह कूलर अभी भी विद्यमान हैं कहीं गायब नहीं हुए हैं, समय पर आप उन्हें फिर देखेंगे ।

सेतु निगम के बारे में कुछ बातें कही गयी कि वह ब्लैक लिस्ट हो गया है । तो मैं निवेदन करूंगा कि नैपाल में करीब 20 पुलों का निर्माण किया है

संख्या 28--अनावासिक भवन, अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण (आवास भवन), अनुदान संख्या 70--संचार साधन, अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 75--अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 76--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 106--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

और 1976 में इस काम को पूरा भी कर दिया था। यह बात बिल्कुल गलत है कि उसने बगैर काम किये वहां कोई काम छोड़ दिया और चले आये। हमें वहां और भी काम मिला है करीब 33 लाख का। अगर यह निगम ब्लैक लिस्ट किया गया होता तो यह काम मिलने की गुंजायश नहीं थी। इसलिए यह जो सूचना मिली है यह गलत है।

श्रीमन्, मैक्सफोल्ड के बारे में कहा कि एल0 एस0 जी0 के ठेकेदार हैं और उसे वह बेच देते हैं। ऐसी बात नहीं है मैक्सफोल्ड की जितनी सप्लाई होती है नगरमहापालिका को वह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही होती है। हम उनको बहुत एहतियात से सप्लाई कर रहे हैं और हम सारे प्रिकाशनरी कदम उठा रहे हैं जिससे उसमें कोई गड़बड़ न हो। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण मन्त्री जी से चाहता हूं कि इंडो नेपाल ज्वाइंट वेंचर ने जो पुल बनाये हैं वह कितनी लागत के हैं और ब्रिज कारपोरेशन ने कितना पूरा किया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री ऊदल--

एक मिनट सुन लें, श्रीमन्।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें।

श्री ऊदल--

ब्रिज कारपोरेशन ने वरुणा नदी पर पुल अधूरा ही बना कर छोड़ दिया।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर)

आप खड़े हो गये हैं तो मुझे बैठना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,83,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(समय 5 बजे) ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,21,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचर साधन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचर साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,16,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

संख्या 28--अनावासिक भवन, अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण (आवास भवन), अनुदान संख्या 70--संचार साधन, अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 75--अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या 76--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 106--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होनें वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,16,46,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,84,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,06,44,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,75,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 106--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 106--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि को पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,23,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज कुल 3 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक स्वीकृत हुई जो श्री नन्द किशोर सिंह एवं श्री हरिवंश सहाय की गत 22

मार्च, 1981 को सुल्तानपुर जिले के गौरीगंज थाने के अनापुर गांव के निकट बिजली के टूटे तार से एक तीर्थ यात्री बस के टकरा जाने के फलस्वरूप 3 यात्रियों के घटनास्थल पर मरने एवं 20 यात्रियों के बुरी तरह जख्मी होने के सम्बन्ध में है । शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
25 मार्च, 1981 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश

अनुवाद पटल

प्रदर्श प्रति

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 909 पर)

तालिका

पुल का नाम	31-12-80 तक भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3
वर्ष 1978-79		
जिला चमोली--		
1--बामनी के पास अलकनन्दा नदी पर झूला पुल	3.5	10/83
2--मेठाना के पास अलकनन्दा नदी पर झूला पुल	..	3/83
3--सेरा के पास मन्दाकिनी पर झूला पुल	95	3/81
जिला पौड़ी--		
1--नयार नदी पर सरौंड़ा छोटाडांग पर झूला पुल	22	3/82
2--धनगढ़ गधेरे पर गढ़कोट के पास झूला पुल	18	3/82
3--कोटी गांव में पेठाणी से 2 मील ऊपर पश्चिम नयार नदी पर पैदल पुल	76	3/81
4--कण्डारस्यूं में कोठला के समीप बलगढ़ नदी पर	75	3/81
5--चैलूसैंग में बलगढ़ नदी पर	95	3/81
6--ग्राम ऐता में खो नदी पर झूला पुल	8	6/83
7--गाड़ीघाटफ पर खो नदी पर झूला पुल	..	6/83
वर्ष 1979-80		
जिला चमोली--		
1--हरमनी के पास पिण्डर नदी पर झूला पुल	..	3/83
2--निगोल नदी पर नेलगांव के पास झूला पुल	10	3/83
3--कोठगी के पास अलकनन्दा नदी पर झूला पुल	..	12/82
4--लाटूगैर के पास रामगंगा नदी पर झूला पुल	5	3/83

1	2	3
5—भटवाड़ी से मन्दाकिनी नदी पर झूला पुल	..	1983
6—रेलगांव में मन्दाकिनी नदी पर झूला पुल	..	1983
जिला पौड़ी—		
1—कालों और बलगढ़ के बीच बलगढ़ नदी पर पक्का झूला पुल	..	3/82
2—धामधार के निकट मन्दाल नदी पर झूला पुल	..	6/83
3—हिंवल नदी पर आमसेण के निकट झूला पुल	..	6/83
4—प्लेन नदी पर ढौंटियाल के निकट झूला पुल	..	6/83
5—हंवल नदी पर भवासी के निकट झूला पुल	..	6/83
6—खैटलगाड पर लसिया महादेव के निकट पुल	..	6/83
7—स्यूसी के निकट नयार नदी पर पुल	..	6/83
8—कांडा के निकट नैयार नदी पर पुल	5	12/82
9—संगलाकोठी के निकट झूला पुल	..	6/83
10—जूनी सेरा के निकट झूला पुल	..	6/83

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 921 पर)

8 पर्वतीय क्षेत्र में 15-1-1981 तक खोले गए राजकीय इंटर कालेज तथा राजकीय हाई स्कूलों का निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार विवरण :

		राजकीय हाई स्कूल	राजकीय इंटर कालेज
जिला अल्मोड़ा	1. निर्वाचन क्षेत्र द्वाराहाट	1. शहर फाटक	1. नौगांव-रीठागाड
		2. नगरखान	..
	2. निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत	3. खोड़ा	..
		4. गनाई चौखटिया (क)	..
जिला नैनीताल	1. खटीमा निर्वाचन क्षेत्र	5. खटीमा (कन्या)	..
	2. काशीपुर निर्वाचन क्षेत्र	6. हरीपुरा हरसान	..
	3. नैनीताल निर्वाचन क्षेत्र	..	2. लोहाली
जिला पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़ निर्वाचन क्षेत्र	7. चम्पावत (कन्या)	..
		8. लोहाघाट (कन्या)	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	2. डोडीहाट निर्वाचन क्षेत्र	..	3. जौरासी	
			4. धारचूला (क)	
			5. बरम	
जिला उत्तरकाशी	उत्तरकाशी निर्वाचन क्षेत्र	9. बड़ेथ	..	
जिला टिहरी–गढ़वाल	1. टिहरी निर्वाचन क्षेत्र	..	6. छाम	
			7. पिराई	
			8. फकोट	
जिला चमोली	1. बद्री केदार निर्वाचन क्षेत्र	..	9. रडुवा–चांदनी खाल	
	2. कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र	..	..	
जिला देहरादून	1. चकराता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	..	10. टयूनी	
	2. मंसूरी निर्वाचन क्षेत्र	10. छिद्रवाला	..	
जिला पौड़ी–गढ़वाल	1. निर्वाचन क्षेत्र लैंसडाउन	11. कर्तिया	..	
	2. कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र	12. वल्ली ..	11. रुद्र प्रयाग (क)	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 944 पर)

सहायक अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं की सूची जिनका स्थानान्तरण माह दिसम्बर, 1980 में किया गया तथा स्थानान्तरण का आधार

अधिकारी का नाम	स्थानान्तरण का आधार
1	2
सहायक अभियंता	
सर्वश्री--	
1--अशोक कुमार सिंह	कार्यहित में
2--लक्ष्मी नारायण	स्थापना की प्रतीक्षा में
3--मदन प्रसाद सिंह	कार्यहित में
4--अखलाक अहमद सिद्दीकी	कार्यहित में
5--शिव कुमार सिन्हा	निर्बन्धित स्थान पर स्थापना हेतु
6--हरबीर सिंह छाबड़ा	कार्यहित में
7--हरगोविन्द शर्मा	कार्यहित में
8--उत्पल कुमार डे	प्रतिबन्धित स्थान पर नियुक्ति हेतु
9--देवेन्द्र कुमार	खण्ड के समाप्त होने पर
10--बी0 एन0 गुप्ता	खण्ड के समाप्त होने पर
11--ज्ञानेन्द्र	खण्ड के समाप्त होने पर
12--ओम प्रकाश द्विवेदी	कार्यहित में
13-सुभाष सिंह सिंघल	कार्यहित में
14--सुरेश चन्द्र गुप्ता	खण्ड के विघटन के फलस्वरूप
15--पवन कुमार जैन	कार्यहित में
16--सत्येन्द्र कुमार कश्यप	प्रशासनिक आधार पर
17--मनमोहन शर्मा	प्रशासनिक आधार पर
18--संदीप कुमार शर्मा	कार्यहित में
19--पी0 के0 चौरसिया	प्रशासनिक आधार पर

1	2
सर्वश्री—	
20—प्रियवृत्त आर्या	प्रशासनिक आधार पर
21—इमानुल जब्बार खां	प्रशासनिक आधार पर
22—हरि प्रकाश मिश्रा	प्रशासनिक आधार पर
23—विजय बहादुर सिंह	कार्यहित में
24—बसन्त कुमार जैन	कार्यहित में
25—केशव नाथ यादव	कार्यहित में
26—श्रीकान्त गुप्ता	प्रशासनिक नियंत्रण में परिवर्तन के फलस्वरूप
27—केदार नाथ पांडे	तदेव
28—जुबैर अहमद सिद्दीकी	प्रशासनिक आधार पर
29—कुमेल असरफ खां	कार्यहित में
30—तुलाराम अग्रवाल	प्रशासनिक आधार पर
31—रुद्र प्रताप सिंह	कार्यहित में
32—सगीर हुसैन अंसारी	कार्यहित में
33—वेद प्रकाश शर्मा	कार्यहित में/पुनः निरस्त हो गैह
84—शिवगत उल्ला खां जुबेरी	कार्यहित में/पुनः निरस्त हो गए हैं
35—कृष्ण चन्द्र	कार्यहित में
अधीक्षण अभियंता	
1—देवेन्द्र सिंह बनगा	कार्यहित में
2—अतिउर रहमान	प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के कारण
3—बसन्त कुमार अग्रवाल	कार्यहित में

पो0 एस0 यू0 पो0—46 वि0 सभा—24-8-82-835—(पो0 डी0) ।